खण्ड-210, अंक-8
शनिवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(5 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ५ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४८

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूरअली खां, श्री

ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह श्री

जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० फरवरी, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ फरवरी, १९६० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ फरवरी, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—हमारे पास दो प्रस्ताव कार्य-स्थगन के आये हुये थे, मैंने उनको अस्वीकार कर दिया है। मेरे पास ५ या ६ नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न आये थे उनको मैंने अच्छी तरह से देखा, लेकिन वह कुछ महत्व के प्रश्न नहीं मालूम हुये इसलिये मैंने उनको भी अस्वीकार कर दिया है। एक गोरखपुर का केस है, वह अदालत में चला गया है, उसको मैंने खास तौर से देखा, उसके ऊपर सदन में चर्चा करना उचित नहीं मालूम होता है इसलिये उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अलमोड़ा)—श्रीमन्, गोरखपुर के सिलसिले में दो अलग अलग केस हैं। जो आप फरमा रहे हैं कि अदालत में चला गया है वह तो जो जिन्दा आदमी है उसके सम्बन्ध में गया है, लेकिन जो आदमी हथौड़े से मार डाला गया उसके बाबत कोई केस नहीं चला। मैं जरा दौड़ कर आ रहा हूं इसलिये हांफ रहा हूं

श्री अधिष्ठाता—आप सुस्ता लीजिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—वह बेचारा तो अच्छी तरह से सुस्ता गया जो वहां मर गया है। श्रीमन्, बात यह हुई कि एक लोहे वाले सेठ का मकान सड़क पर है और उस सड़क पर से एक आदमी पास हो रहा था तो उस पर उनका कुत्ता भौंका तो उस आदमी ने सेठ के लड़के से कहा कि इस कुत्ते को बांध लो। लड़का गाली देने लगा। उस आदमी का नाम राम समझावन लाला था। सेठ के लड़के ने फिर उस आदमी को लोहे की सीख से मारा। वह आदमी बहुत चिल्लाया, कुछ लोग आये और उसका बाप भी आया और उसने कहा कि क्यों मार रहे हो तो उसने अपने बाप को हथौड़े से मार दिया और वह वहां से कुछ दूर जाकर मर गया। और श्रीमन्, सिविल सर्जन ने पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट गलत दी है, उन्होंने लिखा है कि हार्ट फेल्योर से मर गया। वहां पर सब आदमी कह रहे हैं, "आज" और "भारत" अखबार में भी छपा है कि आदमी मार डाला गया लेकिन सिविल सर्जन ने पोस्ट मार्टम में रिपोर्ट दी है कि हार्ट फेल्योर से मौत हुई। तो श्रीमन्, मैं चाहता था कि चूंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है इसलिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालें।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे भी कुछ रास्ता बताया जायगा ?

श्री अधिष्ठाता---क्या ?

श्री राजनारायण---आप देखें कि हमने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया उसके सम्बन्ध में हमको आपके कमरे में नहीं बताया गया कि आप मंजूर करेंगे या नहीं। मैं जहां तक पार्लियामेंटरी पद्धति समझता हूं वह यह है कि अगर आप अपने चैम्बर में किसी प्रस्ताव को अमान्य करते हैं तो सदस्य को सूचित भी करना चाहिये और उसके तर्क को भी सुनना चाहिये और बताना चाहिये कि क्यों अमान्य कर रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं सदन के सम्मानित सदस्यों से कि वाराणसी में जो ५ जानें चली गईं उसकी जिम्मेदारी हम सब पर आती है। मैं घटनास्थल पर कल गया और देखा कि अगर २४ घंटे के अन्दर कुवें से ५ आदमी निकाले गये होते तो लोगों का कहना है कि वह जिन्दा बच जाते। २२ तारीख को सोशलिस्ट सदस्य माननीय रूपसिंह जी की तरफ से दफा ५२ के अन्तर्गत सूचना दी गई और तीन दिन तक उसको टाला गया और उसको स्थगित किया गया स्थानीय सरकारी कर्मचारी लापरवाही करते करते यहां तक गये कि ११ दिन के बाद लाशें निकाली गईं। तो यह बड़ा अहम प्रश्न है कि पांच पांच जानें चली जांय और वहां की क्षेत्रीय जनता में यह भ्रम हो, यह धारणा हो कि गरीबों की जिन्दगी इस सरकार के राज्य में कीड़े मकोड़ों की जिन्दगी हो गई है। जनता कहती है कि यदि किसी बड़े आदमी की जिन्दगी का प्रश्न होता तो ऐसी लापरवाही न हुई होती।

श्री अधिष्ठाता---आपका मतलब मैं समझ गया कि हमको तर्क बताना चाहिये कमरे में भी और रिजैक्ट नहीं करना चाहिये।

श्री राजनारायण---यह प्रश्न वैधानिकता का है। उसकी अहमियत यह है कि प्रदेश की गरीब जनता की जिन्दगी चली जाय और सदन में हम उसकी चर्चा भी न कर पावें।

श्री अधिष्ठाता---हमारे लिये जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी कार्य-स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट करें तो उसके लिये तर्क सदन में दें। आपको मैंने कमरे में बता दिया था कि उसकी कोई अर्जेंसी नहीं है। दफा ५२ में वह प्रश्न सदन में आया और मंत्री जी ने बयान दे दिया था।

श्री राजनारायण---अर्जेंसी के मानी हैं रिसैंट आकरेंस। हम बराबर यह देखते हैं कि हमसे आशा की जाती है कि हम लाइक गुड ब्वाय बैठ जावें चाहे जो कुछ भी रूलिंग हो। कल माननीय पालीवाल जी को कहना ही पड़ा। मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि रिसैंट आकरेंस का मतलब क्या है ?

श्री अधिष्ठाता---मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूं। अब मैं कोई बहस नहीं चाहता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, देवरिया में डकैतियां पड़ी हैं। हमको कोई रास्ता बतावें।

श्री अधिष्ठाता---मैं रास्ता बता दूंगा।

मथुरा नगर में डाक्टर गणपतराय का मकान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता---अब माननीय खाद्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

(श्री मोहनलाल गौतम खड़े हुये और श्री जगमोहन सिंह नेगी नहीं हुये।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने पुकारा माननीय खाद्य मंत्री जी को और वह न खड़े होकर मोहनलाल जी गौतम कैसे खड़े हो गये ।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---शोर इतना हो रहा था कि सुनाई नहीं दिया ।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---मुझे अभी इस मामले में कुछ और जानकारी करने की आवश्यकता है, इसलिये कृपया इसे सोमवार को रख दें ।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है ।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २४---लेखा शीर्षक ४०---उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या २८---लेखा शीर्षक ४२---सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४---उपनिवेशन-व लेखा शीर्षक ४०---कृषि के अन्तर्गत ५१,३१,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---आपको मौका मिलेगा ।

श्री राजनारायण---मेरा वैधानिक प्रश्न है कि मैं उनको पेश करने की अनुमति नहीं देना चाहता हूं । आप हमको नियम बतलावें ।

श्री अधिष्ठाता---मैं आपको नियम बतला दूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजनारायण---फिर मेरा वैधानिक प्रश्न है कि श्री राज्यपाल ने इनको किस तारीख को इजाजत दी पेश करने की । श्रीराज्यपाल ने इनको इजाजत नहीं दी है । माननीय राज्यपाल ने श्री मोहनलाल गौतम मंत्री को इस अनुदान के पेश करने की अनुमति नहीं दी है ।

श्री अधिष्ठाता---मंत्री जी कृपया बतलायें कि माननीय राज्यपाल ने आपको इजाजत दी है या नहीं ? और यदि दी है तो किस तारीख को ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसकी फाइल मेरे पास यहां नहीं है । लेकिन इजाजत दी है । इस हाउस का जो स्थान है अगर वह इसे दिया जाय तो मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं बिना राज्यपाल महोदय की आज्ञा के पेश करूं ।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है ।

श्री राजनारायण---मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि जब तक आप अपने को सन्तुष्ट न कर लें और सदन के सम्मानित सदस्यों को सन्तुष्ट न कर लें कि राज्यपाल महोदय ने अनुमति दी है, तो मंत्री जी को अधिकार नहीं है कि वह पेश कर सकें । राज्यपाल का पत्र उनके कार्यालय में होना चाहिये । उसे मंगा लिया जाय और सदन के सम्मानित सदस्यों को जानकारी करा दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता---मंत्री जी मंगा कर मुझे दिखला दें ।

श्री राजनारायण---तब तक के लिये स्थगित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, यह मोटी सी बात है कि . . . .

श्री राजनारायण—इस सरकार में हर मोटी बात बारीक है और बारीक बात मोटी है ।

न्यायमंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—हमारे भाई राजनारायण ने कहा है कि राज्यपाल जी ने श्री मोहनलाल जी गौतम को इस अनुदान के पेश करने की इजाजत नहीं दी है । किसी को दी है या नहीं, यह उनको जानकारी है ?

श्री राजनारायण—मेरी जानकारी नहीं है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई मिनिस्टर बिना राज्यपाल की आज्ञा के कोई अनुदान पेश नहीं कर सकता । जितने अनुदान हैं सबके लिये गवर्नर की इजाजत है । और मेरे नाम हो या उनके नाम हो, Minister includes every member of the Cabinet. Any Minister can move that. राज्यपाल की इजाजत है ।

श्री राजनारायण—मैं माननीय मंत्री जी की पुरानी स्मरण-शक्ति को जाग्रत करना चाहता हूं । इसी सरकार ने श्री राज्यपाल की बिना सूचना के केबिनेट के सदस्यों की लिस्ट अखबारों में निकलवा दी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—यदि श्रीराज्यपाल कि आज्ञा न मिली हो और बिना आज्ञा के पेश हो गया, तो आप क्या करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया है यह बहुत महत्व का है । अगर आज्ञा नहीं मिली है तो माननीय मंत्री जी के ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है । मैं फाइल मंगा कर देख लेता हूं और सम्भव हुआ तो राजनारायण जी को भी दिखा दूंगा ।

श्री राजनारायण—विशेषाधिकार के लिये तो मंत्री जी कह देंगे कि गलती हो गई मगर अनुदान पास हो गया तब क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता—अभी तो दिन भर है । पास कैसे हो जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । संविधान की धारा २०३ (३) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

"No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor." यानी कोई भी डिमान्ड तब तक पेश नहीं होती जब तक गवर्नर की सिफारिश न हो । इसलिये भविष्य के लिये मेरा सुझाव यह है कि जिस भी तारीख को गवर्नर महोदय सिफारिश करें उसी तारीख को उसकी एक प्रतिलिपि पुरानी परिपाटी के अनुसार विधान सभा में मंत्री महोदय भिजवा दिया करें ताकि इस प्रकार के प्रश्न न उठने पायें ।

श्री मोहनलाल गौतम—अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—सहकारिता के आधार पर ऋण—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता के अन्तर्गत २,०५,१४,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय तिवारी जी ने संविधान की जिन धाराओं का उल्लेख किया है उन धाराओं में अनुदान के सम्बन्ध में एक निश्चित बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके द्वारा यह छूट दे दी गयी है कि कोई भी माननीय मंत्री संविधान की धाराओं को लांघ कर उसके

परे कोई काम करने के लिये तत्पर हो जायें। अगर आपने ऐसी व्यवस्था देदी हो तब तो ठीक है और यदि संविधान की धाराओं को लांघा नहीं जा सकता है तो उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य संविधान के अनुछेदों को देख लें और समझ लें, उनका उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट सारा जो पेश किया जाता है, उस पर, श्री राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होती है या कि आइटमवाइज। इन दोनों में आप किसको सिफारिश मानेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—हर एक अनुदान के लिये सिफारिश होनी चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इन दोनों अनुदानों को पेश करते हुये मुझे बड़ी खुशी है। उपनिवेशन के सम्बन्ध में अगर समय रहा तो थोड़ा सा निवेदन कर दूंगा, पहले मैं सहकारिता के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन कर दूं।

श्री अधिष्ठाता—हैं दोनों बड़े इम्पार्टेंट।

श्री राजनारायण—वह तो अधिष्ठाता महोदय, अपने मुताबिक चलेंगे आपकी आज्ञा के मुताबिक थोड़े ही चलेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—सहकारिता को मैं इसलिये अधिक महत्व दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ नये सिद्धांत और नई पालिसीज निहित हैं। उपनिवेशन का जहां तक सम्बन्ध है वह एक काम करने का तरीका है, यद्यपि उससे बहत लाभ हुआ है, लेकिन जो नई कोआपरेटिव की पालिसी है, जो इस वक्त देश ने अपनायी है, उसके बारे में काफी भ्रम है। इसके बारे में बहुत से लोगों के दिमाग में काफी शंकाएं हैं, काफी प्रचार भी इसके विरुद्ध किया जा रहा है, उसके बारे में आपकी आज्ञा से जरा कुछ बतला देना चाहता हूं।

देश तय कर चुका है कि इस देश में राजनीतिक क्रांति के बाद आर्थिक और राजनीतिक क्रांति भी हमको करना है तथा इस देश में हमें समाजवाद की स्थापना करनी है। उसके लिये जरूरत है कि हमारे देश की दौलत बढ़े और उसका ठीक-ठीक बटवारा हो। जब हमने इस सिद्धांत और आधार को अपने सामने रखा तो अब प्रश्न यह होता है कि यह किस तरह से पूरा किया जाय। समाजवाद की स्थापना, देश की आमदनी बढ़ाना, देश की बेकारी और गरीबी दूर करना यह तभी हो सकता है जब देश की जो आमदनी बढ़े उसका बटवारा भी ठीक ठीक हो सके। देश की आमदनी बढ़ाने के जो तरीके हैं उसमें हमारे प्रदेश में खासतौर से और सारे देश में ही इस वक्त अधिकांश लोग लगे हुये हैं। रुपये में बारह आने लोग जिस काम में लगे हुये हैं, उसकी ओर हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा। इसलिये जो यह सहकारिता की रूपरेखा में आज निवेदन करना चाहता हूं उसका सम्बन्ध मुख्यतः कृषि और पशुपालन से है। इसके बाद काटेज इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योग-धंधे भी उसमें शामिल हो जायेंगे।

जब हमने यह नीति अपनायी है कि हम इस देश की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और उसका बंटवारा भी ठीक-ठीक करना चाहते हैं तो पहला प्रश्न यह है कि जो इस प्रदेश का मुख्य पेशा खेती है उसकी किस प्रकार से उन्नति हो। उस उन्नति के करने के लिये यह जरूरी है कि खेती में पैदा ज्यादा हो सकती है, इसमें दो रायें नहीं हैं। जितनी औसत पैदावार हमारी है उससे कहीं ज्यादा हो सकती है अगर हम उसका ठीक ठीक प्रबन्ध करें। और इस प्रबन्ध करने के दो मुख्य अंग हैं। एक यह है कि उसके लिये आवश्यक साधन जुटाये जायें और दूसरे यह कि नये वैज्ञानिक और उन्नत ढंग किसानों को बतलाये जायें ताकि वे ज्यादा पैदा कर सकें। अब प्रश्न यह होता है कि साधन जुटाने का तरीका क्या है, किस तरह से साधन जुट सकते हैं, यह सोचें।

[श्री मोहनलाल गौतम]

अब यह जो नयी कोआपरेटिव पालिसी बनायी गई है उके कुछ आधारभूत सिद्धांत रखे गये हैं। उसकी जो मुख्य बातें हैं, आधार हैं वे यह हैं--

१--सहकारी समिति का संगठन ग्राम समिति के आधार पर होना चाहिये। सामाजिक तथा आर्थिक योजनायें गांव की पंचायत तथा सहकारी समिति द्वारा कार्यान्वित होनी चाहिये। अपनी सब उन्नति की योजनायें गांव की कोआपरेटिव सोसाइटी और पंचायतें करें।

२--समिति के सदस्यों की एक दूसरे से पूर्ण जानकारी हो। उनमें भ्रातृभाव, सहानुभूति और कर्तव्यपरायणता का भाव हो। इसमें एक बहुत बड़ी चीज यह भी है कि वह भ्रातृभाव तभी हो सकता है जब कि कमजोर अंग को भी बराबरी का दर्जा दिया जा सके, उनकी सुविधायें भी पूरी की जा सकें और उनको भी सहारा दिया जा सके अपनी उन्नति करने का। यह एक बहुत बड़ा अंग इकोनामिक पालिसी का है कि नान-क्रेडिट बाडी बना दिया जाय।

३--सहकारी समिति तथा ग्राम सभाओं का एक ही कार्य क्षेत्र हो और यदि ग्राम सभायें छोटी-छोटी हों तो दो-तीन ग्राम सभाओं की जिनकी जनसंख्या १,००० के लगभग हो, एक सहकारी समिति बनायी जा सकती है।

४--सहकारी समिति में गांव के सब परिवारों को सम्मिलित होना चाहिये। अब तक जो स्थिति है वह यह है कि खेती करने वाले यानी खेतीहर जिनके पास जमीन थी उन्हीं को लेकर सहकारी समिति बनती थी। लेकिन अब हमारा यह मंशा और उद्देश्य है कि गांव का हर परिवार उस सहकारी समिति में शामिल हो। इसके माने यह हैं कि अब सहकारी समिति जो होगी वह मल्टीक्लासेज की होगी। उसमें खेतिहर भी होंगे, आर्टिजन्स भी होंगे और भूमिहीन भी होंगे यानी गांव के सभी लोग उसमें शामिल होंगे।

५--सहकारी समितियों को कृषि की उपज बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्नशील होना चाहिये, यह उसका उद्देश्य है और गांव समितियों का सम्बन्ध क्रय विक्रय-समिति से होना चाहिये जिससे वे माल इकट्ठा करने तथा बेचने के लिये एजेंसी के रूप में कार्य कर सकें। ये नई पालिसी की कुछ आधार शिलायें हैं जिनके ऊपर अब नई कोआपरेटिव पालिसी बनाई गई है जिनको कि अब साधन समितियां कहते हैं उनका आधार मैंने बताया कि यह उसके उद्देश्य और काम करने के तरीके होंगे। इसको सामने रखकर देश ने कुछ फैसले किये। जनवरी, ५९ में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में यह फैसले हुये थे और उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने मार्च, सन् ५९ में अपनी अन्तिम रिपोर्ट दी और उसके बाद हम लोगों के पास आगे कार्यान्वित करने के लिये चीजें आयीं। जिन सोसाइटियों का जिक्र यहां होता है कि १५-२० दिन में संगठन हो गया उसके बारे में मैं कहूंगा कि हमने, इस सूबे में ज्यों ही हमें हुक्म हुआ कि यह काम करना है त्यों ही हमने मार्च, ५९ में नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के फैसले के अनुसार साधन समितियां बनाईं और नई कोआपरेटिव पालिसी चलाने के लिये हमने तुरन्त अप्रैल में एक सेमिनार किया जिसमें हमने सब लोगों को बुलाया। तमाम कर्मचारियों को, जो यहां के कोआपरेटर्स हैं वह भी काफी संख्या में आये और यह भी कोशिश की गई कि जो पालिसी बनाने वाले लोग हैं वह भी आयें और अपनी बात पूरे तौर से कहें ताकि उस पालिसी का अथारिटेटिव वर्जन हमारे सामने आ सके। उस वक्त लोगों को याद होगा कि श्री अजीतप्रसाद जी जैन का यह मुहकमा था हमने उनसे भी कहा कि आप हमें नीति बतलायें, उन्होंने आकर सहकारी नीति को समझाया। माननीय केशवदेव जी मलवीय जो आल इंडिया कोआपरेटिव मूवमेंट के प्रेसीडेंट हैं और क्योंकि सब से बड़ी अथारिटी उनकी है उन्होंने और गवर्नमेंट आफ इंडिया के लोगों ने आकर हम को समझाया। कुछ रिजर्व बैंक के लोग आये और हमारे तमाम कोआपरेटर्स आये। हमारे प्रदेश के इस मूवमेंट में सबसे पहले जिन्होंने जान डाली थी और जो सब से पहले मंत्रिमंडल में इस विभाग के इंचार्ज थे डाक्टर काटजू वह भी आये, तो यह सब लोग आये और सब लोगों ने हमें समझाया।

श्री शिवप्रसाद नागर--आप तो फिर भी नहीं समझते।

श्री मोहनलाल गौतम---इस तरह से रोकने से तो किसी की समझ में कुछ आयेगा नहीं, आप अभी सुनें तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता---नागर जी को समय मिलेगा, अभी वह क्यों घबराते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---हमने उसमें अपने कुछ माने हुये एकनामिस्ट्स को और विद्वानों को भी बुलाया, डाक्टर सरकार और श्री वी० बी० सिंह भी आये और उन लोगों ने भी अपने पेपर्स पढ़े। इस तरह से मार्च में नैशनल डैवलपमेंट कौंसिल के फैसले के बाद अप्रैल में सारे सूबे में अच्छी तरह से इन सब चीजों को समझाने की कोशिश की गई और दो दिन तक हमारा यह सेमिनार रहा। इसके साथ साथ सारे कर्मचारियों को सब बातें अधिक विस्तार के साथ समझा दी गयीं और एक एक डिटेल बता दिये गये और फैसले हुये कि कहां कहां कोआपरेटिव सोसाइटियां बन सकती हैं। इनका सम्बन्ध मार्केटिंग से भी है कि वह गल्ला इट्ठा करके मार्केटिंग सोसाइटीज को ले जायें। इसमें कुछ दिक्कत थी और जो पुरानी लार्ज साइज्ड सोसाइटियां थीं जोकि मंडियों के आस पास बनी थीं क्योंकि उनका सिद्धांत था कि कर्जे की अदायगी किसान को अपने गल्ले की पैदावार से करना होता था, अब यह सम्भव होगा कि वह हमारी कोआपरेटिव सोसाइटियों के पास लाकर अपने सामने मंडियों में माल बेचें। तो पुरानी जो लार्ज साइज सोसाइटीज थीं उनमें सर्विस कोआपरेटिव बन नहीं सकती थीं। जो पुरानी लार्ज साइज सोसाइटीज थीं वे सब अलग हो गयीं और ९८ जो पुरानी अच्छी मंडियां थीं वह भी उस क्षेत्र से बाहर हो गयीं।

अब जो नई चीज है, जो हमने सर्विस कोअपरेटिव्ज बनाईं उनमें एक बड़ी भारी शिकायत की जाती है कि बांध कर नहीं बनायीं, जगह जगह बना दीं। उसमें हमारा लिमिटेशन यह है कि यह मंडियों के साथ होने जा रही हैं नई नीति के अनुसार। इसलिये ९८ पुरानी मंडियों के आस पास नहीं बनीं, नई मंडियों के आस पास ही बनीं। यह लिमिटेशन है इसलिये उन जगहों पर नहीं बना सकते जहां मंडियों से सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता। इन नई सोसाइटियों में सब हो गया कि कैसे बनें। यह सब चीज तय हो गई थी यहां जब आफिसर्स आये थे उसी वक्त। उसके बाद शिक्षा का कार्य हुआ, डिवीजन्स में तमाम लोगों को समझाया गया। जिन-जिन मंडियों के क्षेत्र में यह सब था, वह समझाया गया। बाद में जो एकाउंटेंट भर्ती हुए, १० हजार पार्ट टाइम पेड एकाउण्टेण्ट जो हुए उनकी शिक्षा का प्रबन्ध हुआ। सिद्धान्तों को अच्छी तरह से समझा दिया गया।

सितम्बर में गवर्नमेंट आफ इंडिया का हुक्म मिला कि इतनी सोसाइटियां बनाओ। सारे देश में २० हजार बनाने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश में १० हजार का लक्ष्य रखा गया। मझे खुशी है कि हमने १० हजार २१९ सोसाइटियां बना दीं और जब नेहरू जी १० सितम्बर को यहां आये थे तो १० हजार से ज्यादा सोसाइटियां हम आर्गनाइज कर चुके थे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---पुरानी भी हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी आता हूं। लार्ज साइज सोसाइटीज को तो हम ले नहीं सकते थे। विलेज सोसाइटीज को ले सकते थे। विलेज सोसाइटीज पहले काफी बन चुकी थीं। हमने यह कहीं नहीं कहा कि यह नई सोसाइटी है। पहले हमारा लक्ष्य था कि ६ हजार पुरानी सोसाइटियों में जान डालेंगे और ४ हजार नई बनायेंगे। कहीं यह नहीं आया है कि १० हजार नई हैं। १० हजार सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज नई हैं, लेकिन ७ हजार जो पहली थीं उनको सर्विस कोआपरेटिव बनाया गया और ३ हजार नई बनाई गयीं।

यह जो सोसाइटियां बनाईं, मैं यह निवेदन करूं कि यह तजुर्बा बहुत महत्व का है। सर्विस कोआपरेटिव में तो किसी का मतभेद नहीं है। सेमीनार हुआ था उसमें सब दल के लोग

[श्री मोहनलाल गौतम]

आये थे और बोले । थे किसी का सर्विस को आपरेटिव से मतभेद नहीं है । कोआपरेटिव फार्मिंग के ऊपर मतभेद शुरू होता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस कंट्रोवर्सी को अलग रखा जाय क्योंकि इस वक्त अगर उस वाद-विवाद में पड़ें तो किसान इस सर्विस कोआपरेटिव से भी कहीं दूर न चला जाय । अगर इससे दूर हुआ तो मैं यह कहना चाहता हूं It is the last hope of the rural area. यह अन्तिम आशा है । अगर इसमें भी नाकामयाब रहे तो किसानों की आमदनी बढ़ाने का, पैदावार बढ़ाने का, गांव की गरीबी का और बेकारी दूर करने का, मेरे दिमाग में कम से कम कोई और नक्शा नहीं है । इसलिये इसको कामयाब मनाने का प्रथम कर्त्तव्य है और इस पर किसी का मतभेद नहीं है । इसलिये इसमें सहयोग हो यह मेरी प्रार्थना है ।

अब सवाल यह होता है कि यह जो हमने बनायीं, क्योंकि यह आधार है और हम विश्वास करते हैं और यह अन्तिम आशा है इसके बाद अगर निराशा हुई तो बड़ा भारी प्रश्न पैदा हो जायगा । इसलिये हमने कोशिश की कि इसको शुरू से ही मजबूत बुनियाद पर रखा जाय । हमने यह कहा कि जहां पुरानी सुसाइटीज हैं उनमें ६० फीसदी आबादी के परिवारों में से मेम्बर होना जरूरी है तभी रजिस्टर होंगी अन्यथा नहीं होंगी और नई सोसाइटीज में ४० फीसदी ।

एक और शर्त रखी कि पुरानी सुसाइटीज में चाहे जितना शेयर कैपिटल हो, नई सोसाइटीज में तो है नहीं । पुरानी को नई सोसाइटी बनाने में १,००० रुपये शेयर कैपिटल जरूरी आना चाहिय यह इस लिये रखा है कि मजबूत जमीन पर हम खड़े हों । कहा जाता है कि साहब यह तो रातों रात बन गयीं । मैं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी कहा था कि यह हो सकता है कि यह सोसाइटीज बोगस रजिस्टर हो जायें, अंगूठा निशान लोग लगवा कर ऐसा कर लें, ऐसा सम्भव है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो ५२ से ५५ लाख रुपया नया शेयर कैपिटल का आया है इन सोसाइटीज में, यह तो बोगस नहीं है । इसमें १०,२१९ नई सोसाइटीज रिजिस्टर हुई उनमें १,४४,००,००० रुपया शेयर कैपिटल का है जिसमें ५५,००,००० रुपया नया है शेयर मनी का आया हुआ । मेम्बरों की संख्या ८,४२,००० है इनमें से ४,३३,००० नये मेम्बर हैं ।

अब मैं जिक्र कर दूं थोड़ा सा जो गवर्नमेंट आफ इंडिया क्राइटेरियन रखा था । उसमें था पहले साल ५० मेम्बर हों, दूसरे साल ६० मेम्बर हों, तीसरे साल ७५, चौथ साल १०० और पांचवें साल १५० हों । और हमारा औसत १०,२१९ सोसाइटीज में ८,४२,००० मेम्बर के हिसाब से ८० मेम्बरों का फी सोसायटी आता है । यानी तीन साल का जो टार्गेट है उसे हम पार कर चुके । शेयर कैपिटल उन्हों ने रखा था ५०० पये पहले साल, दूसरे साल ६५० पये, तीसरे साल ८६० रुपये, चौथे साल ११८५ रुपया और पांचवें साल १७८५ रुपया । हमारा औसत शेयर कैपिटल १४०० रुपया आता है, यानी चारों साल के टार्गेट्स को पूरा करके उससे भी ज्यादा आता है । इसलिये हमारा टार्गेट गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा निश्चित टार्गेट के चौथे साल से आगे बढ़ गया और हिन्दुस्तान भर में जो संख्या २०,००० कोआपरेटिव्ज की दी गई थी उसमें से १०,२१९ इस प्रदेश ने आर्गेनाइज कर ली हैं ।

अभी तो शायद मेरे १० मिनट बाकी हैं ?

श्री अधिष्ठाता—केवल ५ मिनट ही बाकी हैं । इंटरप्शन बहुत हो गये । समय थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है ।

श्री राजनारायण—कायदे की बात हो तो मेरा भी बढ़ा दिया जायगा ?

श्री अधिष्ठाता—बेकायदा भी हो तो आपका समय बढ़ा देंगे ।

श्री राजनारायण—मैं ऐसी उदारता नहीं चाहूंगा क्योंकि इसमें सदन का अवमान हो जायगा ।

श्री मोहनलाल गौतम--इस समय ज्यादा आंकड़े नहीं ूंगा, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि ये जो कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं इनके बारे में मैं एक ही बात और कह दूं कि इनमें जो सहूलियतें देने का प्रश्न किया तो तीन सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन जो दिक्कतें हैं उनको भी मैं आपके सामने रख दूं। जो सहूलियतें बीज की व खाद की दी जा रही हैं वे तो सामने हैं ही। बीज भंडारों की बातें हम देख चुके। जो नकद ऋण दिया जाता है वह इस वक्त बढ़ रहा है। उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं। और विस्तार से कोई सदस्य पूछेंगे तो बाद में जिक्र कर ूंगा। सन् ५७ के जून के अन्त में यहां साढ़े ६ करोड़ रुपये का लेनदेन कोआपरेटिव चैनल्स में होता था। ५८ में बढ़ कर ११ करोड़ और ५९ में वह १५ करोड़ हो गया और इस वक्त मेरा अनुमान है कि वह २२ करोड़ के लगभग है यानी साढ़े ६ करोड़ से आज २२ करोड़ हो गया। यह इस सदन के जीवनकाल में हुआ है। रिजर्व बैंक से पिछले साल हम लोग सिर्फ ४ करोड़ ५ लाख रुपया लेने के अधिकारी थ और इस साल ९ करोड़ ३८ लाख की तो हमारी हद हो चुकी। यानी दूने से ज्यादा बढ़ा चुके और अभी हमें आशा है कि दो ढाई करोड़ की दरख्वास्तें और दे दी हैं। तो जिस तेजी से क्रेडिट बढ़ रहा है उसका थोड़ा सा ढांचा बतलाया।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इसमें एक खास बात यह है कि जो रुपया दिया जा रहा है दूसरी स्टेट्स में वह गवर्नमेंट गारं ी पर दिया जा रहा है। लेकिन अभी हमने गवर्नमेंट गारण्टी को छुआ तक नहीं। गवर्नमेंट गारण्टी बाद में आयेगी जब हमारे बूते के बाहर की चीज हो जायगी। लिहाजा इस स्टेट में जो २२ करोड़ रुपया दिया गया है वह स्टेट गारण्टी के ऊपर नहीं है, वह मूवमेंट की अपनी जान पर है। ७२ करोड़ रिजर्व बैंक ने दिया है और ३३ करोड़ मूवमेंट की गारन्टी पर दिया हुआ है। एरियर्स व वसूली का भी मैं थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूं। पिछले साल आल इंडिया के एरियर्स का एवरेज २१ फीसदी था। सन् ५७ में यह १६.६ परसेंट था और ५९ में १५.७ परसेंट रह गया। यह पिछले साल के एरियर्स थे। इस साल हमने खासतौर से कोशिश की और इस वक्त एरियर्स ११.४ परसेंट हैं। यानी जो कम से कम एरियर्स देश भर में थे १२ परसेंट के उससे भी कम हमारे एरियर्स हो गये। दूसरों और तरक्की की हो, अच्छा है, लेकिन अगर दूसरे उसी लेबिल पर रह गये हों तो हमारा नम्बर पहला आता है। हमारे यहां कर्जा तेजी से बढ़ रहा है, सुविधायें तेजी से बढ़ रही हैं, मजबूत संगठन है। अगर रिजर्व बैंक से लेने की ताकत को देखा जाय, उसी को लिया जाय तो २ परसेंट के हिसाब से ११ लाख रुपये की तो एक ही मद में हमारे प्रदेश को आमदनी हो गयी। रिजर्व बैंक २ परसेंट पर देता है और अगर हम ५ करोड़ ३३ लाख रुपया ज्यादा दे सकें तो इससे भी ११ लाख रुपये का फायदा हमारे प्रदेश को हुआ। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जो सहूलियतें यह आन्दोलन दे रहा है उसको देखते हुये यह अनुदान बहुत थोड़ा है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिंग के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें।

श्री मोहनलाल गौतम--इस वक्त ७२ हजार गांव सभाओं में से ६३ हजार गांव सभाओं में कोआपरेटिव सोसायटीज बन चुकी हैं। २७ लाख मेम्बर्स तो कोआपरेटिव सोसायटीज के हैं। केन सोसायटीज के अलग हैं लेकिन उस आंकड़े को मैं जोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि केन सोसायटीज के अलग हैं और ये अलग हैं, लेकिन यह तो कह सकता हूं कि केन सोसायटीज के जितने मेम्बर हैं उनमें कुछ तो ऐसे होंगे जो इनके अलावा हैं।

यह अल्पकालीन ऋण की बात मैंने कही। लेकिन हमारी जरूरत इस बात की है कि अल्पकालीन ऋण के साथ-साथ मध्यकालीन ऋण भी किसानों के लिये हो क्योंकि अगर वह बैल वगैरह खरीदना चाहता है तो अल्पकालीन ऋण लेकर नहीं खरीद सकता। इसलिये मध्यकालीन ऋण के बिना किसान को पूरी सुविधा नहीं मिल सकती। उसका फैसला हो

[श्री मोहनलाल गौतम]

गया है। गवर्नमेंट गारण्टी करेगी और मध्यकालीन ऋण किसानों को रिजर्व बैंक से मिलेगा और इसे हम जल्दी ही शुरू करेंगे। फिर दीर्घकालीन ऋण की भी व्यवस्था होनी चाहिये हमारे प्रदेश में। उसके लिये लैंड मार्गेज ऐक्ट बन गया है। डायरेक्टर्स बन गये हैं और रूल्स और रेगुलेशन्स बन रहे हैं और उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आप बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो सहकारिता का मूलभूत तत्व है, जो सब से विवादास्पद विषय है उसका उत्तर ही न होगा तो कैसे काम चलेगा। उसमें पलायनवादी नीति से तो काम चलेगा नहीं।

श्री अधिष्ठाता---कृपया आप आसन ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी ने नागपुर के कांग्रेस रेजोल्यूशन से शुरू किया, सारे सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला। माननीय सदस्य शायद सदन में नहीं थे इस वास्ते शायद उन्होंने उस बात को नहीं सुना।

श्री राजनारायण---उन्होंने प्रकाश डाला। यह दूसरी बात है कि वह प्रकाश प्रकाश डालने वाला न हो।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, कोआपरेटिव फार्मिंग के ऊपर प्रकाश नहीं डाला।

श्री अधिष्ठाता---वह जरूर डालेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह---समय तो है नहीं, प्रकाश क्या डालेंगे?

श्री अधिष्ठाता---आप चाहेंगे तो समय बढ़ा दिया जायगा।

एक सदस्य---समय जरूर बढ़ा दें क्योंकि उन्होंने उसको यों ही टाल दिया, कहा कि उस पर ज्यादा कहना अच्छा नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि इतना क्षेत्र इस प्रदेश का कवर हो गया, ६३ हजार गांव सभायें कवर हो गयीं। २७ लाख मेम्बर बने। इसके आलवा जो केन के मेम्बर हैं वह अलग हैं। अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की भी व्यवस्था कर दी गई है। इसका मैंने जिक्र किया। इसी व्यवस्था के साथ साथ जैसा कि पहले सिद्धान्त में मैंने निवेदन किया था कि इन सर्विस कोआपरेटिव्ज और नई कोआपरेटिव्ज की पालिसी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है गांव की सोसाइटियों का। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मालूम होगा कि यह पालिसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको यदि आप समझ लेंगे तो सारी पालिसी समझ में आ जायगी। जो महत्वपूर्ण अंग है इस पालिसी का उसी को मैं कहने जा रहा हूं और जिसके कहने में बाधा पड़ रही है। वह यह है कि साधन जुटाने की व्यवस्था है उसी के साथ-साथ मार्केटिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिये और जिसको कर्जा दिया जाय उनसे यह भी आशा की जाय कि वह अपनी पैदावार मार्केटिंग सोसाइटियों की मारफत बेचेंगे। यह बहुत जरूरी अंग है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जायं कृपया। आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---श्रीमन्, यह गलत चीज है...

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठ जायं, आप कृपया बैठ जायं, सिट डाउन, सिट डाउन।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम के मुताबिक मैं समझता हूं कि चेयर यह कहती है कि आप कृपया बैठ जायं और आप तैश में कहेंगे "सिट डाउन", "सिट डाउन" तो मैं समझता हूं कि We are not school boys.

श्री अधिष्ठाता—राजनारायण जी यह कहां कहा है ?

श्री राजनारायण—आपने कहा "सिट डाउन, सिट डाउन"।

श्री अधिष्ठाता—सही बात मैंने कही कि आप कृपया बैठ जांय, कृपया बैठ जांय और वह न बैठें तो मैं क्या करूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी बात माने लेता हूं, लेकिन साधु को साधुता नहीं छोड़नी चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—अधिष्ठाता महोदय, जो नई कोआपरेटिव पालिसी है उसका एक बहुत बड़ा अंग यह है कि जहां सर्विस कोआपरेटिव प्रोडक्शन प्लान बनायें, गांव की पैदावार की योजना बनायें वहां उसका एक बहुत बड़ा अंग यह भी है कि वह अपनी पैदावार को कोआपरेटिव की आढ़त की दूकान के मारफत बेचें। यह मार्केटिंग सोसाइटीज अच्छी तरह से संगठित हुई और काफी अच्छा काम भी किया और इतना ही नहीं कि अच्छा काम किया बल्कि हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में इस काम में काफी ऊंचा है और यह भी निवेदन करूं कि दूसरे प्रदेशों की तरह से जो पुरानी मार्केटिंग सोसाइटीज थीं जो और भी काम करती हैं उनका कारोबार और लेन-देन ज्यादा हो, लेकिन हमारे प्रदेश में महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो माल बिका है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों की पैदावार है जो कर्जा लेने वाले हैं, वह अपनी पैदावार इन मार्केटिंग सोसाइटीज की मारफत बेचते हैं। ७० लाख मन पैदावार इन कोआपरेटिव सोसाइटीज ने बेची जिसकी कीमत ९.४ करोड़ रुपये हुई यानी साढ़े नौ करोड़ पये का करोबार इन कोआपरेटिव सोसाइटीज ने किया। (व्यवधान) फायदा अलग-अलग सोसाइटियों का अलग-अलग है, लेकिन बहुत सी सोसाइटियों ने बोनस बांटा है।

मार्केटिंग सोसाइटीज केवल आढ़त की दूकानें नहीं हैं कि माल आया और बिकवा दिया। इनमें पौशाला, धर्मशाला और पाठशाला की कटौती आढ़त की दूकानों की तरह नहीं होती। इसमें जो सब से बड़ी बात है वह यह है कि अब तक यह दिक्कत थी कि जब किसान की फसल कटती है तो उसको सस्ते से सस्ता अनाज बेचना पड़ता है और जब उसका गल्ला घर से निकल जाता है तो वह महंगा हो जाता है। उसको आबपाशी, मालगुजारी और कर्जा अदा करना होता है इसलिए जून के महीने में ही उसको अपना माल बेचना पड़ता है। वह अपने माल को रोक नहीं पाता, ताकि उसको उससे अच्छे दाम मिल सकें। तो मूल सिद्धान्त यह है कि हम किसानों में रोकने की ताकत पैदा करें कि जब माल सस्ता हो तो वह उसको रोक सकें।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या कोई भाव मंत्री जी ने निर्धारित किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर मेरी पूरी बात सुन लें तो ५-६ घंटे बाकी हैं, उसमें सारी शंकाएं प्रकट की जा सकती हैं और मुझे यह आशा है कि मैं उन सबका जबाब दे सकूंगा।

जो असली बात है वह यह है कि किसान को व्यापारियों और कर्जदारों के चंगुल से बचाया जा सकता है अगर वह अपनी पैदावार को महंगे से महंगे भाव पर बेंचने की ताकत रखता हो। वह कैसे हो ? इन मार्केटिंग सोसाइटीज में यही सहूलियत है कि अगर किसान देखता है कि

[श्री मोहनलाल गौतम]

गल्ला सस्ता बिक रहा है और वह कुछ दिन रोकना चाहता है, तो वह अपना गल्ला इन मार्केटिंग सोसाइटीज में रख सकता है और उसका ७० फीसदी कर्जा उसको मिल सकता है, जिस पर ६ प्रतिशत से भी कम--५ साढ़े ५ फीसदी--ब्याज देना पड़ेगा, उन दिनों का, जिन दिनों में वह माल सोसाइटी में रहेगा। वह जब तब उसको बेचे। एक सवाल हुआ कि उसका भाव क्या मुकर्रर किया गया है। भाव हमारे हाथ में या मार्केटिंग सोसाइटी के हाथ में नहीं है। मार्केटिंग सोसाइटी तो बाजार में भाव जो होता है उस पर उसको बेचवा देती है और उसको रख सकती है, महीने दो महीने बाद अगर बेचना चाहें तो तब वह बेच दें। उसका भाव मुकर्रर करने से कोई ताल्लुक नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा समय कितना और है?

श्री अधिष्ठाता---समय तो आपका समाप्त हो गया है, मगर माननीय सदस्य आप से कुछ जानकारी हासिल करना चाहते थे। वह चाहते थे कि आपको कुछ समय और दे दिया जाय, इसलिए मैंने आपको समय दे दिया था।

श्री मोहनलाल गौतम---अधिष्ठाता महोदय, आप जैसी व्यवस्था करें, चाहे क्वेश्चंस की शकल में हो या स्पीचेज में जितनी शंकायें की जायं उनका उत्तर मैं बाद में दे दूं..

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी, मैं आपको किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय मंत्री जी अगर रजामन्द हों तो मैं उनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं..

श्री अधिष्ठाता---माननीय विष्ट जी, आप जब भाषण देने लगेंगे तो जो आप कहना चाहें कहिएगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--भाषण मुझे कुछ देना नहीं है। आजकल श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मुझे सिर्फ यह पूछना है माननीय मंत्री जी से कि इधर से मांग आयी है और रिपीटेडली आयी है करीब-करीब सभी जानना चाहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में सरकार की क्या नीति है? सरकार क्या करने जा रही है? जिस नागपुर के प्रस्ताव को लेकर के कहा गया उसमें सब से पहले सहकारी खेती है और उसका कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उसके बारे में सरकार अपनी पूरी-पूरी नीति बताये कि वह कोआपरेटिव बिल आने में देर क्यों हुई और कैसे वह अखबारों में पहले छप गया, इस सदन में नहीं बताया गया, इन सब बातों पर वह प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी अगर उचित समझें तो सहकारी खेती के सम्बन्ध में प्रकाश डाल दें।

श्री मोहनलाल गौतम---श्रीमन्, यह प्रश्न अगर उठेंगे कि उसमें भी प्रकाश किन-किन प्वाइंट्स पर चाहते हैं तो शायद उस पर मैं प्रकाश डाल सकूंगा वरना फिर भी वह अन्धकार में रह सकते हैं। सरकार की उस सम्बन्ध में क्या नीति है वह काफी स्पष्ट की जा चुकी है उसमें मुझे कोई नयी बात नहीं कहनी है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक निवेदन अगर आप आज्ञा दें तो मैं सम्मानित अपने विरोधी दल के सदस्यों से कर दूं।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, मैं आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण--तो फिर चलने दीजिए, हम क्या करें ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैं यह चाहता हूं कि इस तरह से जो जो प्रश्न इस सम्बन्ध में किये जायं, जो-जो दिक्कतें बतायी जायं, उनके बारे में अगर मैं पहले सुन लूं कि किस-किस पर प्रकाश वह चाहते हैं तो मेरे लिए प्रकाश डालना आसान होगा, नहीं तो कहीं उन प्वाइंट्स पर जिन पर वह प्रकाश चाहते हैं कहीं वह अंधेरे में ही न रह जायं।

श्री राजनारायण--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आदेश दिया था कि राज्यपाल महोदय का पत्र यहां पर लाया जाय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कितनी देर में आ जायगा ?

श्री अधिष्ठाता--मैंने अपने विधान सभा के सेक्रेटरी को फाइनेंस सेक्रेटरी के यहां भेजा था इसके बारे में बातचीत करने के लिए। उन्होंने बातचीत की है और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब फाइल की तलाश करवा रहे हैं। जैसे ही फाइल आ जायगी, वैसे ही आपको मालूम हो जायगा।

श्री राजनारायण--बातचीत जो हुई वही बता दी जाय।

श्री अधिष्ठाता--जी नहीं।

श्री राजनारायण--इसका मतलब मामला कुछ गोल है।

श्री अधिष्ठाता--जी नहीं, गोल कुछ नहीं है, फाइल वह ढुंढ़वा रहे हैं।

श्री राजनारायण--इतनी आवश्यक फाइल, ११ बजे यह प्रश्न उठा था, अभी तक वह एक घंटे के अन्दर नहीं आयी तो इसका...

श्री अधिष्ठाता--यह तो राज्य-कार्य का मामला है, देर लगा ही करती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, यह आज्ञा तो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में होनी चाहिए न कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ग्रान्ट तो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की है, तो वहां भी जानकारी करा ली जाय।

श्री अधिष्ठाता--फाइनेंस सेक्रेटरी उसका पता लगा कर बतायेंगे।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--यह निवेदन करने का कोई समय नहीं है।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। और वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने अभी भूमि बन्धक करने के बारे में जिक्र किया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात रह गई जिसे जानना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त किसान अपनी भूमि को बन्धक रखेगा तो रिजर्व बैंक जो डिबेंचर जारी करेगा वह किस आधार पर करेगा और गवर्नमेंट किस आधार पर....

श्री अधिष्ठाता--यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। आप कृपा करके बैठें।

श्री मोहनलाल गौतम--अधिष्ठाता महोदय, एक कागज तो मेरे सामने आ गया है, अगर आप कहें तो..

श्री अधिष्ठाता--वह आप हमारे पास भेज दें।

(आचार्य दीपंकर का नाम पुकारा गया)

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---आप उसको पहले देख लें।

श्री अधिष्ठाता---हम देखते रहेंगे, आप अपना भाषण जारी रखें।

आचार्य दीपंकर---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। सरकार की सहकारिता नीति का अननुमोदन करना, विभागीय भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन नीति का अननुमोदन तथा सुझाव देना।

श्री गोविंद सिंह विष्ट---श्रीमन्, हम को गवर्नर साहब के पत्र की तारीख बतला दी जाय।

श्री अधिष्ठाता---आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं इसको देख रहा हूं, देख कर बतलाऊंगा।

आचार्य दीपंकर---सहकारिता के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का भाषण हम सब ने ध्यान से सुना। मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि पुराने समाजवादी नेता जिनको संयोगवश या सौभाग्यवश यह हुकमा मिला है सुस्पष्ट ढंग से और मजबूत इरादे के साथ यह कार्यक्रम रखते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नागपुर प्रस्ताव का बहुत जिक्र किया। इस प्रस्ताव के बाद पूरे हिन्दुस्तान में एक जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल पैदा हुई और राजनीतिक शक्तियों में प्रगतिशील तथाप्रतिक्रिया के आधार पर विभाजन होता चला गया तब विचार मन्थन की जबरदस्त प्रक्रिया चालू हो गयी थी। मन्त्री जी ने इस प्रस्ताव का ढोल तो बहुत पीटा परन्तु उस नीति और संकल्प का उस में कहीं आभास नहीं है। पूरे सहकारी आन्दोलन का मूल आधार सहकारी खेती है और मुख्य प्रश्न यह है कि पिछले साल भर से जब कि नागपुर का प्रस्ताव पास हुआ अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई। विरोध पक्ष के मेरे सहयोगी जब सहकारी आन्दोलन की नीति और उस के आधार सहकारी खेती के सम्बन्ध में कुछ पूछते हैं तो मन्त्री जी चक्कर देकर बच कर निकल जाना चाहते हैं और निकलते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर यह सरकार इरादा रखती है कि इस प्रदेश में आर्थिक नवनिर्माण करना है, इस प्रदेश की गरीबी दूर करना है, इस प्रदेश में कृषि व्यवस्था के संकट को निवारण करना है तो जब तक सहकारिता आन्दोलन को आधार बनाकर सहकारी कृषि पर सारा का सारा आन्दोलन नहीं टिकाया जाता तब तक इस प्रदेश में सहकारी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। लेकिन यह अंग उस नीति का है जिस नीति पर आप इस इमारत को टिकाना चाहते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया सरकार इस से चक्कर देकर बचकर निकल जाना चाहती है। नागपुर प्रस्ताव के बाद सहकारिता आन्दोलन की सफलता के लिए जितने दावे किये गये हैं उन के बारे में मैं सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज कौन से काम सहकारिता आन्दोलन के ऐसे हैं जो आप साल भर पहले नहीं करते थे? चाहे वह सहकारी समिति हो, चाहे सहकारी कृषि हो और चाहे ऐसे दूसरे आन्दोलन हों, वह हर एक आन्दोलन साल भर पहले चलते थे और पिछले पांच साल से चल रहे हैं। इस नागपुर प्रस्ताव का तो केवल एक लम्बा चौड़ा ढोल पीटा गया। इस लिए इस सम्बन्ध में बार-बार यह कहना कि हम बड़े भारी आन्दोलन को आरम्भ कर रहे हैं इस प्रदेश में, यह दावा कितना असत्य है और निराधार है यह इस से ही प्रमाणित होता है।

मैं आप के सामने इस विभाग की तरफ से जो पुस्तिका प्रकाशित होकर वितरित की गयी है इस में सहकारी खेती की प्रगति के सम्बन्ध में जो लिखा है वह बताना चाहता हूं। सहकारी खेती के सम्बन्ध में, श्रीमन्, जो प्रगति हुई है अगर उसे देखा जाय तो पता चलेगा कि शुरू शुरू में सन् १९५० में ४५ सहकारी कृषि समितियां थीं और आखिर में चलते चलते सन् १९५७ में २६२ हो गयीं और उस समय श्रीमन्, आप देखें यह नागपुर का प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ था। उस के पहले २६२ सहकारी समितियां बन चुकी थीं। उस समय सरकार की तरफ से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई सहकारी कृषि की नीति तक घोषित नहीं हुई थी। किन्तु उस के बाद जब इस ओर एक कदम उठाया गया, जमीन और आसमान एक कर दिया गया, नागपुर में प्रस्ताव पास किया गया, तो अब सन् १९५९ में जाकर वे केवल ३३२ हैं। इसी प्रकार से श्रीमन्, आप किसी भी प्रकार की समितियों को ले लीजिये, चाहे कर्जा समिति को ले लीजिये, चाहे और किसी को ले लीजिये, सभी नागपुर सेशन के प्रस्ताव से पहले से चली आ रही थीं ; एक भी समिति ऐसी नहीं होगी जो नागपुर के प्रस्ताव से पहले न बनी हो। जो रफ्तार इस ओर पहले थी उसी मोटी रफ्तार से हमारी सरकार आज भी चल रही है।

एक बात इसी सम्बन्ध में मैं और निवेदन करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने सहकारी खेती के सम्बन्ध में बहुत विरोध किया और आज भी उस की मुखालिफत में वे लगे हुए हैं। इन में वे लोग भी हैं जो कल तक सरकार की मिनिस्टरी में भी थे। उन्होंने इस की मुखालिफत में किताबें लिखी हैं, लेख लिखे हैं और प्रचार भी किये हैं। मैं नहीं कह सकता कि कुछ कांग्रेसी लोगों ने सहकारी खेती के ही विरोध में मन्त्रिमण्डल से स्तीफा दिया या अन्य किसी कारणों से दिया ; किन्तु इतना जरूर है कि जो लोग इसके विरोध में कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी में चले आये ज्यादा बेहतर हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो उसी पार्टी में हैं और उस में रहते हैं हुए सहकारिता आन्दोलन का घोर विरोध करते हैं और कदम कदम पर उन्हें उस में अविश्वास है। जो कदम कदम पर जनता के धन का अपहरण करते हैं और जिन्होंने सहकारिता आन्दोलन को बदनाम कर रखा है और सहकारिता आन्दोलन को प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों का एक केन्द्र बना लिया है। उन लोगों से स्वतंत्र पार्टी में जो लोग भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर आ गये हैं वे हजार गुना बेहतर हैं। वे लोग निकम्मे हैं जो एक तरह से इस प्रगतिशील आन्दोलन की बुराई करते हैं, जो इसका संचालन करते हैं, मगर संचालन इस प्रकार करते हैं कि वह बदनाम हो जाय। अपने अपने जिलों के बारे में और साथी इस सम्बन्ध में बोलेंगे और उन के जिलों में इस विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका दिग्दर्शन करायेंगे। एक एक जिले में किस किस तरह का भ्रष्टाचार और कुनबा परस्ती का बोल बाला है उस की मिसालें एक एक कर के वे आपके सामने पेश करेंगे। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो इसका मूलभूत सिद्धांत है उसके आधार पर अगर आप अपने इरादों को मजबूत करके खड़े नहीं होते, तो जो कुछ आप कर रहे हैं यह सब बेकार होगा। इस के लिए आप को अपने इरादे मजबूत बनाने पड़ेंगे। इस तरह की बातें क्यों आती हैं कि माननीय मन्त्री जी सहकारी खेती के बारे में बोलते हुए घबराते हैं? वे क्यों सहकारी खेती के सम्बन्ध में कुछ कहते हुए घबराते हैं? अगर इस तरह की बातें की जायेंगी तो किसान निराश हो जायगा और इस प्रदेश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी।

हमारे प्रदेश में १९ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास एक भी बिस्वा जमीन नहीं है और जो किसान कहलाते हैं। इस प्रदेश में अगर कुल मिला कर देखा जाय तो ५० फी सदी किसान ऐसे हैं जिन के पास ५ एकड़ से कम जमीन है। इसके अलावा जिन के पास एक एकड़ जमीन है वे १३ फी सदी हैं। जिन के पास ढाई एकड़ है वे साढ़े १७ फीसदी हैं, १७ फीसदी किसान ऐसे हैं जिन के पास ५ एकड़ जमीन है ; और १७ फी सदी, जिन के पास ५ एकड़ है। अगर उन को भी मिला दिया जाय तो ६६ फी सदी किसान बैठते हैं। इन को जब हम सहकारी खेती के अन्दर संगठित नहीं करते, जब तक उन के खेतों को इकट्ठा करके उन के अन्दर यह प्रेरणा नहीं पैदा करते कि इसी आधार पर खेती की पैदावार बढ़ सकती है ; और अगर ऐसा नहीं किया गया तो न कुछ हो सकता है, न किसान जनता आन्दोलन में संगठित हो सकती है और न इस प्रदेश की जनता अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अगर इस प्रदेश की खेती की पैदावार सहकारिता द्वारा नहीं बढ़ती और किसान अपना योगदान इस अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण में नहीं देता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह सहकारी आन्दोलन आगे नहीं बढ़ सकता है और हमारी प्रगति भी नहीं हो सकती है। लेकिन कुल मिला कर के हमारे प्रदेश में साढ़े १५ फी सदी किसान हैं जिन के पास

[आचार्य दीपंकर]

२५ एकड़ से ऊपर जमीन है और साढ़े १३ फी सदी वह किसान हैं जिन के पास १० एकड़ से २० एकड़ तक जमीन है—उन्हीं को किसान समझा गया है।

जो लोग सहकारी खेती की मुखालिफत में किताबें लिखते हैं वह भी उन्हीं १५ फी सदी को किसान समझते हैं और कृषि मन्त्री भी और सरकार भी इस समस्या से बचना चाहती है, वह भी इन १५ फी सदी को किसान समझती है। लेकिन किसान ८० फी सदी हैं, आज अगर उन को अच्छी तरह से, मजबूत इरादे से समझाया जाय कि किस प्रकार से इस देश का और उनका उत्थान होगा तो वह आसानी से सहकारी खेती के अन्दर शामिल हो सकते हैं और प्रदेश का आर्थिक ढांचा बना सकते हैं ; लेकिन सरकार को स्वयं सहकारिता पर विश्वास नहीं है। वह समझती है कि जवाहरलाल जी का एक वहम था और उन्होंने नागपुर में जोर लगाकर के एक बात कह दी और बार बार जैसा कि मन्त्री जी कह रहे थे कि ऊपर से हुक्म आया, ऊपर से हुक्म आया, तो क्या कोई उस ऊपर से इलहाम आया था ? वह तो एक नीति है केन्द्रीय सरकार की और यहां की सरकार की भी वही नीति होनी, चाहिए और उस पार्टी की भी वही नीति होनी चाहिए, जैसा कि नागपुर का प्रस्ताव था ; लेकिन यह वह मिनिस्टर हैं और यह वह सरकार है जो चोरी से उस प्रस्ताव को फोड़ कर फेंक देना चाहते हैं, मगर हिम्मत नहीं कहने की कि प्रस्ताव गलत था। यह सरकार ही है जिन्होंने सहकारिता के प्रति अविश्वास को प्रदेश की सारी जनता में फैला रखा है। सहकारिता आज एक गाली हो गयी है। कल तक जो लोग हिम्मत नहीं कर सकते थे सहकारिता की मुखालिफत करने की आज उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की जनवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए तमाम मीटिंगें हो रही हैं।

मिनिस्टर और सरकार स्वयं अविश्वासी हैं, उन को सहकारिता की नीतियों पर ऐतकाद नहीं है और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का वह हौसला बढ़ाते हैं। इस प्रकार उनका एक बड़ा भारी जमघट और संगठन उन के द्वारा संगठित किया गया है। इसी तरह से एक एक बात को देखा जाय कि नागपुर के प्रस्ताव से मुझको व्यक्तिगत रूप से और मेरी तरह से सोचने वाले कितने ही आदमियों को विश्वास पैदा हुआ था कि कांग्रेस बड़ी तेजी के साथ प्रगतिशीलता के ऊपर, समाजवाद के ऊपर कदम बढ़ाती जा रही है और हम ने यह सोचा था कि कांग्रेस के इस ढांचे का, उस के उस प्रगतिशीलता के प्रस्ताव का विरोध करने वाली जो ताकतें हैं वह अलग हटती चली जायंगी और आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस भी एक प्रोग्रेसिव और सोशलिस्ट संगठन बन जायगा। लेकिन हम यह देखते हैं कि इन्हीं अविश्वासी नेताओं और मिनिस्टरों की वजह से आज कदम कदम पर कांग्रेस के संगठन पर प्रतिक्रियावादी ताकतों का कब्जा होता चला जा रहा है। कांग्रेस के नारे प्रोग्रेसिव और समाजवादी होते जा रहे हैं और प्रोग्राम भी डेमोक्रैटिक होता जा रहा है; लेकिन इन्स्टीट्यूशन के ऊपर जो प्रतिक्रियावादी हैं, जनता के दुश्मन और मुखालिफ हैं उनका कब्जा होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि स्वतंत्र पार्टी का संगठन भी इस नागपुर के प्रस्ताव ने पैदा किया। इस देश की जनता का कोई उस से फायदा नहीं हुआ और उस पाखंडपूर्ण प्रस्ताव की वजह से उस की बुहाई से इस देश में स्वतंत्र पार्टी का जन्म हुआ जो कि प्रगतिशीलता और समाजवाद की मुखालिफत करने वाली पार्टी है। मैं आप से अर्ज करूं कि एक एक कर के जितने आंकड़े मन्त्री जी की तरफ से गिनाये गये हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि मेरठ के अन्दर पिछले ३ साल से मैं देखता हूं कि अगर एक कोआपरेटिव सोसाइटी संगठित करनी हो तो इस लेजिस्लेचर को भी परेशानी हो और ८ महीने धक्के खाकर, साल भर तक धूल फांक कर के भी, अगर यूनियन रजिस्टर्ड करा ली तो बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इस प्रकार से आफिसर्स बिठाये गये हैं, इतनी रेड टैपिज्म, अफसर-शाहियत और मगरूरियत इस मुहकमे में है जितनी किसी दूसरे मुहकमे में नहीं है।

मैं अधिष्ठाता महोदय, अपना तजुर्बा बताना चाहता हूं कि जरा सी बुनकरों की यूनियन को संघटित करने के लिए पूरे ८ महीने लग गये। पिछले तीन साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन तीन चार गांवों के बुनकरों को मेहनत करने और परेशानी उठाने के बावजूद भी जो सहूलियतें

कि आज कानून में लिखी हैं और जिनका वर्णन करते हुये यहां पर मन्त्री जी थकते नहीं, उन सहूलियतों को हासिल करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ा और रकम खर्च करनी पड़ी। इसी प्रकार से एक बिजनौर के सज्जन आये उन्होंने बतलाया कि वहां एक कोआपरेटिव बैंक है जिसमें भाई भतीजावाद बड़ी जोरों से चलता है। वहां से ५० हजार एक साहब ले गये और दूसरे १५ हजार ले गये और एक तीसरे सज्जन जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा जिनपर कि मिनिस्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है वह भी ५० हजार ले गये और एक सदस्य महोदय हैं, बताया जाता है कि ५० हजार वह ले गये। तो आपने तो रुपया बैंक को दे दिया और यहां पर आंकड़े बता दिये जाते हैं कि बिजनौर की बैंक में जनता के लिए इतना रुपया दिया गया है; लेकिन वहां पर आपने रुपया दिया किसको है, वहां पर तो कोई ५० हजार ले गया, कोई ३५ हजार ले गया और कोई १५ हजार ले गया। तो इस तरह से अगर बिजनौर की जनता के नाम पर और बिजनौर की बैंक के नाम पर कुछ लोग गुलछर्रे उड़ायें तो उस से जनता को क्या फायदा हुआ ?

इसी प्रकार से एक सज्जन सुल्तानपुर से आये, उन्होंने बतलाया कि वहां पर सनई का बीज खरीदा गया जनता को देने के लिए । वहां पर सनई का बीज खरीदने में जो भ्रष्टाचार हुआ उस में करीब ढाई लाख रुपये का गड़बड़ हो गया। वहां पर करीब ५ लाख रुपये का बीज खरीदा गया जिस में २५ फी सदी बीज ऐसा था जिस में मिट्टी थी, रोड़े थे और कंकड़ियां थीं और ५० फी सदी बीज तो ऐसा था जो जम ही नहीं सकता।

श्रीमन्, यह ऐसा जिस्म है कि इसकी जिस रग को भी छुआ जाय उसी में दर्द हो जाता है। तो जो सहकारी कृषि का नाम यह लेते हैं उस को करना नहीं चाहते और दूसरे यह कि मुहकमें के अन्दर बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सरकार इस बात का इरादा कर ले कि वह इस आन्दोलन को जैसे दूसरे मुहकमे चलते हैं रूटीन तरीके से--हालांकि वह चल जाते हैं---उसी प्रकार से इस मुहकमे को भी रूटीन तरीके से चलाना चाहे तो यह नहीं चलने का। यह मुहकमा एक रेवोल्यूशनरी मुहकमा है, समाज में इन्कलाब लाने वाला मुहकमा है, पुरानी व्यवस्था के खंडहर पर नयी व्यवस्था के निर्माण का यह मुहकमा है, इसका कार्य रूटीन से नहीं चल सकता। इस में जो रेवोल्यूशनरी जील होती है उसकी बुनियाद पर यह मुहकमा चल सकता है, रूटीन तरीके पर नहीं चल सकता हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि सब से ज्यादा रूटीनवादी इस मुहकमे में बैठे हैं, सब से ज्यादा काहिल इसी विभाग में हैं जो कि सिर्फ कागजों का पेट भरना चाहते हैं। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ वर्करों ने अपने पेट काटकर २० रुपये बचाये और कोआपरेटिव सोसाइटी में दिये यह सोचकर कि इस से साधन इकट्ठे होंगे और जब साधन इकट्ठे होंगे तो उन से हम अपने श्रम की व्यवस्था करेंगे और अपनी जीविका का साधन बनायेंगे, लेकिन वह उनका रुपया तो बैंक में जमा हो गया और उस के साल भर तक उन को एक पैसा भी मिला नहीं। जो अफसरान जाते हैं वह एक के बाद एक रिपोर्ट लिखते जाते हैं, लेकिन उस से नतीजा कुछ भी नहीं होता।

श्रीमन् मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मन्त्री जी इस मुहकमे को चलाना चाहते हैं और उन को अगर नागपुर के प्रस्तावों से कोई प्रेरणा न मिली हो तो उन में कम से कम जो पुरानी समाजवाद की भावना है उस को जाग्रत करें और इस मुहकमे को चलाने का प्रयत्न करें। मगर मन्त्री जी तो इसको रूटीन तरीके से ही चलाना चाहते हैं जिस तरह कि दूसरे मुहकमे चल रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय न लेकर आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन और सहकारी खेती के ऊपर ही इस प्रदेश और देश का निर्माण निर्भर करता है। आगे सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलन का तथा समाज सुधार का भविष्य इसी के ऊपर निर्भर करता है कि अगर सहकारी आन्दोलन सफल होता है तो प्रगतिशील शक्तियों का आन्दोलन भी सफल होता है और अगर सहकारी आन्दोलन विफल होता है तो दकियानूसी और प्रतिक्रियावो

[आचार्य दीपंकर]

शक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार से देश की प्रगतिशील शक्तियों की सफलता और विफलता सहकारिता आन्दोलन की सफलता या विफलता पर निर्भर करती है। इस वजह से इस सरकार का उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस आन्दोलन के प्रति। इस लिए जब तक इस आन्दोलन के प्रति अना दर की मान्यतायें समाप्त नहीं होतीं, जब तक इस आन्दोलन को ईमानदारी से चलाया नहीं जाता, जब तक जोश के साथ इसमें अग्रसर नहीं हुआ जाता, तब तक उस आर्थिक ढांचे को हम नहीं बना सकते जिस को बनाने का हमारा ध्येय है। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)——अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आचार्य दीपंकर जी के बाद बोलने से मेरा काम बहुत हल्का हो गया। जब किसी नीति को स्वीकार कर लिया जाता है, तब उस की प्रगति कैसे हो, उस के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कमियां हैं, आदि प्रश्न गौण हो जाते हैं। फिर तो हम कोशिश करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही सकते हैं। अपोजीशन की ओर से जिन विभिन्न अनुदानों के लिए विभिन्न सज्जनों को चुना जाता है, उस से मुझे ऐसी आशंका थी कि इस अनुदान के अननुमोदन के लिए किसी राजा साहब को चुना जायगा तथा वे ही इस के लिए कटौती का प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन यह बात कि इस के लिए आचार्य दीपंकर जी चुने गये, इस बात का प्रतीक है कि अपोजीशन के अधिकांश माननीय सदस्य इस नीति का समर्थन करते हैं तथा स्वागत करते हैं।

मान्यवर, जहां तक सहकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है, अगर पुराने इतिहास के पन्ने लौटे जायं अथवा भारत के आधुनिक इतिहास के पन्ने लौटे जायं, भारत के लिए यह कोई नयी चीज नहीं है। आज से एक हजार वर्ष पहले जो ग्राम व्यवस्था थी वह भी सहकारिता के आधार पर ही थी। ज्वाइन्ट हिन्दू फैमिली भी सहकारिता के आधार का ही प्रतीक है। अगर आधुनिक इतिहास के पन्ने पलटे जायं तो भी हमारे यहां काफी समय से सहकारिता चल रही है। लेकिन जहां तक उस में प्रगति का प्रश्न है १९५९ के नागपुर रिजोल्यूशन ने इस को एक नया मोड़ दिया। पहली बार इस को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में देश के सामने रखा और इस तरह देश के सामने उस के महत्व को बढ़ाया। जैसा कि आचार्य दीपंकर जी ने कहा कि इस प्रस्ताव से वस्तुतः प्रतिक्रियावादी और प्रोग्रेसिव शक्तियां अलग अलग रास्ते पर चलने लगीं और देश के लिए विचार की यह एक चीज बन गयी। मैं आप के द्वारा दीपंकर जी से यह निवेदन करूंगा कि यदि उन्हें राजाजी के आन्दोलन, जिसकी तरफ उन्होंने संकेत किया, से कोई कष्ट है, अगर प्रतिक्रियावादी शक्तियों को इस समय से वे पनपने देना नहीं चाहते हैं, तो उसका एकमात्र साधन यही हो सकता है कि वे घर आकर बैठें और कांग्रेस के हाथ, इस कार्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए मजबूत करें।

जहां तक सहकारिता की बात है, हमारे देश में १९१२ में जो दिल्ली में दरबार हुआ था उस में भी इसका प्रोक्लेमेशन किया गया था, उस में भी सहकारिता के लक्ष्य की ओर आह्वान किया गया था। उस समय से किसी न किसी रूप में सहकारिता का आन्दोलन चलता रहा। लेकिन इस १९५९ के प्रस्ताव के बाद जब से हमने इस को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में माना, तब से हमारे ऊपर एक नया उत्तरदायित्व आ गया है उस को कार्यान्वित करने के लिए। इस के लिए हमें नया मूल्यांकन करना होगा, नये तरीकों का अनुसरण करना होगा।

मान्यवर, मैं निःसंकोच यह कह सकता हूं कि सन् १९५९ का वर्ष हमारे प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन में एक क्रान्तिकारी वर्ष रहा। इसी समय हमारे यहां लैंड मारगेज बैंक की स्थापना हुई जो एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा और कर रहा है।

श्रीमन्, सारे देश में सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाने का टार्गेट २०,००० का था जिसमें से हमारे प्रदेश ने १०,००० सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाने का दायित्व अपने ऊपर लिया जो हमारे लिये गौरव की बात है; और उससे भी ज्यादा गौरव की बात यह है कि इसमें ५ वर्ष या ३ वर्ष न लग कर कुछ महीने में वह टार्गेट पूरा हो गया है। मान्यवर, जब बजट पर सामान्य विवाद हो रहा था तो उस वक्त कहा गया था कि १२० ६ हजार सोसाइटीज में ही पिछली ४ हजार सोसाइटियों को शामिल कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई नयी व्यवस्था हो तो यह उचित नहीं है कि उसमें डुप्लीकेशन हो। जो एक्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन्स हों उनको भी उसी में शामिल कर देना चाहिये। तो जो पुरानी सोसाइटीज काम कर रही हैं उनके स्कोप को विस्तृत कर दिया गया है और उनको उस जगह से लाकर सर्विस कोआपरेटिब्ज का रूप दे दिया गया है ताकि उनका डुप्लीकेशन न हो। इस बात के लिये भी मैं सहकारिता विभाग को बधाई देता हूं कि इतने थोड़े समय में उसने इतने ज्यादा गांवों को कवर कर लिया है और मेम्बरों की संख्या भी ९२.७ प्रतिशत बढ़ गयी है। यह काफी संतोष का विषय है। इससे यह आशा होती है कि हम नये भविष्य की ओर प्रगति के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन मान्यवर, मैं इस स्टेज पर यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रगति की कसौटी केवल यह नहीं हो सकती कि जितनी संख्या में सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाने का हमारा लक्ष्य था उन तमाम को इतने समय में हमने बना दिया बल्कि सही कसौटी यह है कि उनको हम जनता के लिये कहां तक उपयोगी साबित करते हैं। अगर इस लक्ष्य को अपने सामने रख कर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो कदाचित् हम कोआपरेटिव्ज सोसाइटीज को उस लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक नहीं होंगे।

मान्यवर, मेरा विश्वास है कि इस सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाने के लिये बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिये हमको पब्लिक को ज्यादा एजूकेट करना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी, ताकि सारा प्रदेश इस नये मूवमेंट के महत्व को समझ सके।

श्रीमन्, मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब कोई नयी बात सामने आती है तो मन में शंका होती है कि हम अपनी पुरानी रूढ़ियों से हट कर कहीं गढ्ढे में तो नहीं जा रहे हैं; ऐसी शंकायें मुझे कल से आज तक के भाषणों में भी देखने को मिलीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार प्राइमरी एजूकेशन से लेकर उच्च कक्षाओं तक के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करे जिसमें सरल भाषा में कोआपरेटिव सिस्टम के सम्बन्ध में लेख दिये हों और जिससे बच्चे उसके महत्व को अच्छी तरह से शुरु से ही समझ सकें। आपके जो नार्मल स्कूल्स हैं उनमें भी इसके कोर्स इन्ट्रोड्यूस करें जिससे टीचर्स की आर्मी जो सारे देश और प्रदेश में है उसको समझ सके और शुरू से ही बच्चों को उस ओर ले जाने की चेष्टा करे। एक नया यू० पी० कोआपरेटिव कालेज खोला जाय जिसमें ऊंचे स्तर पर कोआपरेटिव के शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि भविष्य में जब कभी उनके ऊपर कोआपरेटिव मूवमेंट को चलाने का दायित्व आवे तो उसके महत्व को वे जान सकें और उसके जानकार हो सकें। मैं इससे भी पूर्णतः सहमत हूं कि हमें कोआपरेटिव मूवमेंट में रेडटैपिज्म को अवश्य खत्म करना होगा। यह लालफीताशाही और कोआपरेटिव दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो हमें विभिन्न दिशाओं में ले जाती हैं। अगर इस विषय में रेडटैपिज्म रहा तो हम जिस लक्ष्य की ओर इस विभाग के द्वारा जाना चाहते हैं उधर हम प्रगति न कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस विभाग में डिआफिशियलाइजेशन भी होना चाहिये, शक्ति अधिक से अधिक आफिशियल्स के हाथ से निकल कर जनता के हाथ में पहुंचनी चाहिये।

एक बात की ओर मैं और संकेत करूंगा कि जहां तक गांव की कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की बात है और जहां तक आसानी से कर्जे की व्यवस्था के लिये प्रबन्ध की बात है आज जरूरत है कि जिस तरह से गांव में इन की जरूरत है उसी तरह से अरबन क्षेत्र के लिये भी यह कर्जे की सोसाइटियां हों। निम्न स्तर के मजदूर वर्ग आदि के लिये सहायता पहुंचाने के लिये भी हमें कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को बढ़ावा देना चाहिये।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

तीसरी बात यह है कि पिछले २–३ साल में हमारे यहां हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बड़ी सफल हुई हैं और उन्होंने जनता की एक ही आवश्यकता की पूर्ति की है। मैंने जब इस साल के बजट को देखा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनकी प्रगति को उसी तरह से आगे बढ़ाने का सरकार का कदाचित् इरादा नहीं है कि जिस तरह से पिछले दो तीन सालों में उन को चलाया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से मकानों के लिये सहकारिता के आधार पर कर्जा देने की जो व्यवस्था थी वह बड़ी उपकारी साबित हुई है, उस को जरूर बढ़ावा मिलना चाहिये क्योंकि उन से निम्नवर्ग और मध्यवर्ग के लोगों को मकानों का प्रबन्ध करने में काफी सहायता मिली है।

एक आखिरी बात की तरफ मैं आपके द्वारा मंत्री जी की तवज्जह और दिलाना चाहता हूं कि मिल्क कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी आगे बढ़ाया जाय क्योंकि आज हमारी दिक्कत यह है कि हमें एडल्ट्रेटेड मिल्क मिलता है और दूध भोज्य पदार्थों में से एक आवश्यक चीज है और वह भी अगर एडल्ट्रेटेड मिले तो बड़े दुख की बात है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि चाहे शुरू में घाटे से ही काम चले इन दूध के सहकारी संघों को बढ़ाया जाय। अब तक हमारे यहां दूध की डेरी बहुत कम हैं। शहर भी देश के अंग हैं; अगर उनमें अच्छे दूध की व्यवस्था न होगी और न्यूट्रीशन वहां के निवासियों को न मिलेगा तो प्रदेश के दिमाग कमजोर होंगे....

श्री मोतीलाल अवस्थी—डेरीज में भी तो मिलावट है।

श्री अधिष्ठाता—आप अवस्थी जी की बातों को न सुनें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—सुनने की इच्छा भी करें तो उनकी बात को समझना कठिन है। मैं कह रहा था कि दूध की डेरीज खोलने का प्रबन्ध किया जाय। हमारा उनका पिछला अनुभव यह है कि इन दूध की डेरीज के लिये जानवरों का रखना भी अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें बड़ी दिक्कत होती है, अच्छा हो कि अगर जानवर गांवों में ही पलें और डेरीज शहर और गांवों के बोर्डस पर कायम हों तो काम चल सकता है और दूध की दिक्कत दूर हो सकती है।

अब आखिरी बात यह है कि ८ ३/४ प्रतिशत की जो सूद की दर है वह बहुत अधिक है, इसकी ओर भी मंत्री जी ध्यान दें। यह ठीक है कि दूसरी जगहों के मुकाबले में यह दर अच्छी है, लेकिन इसको यदि कुछ और कम किया जा सके तो निश्चय ही उससे किसानों को लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े गौर के साथ माननीय मंत्री जी की और कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय दीपंकर जी तथा माननीय जगदीश शरण जी की वक्तृता सुनी और समझने का प्रयत्न किया कि इन तीनों वक्तृताओं में सहकारी कृषि के बारे में क्या कहा गया। मगर सिवाय इसके कि प्रतिक्रियावादी, प्रगतिशील, समाजवादी और कुछ पुराने घिसे हुए शब्दों के और कुछ सुनने में नहीं आया। इसलिये मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों ये सहकारी खेती करना चाहते हैं, इसका क्या कारण है? मैंने जो पढ़ा और समझा तथा बड़े नेताओं की बातों से निष्कर्ष निकाला.....

श्री मोहनलाल गौतम—आप अनुदान के समर्थन में बोल रहे हैं या विरोध में?

कुंवर श्रीपालसिंह—आप पूरा सुन लीजिये, फिर भी न समझ में आवे तो...

श्री अधिष्ठाता—मैं बताना चाहता हूं कि यह पार्लियामेंट्री भाषा नहीं है कि "आपको समझ में न आवे।" उसको किसी दूसरी तरह से कहना चाहिए। एक दूसरे से इस तरह से नहीं कहना चाहिए।

कुंवर श्रीपालसिंह--मुझसे गलती हुई मैं उसे वापस लेता हूं । जिस ढंग से चाहें उस ढंग से कह दूं । मंत्री जी ने शुरू में ही कहा था कि बड़े बड़े लोग समझाने आये थे । मैंने सोचा कि मैं तो तुच्छ सा आदमी हूं, मैं क्या समझा पाऊंगा जब इतने बड़े-बड़े नहीं समझा पाये ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने जो समझने का प्रयत्न किया कि ये सहकारी खेती को क्यों लाना चाहते हैं तो मेरी समझ में यह आया कि इसके तीन कारण हैं । जैसा इन नेताओं ने अपने वक्तव्यों में समय समय पर कहा है -पहला उपज बढ़ाना, दूसरा बेरोजगारी दूर करना और तीसरा प्रजातंत्र का पोषण जिससे हो, उसका फैलाव हो । मैं पहले उपज बढ़ाने की बात को लेता हूं । उपज बढ़ाने के दो तरीके हैं । एक वैज्ञानिक प्रथा और दूसरे कला विवरण यानी (टेक्नोलाजी) ये दो तरीके अपनाए जाएंगे तो उपज बढ़ेगी । वैज्ञानिक प्रथा में क्या-क्या चीज आती है ? उन्नत किस्म का बीज और रासायनिक खाद । टेक्नोलाजी में बुवाई, जुताई और सिंचाई के ढंग आते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन चीजों को छोटे फार्म पर लगाने से या बड़े फार्म पर लगाने से कहां कमी और बेशी का फर्क पड़ेगा ? इन चीजों को छोटी होल्डिंग पर किया जाय तो भी उपज बढ़ सकती है और इन्हीं चीजों को बड़ी होल्डिंग पर किया जाय तो भी उपज बढ़ सकती है । इसलिये यह कोई जरूरी नहीं है कि केवल छोटे-छोटे खेतों को मिला कर बड़ा बना कर सहकारी खेती ही उपज बढ़ाने का एक मात्र तरीका हो ।

दूसरी बात है बेरोजगारी की । कैसे दूर होती है ? उसके दो तरीके हैं--पहला कार्य-क्षेत्र का विस्तार । जितने क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसको अधिक बढ़ा दिया जाय यानी काम अधिक कर दिया जाय, ज्यादा लोग कार्य में लग जाएंगे और बेकारी दूर हो जाएगी । दूसरा तरीका है कार्य-रत व्यक्तियों की कमी । जो काम करने वाले आदमी हैं उनकी संख्या घटा दी जाय, चाहे जिस तरीके से । मैं जानना चाहूंगा कि सहकारी खेती करने से, जिस गांव में सहकारी खेती होगी उस गांव का रकबा भी छोटा या बड़ा हो जायगा, यानी जमीन का रकबा क्या बढ़ जाएगा, या उस गांव की आबादी कम हो जाएगी । अगर रकबा बढ़ता नहीं है और न आबादी कम होती है तो बेरोजगारी कैसे खत्म होगी ? जितने आदमी आज काम में लगे हुए हैं उतने ही उस वक्त भी काम पर लगे रहेंगे । तो इस तरह से इस दूसरी बात की पूर्ति में भी सहकारी खेती की जरूरत नहीं है ।

श्रीमन्, तीसरी चीज जो है वह जुताई, बुवाई और सिंचाई के साधन हैं । मैं जानना चाहूंगा क्या एक एकड़ में जो खेती होगी उसमें जो गेहूं बोया जायगा वह क्या १० इंच नीचे बोया जायगा और १,००० एकड़ वाले खेत में १ इंच नीचे बोया जायगा ? जहां भी बोया जायगा एक खास नीचाई पर ही बोया जायगा और उसी में पैदा होगा अन्यथा नहीं । इसलिये यह भी सिद्ध हो गया कि जुताई चाहे छोटे खेत में हो या बड़े खेत में हो एक किस्म की ही होगी और पैदावार भी एक किस्म की होगी । लेकिन ऐसा विचार आया क्यों इन लोगों के दिमाग में कि सहकारी कृषि से ही उन्नति हो सकती है ? इसका कारण मैं समझता हूं कि जो इस आन्दोलन को जन्म देने वाले हैं, इसका प्रसार करने वाले हैं, पृष्ठ-पोषक हैं, जो भी महान सज्जन हैं वह सब के सब भूमिहीन हैं उनके पास बिसवा भर भी जमीन नहीं है, उन्होंने खेती नहीं की, उन्होंने हमेशा गज चलते देखा है, लाठा चलते हुए नहीं देखा । यही कारण है कि वे उसके तत्वों को नहीं जानते हैं और जब पूछा जाता है तो कतरा कर इधर-उधर भागने का प्रयास करते हैं ।

अब यह देखा जाय कि प्रजातन्त्र का पोषण सहकारी कृषि द्वारा किस प्रकार होगा ? प्रजातन्त्र का पोषण होता है दो चीजों से, व्यक्तित्व का विकास पहली चीज, दूसरी चीज आत्म निर्भरता । यह दो गुण मनुष्य में जब आयेंगे तब प्रजातन्त्र का विकास हो सकता है । मगर सहकारी कृषि के द्वारा दोनों का हनन होता है । व्यक्तित्व का विकास उसी हालत में हो सकता है जबकि मनुष्य अपने को स्वतंत्र अनुभव करे, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सके,

[कुंवर श्रीपालसिंह]

अपनी चीजों के ऊपर अपनी भावनाओं, इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट कर सके, तभी व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। किसी व्यक्ति को नौकर बना दिया जाय, गुलाम बना दिया जाय, नौकरशाही के फंदे में बांध दिया जाय तो व्यक्तित्व का विकास कभी भी नहीं हो सकता, यह ध्रुव सत्य है। आत्म निर्भरता का जहां तक प्रश्न है अभी तो श्रीमन्, किसान अपनी इच्छा से जो भी करता है उसमें लाभ होता है तो प्रसन्न होता है, अगर घाटा होता है तो स्वयं नुकसान उठाता है और उससे आगे के लिये सीखता है और आगे जा कर उस नुकसान से बच करके काम करता है। इसमें उसमें आत्म निर्भरता की भावना जागृत होती है। मगर जिस समय शहर के बाबू लोग, कालेजों के पढ़े हुए लोग, डिप्लोमा लिये हुए लोग गांवों में जाकर खेती करना बतायेंगे, अपनी राय चलायेंगे और किसान की बात नहीं सुनेंगे, सहकारी खेती चंद लोगों के हाथों में चली जायगी और नतीजा यह होगा कि जो आत्म-निर्भरता आज किसान में है वह भी श्रीमन्, समाप्त हो जायगी। इसलिये मेरी समझ से जो तीन उद्देश्य सहकारी कृषि के रखे गये थे वे तीनों ही सहकारी कृषि से निष्फल होते हैं। मैं मंत्री जी का आभारी हूंगा यदि वह अपने उत्तर में मेरी शंकाओं का जबाव देंगे।

अब श्रीमन्, मैं सहकारी कृषि द्वारा उपज बढ़ाने का जो भ्रम लोगों के दिमागों में गूंजता है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं आंकड़े दे करके इसको साबित करना चाहता हूं जहां सहकारी से भी एक हाथ आगे बढ़ करके सरकारी खेती हो रही है। १९५० में रूस में २.८ मैट्रिक क्विन्टल फी एकड़ गेहूं पैदा हुआ। उसी सन् में डेनमार्क में जहां निजी खेती होती है, भारत की तरह, वहां १४.२ था। इस जगह पर मैं दिखाना चाहता हूं कि समाजवाद का ढोंग बनाने वाले, दुनिया को प्रतिक्रियावादी कह देने वाले जरा इसको देखें और समझें। अब थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आचार्य जी ने एक बात स्पष्ट कही जिस चीज को मंत्री जी कहने में हिचक गये कि सहकारी कृषि से ही उपज बढ़ेगी, लेकिन कोई तरीका नहीं बतलाया कि किस तरह से सहकारी कृषि से उपज बढ़ेगी। मैं समझता था कि उनकी वक्तृता से कुछ लाभ होगा, लेकिन मैं वहीं रह गया जहां मंत्री जी की वक्तृता सुनने के पहले था।

माननीय जगदीश शरण ने बड़ी प्रगतिशीलता की दुहाई दी और प्रतिक्रियावाद के प्रचार व प्रसार का जिक्र किया। मगर मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रतिक्रियावाद और प्रगतिशीलता के अर्थ क्या हैं। प्रतिक्रिया शब्द के अर्थ जहां तक मैं समझता हूं आजकल लेटेस्ट जो साइंटिफिक थ्योरी है आइंस्टीन की वह यह है कि किसी क्रिया के विरोध में जो क्रिया होती है वह प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया उस क्रिया की विपरीत दिशा में दुगुनी तेज होती है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रतिक्रिया किसी क्रिया के विरोध में होती है। तो जो आपने कहा प्रतिक्रिया, तो किसकी प्रतिक्रिया हुई? भ्रष्टाचार की प्रतिक्रिया देखी जाय तो सच्चाई आती है। अगर श्रीमन्, चोरी की प्रतिक्रिया देखी जाय तो ईमानदारी आती है। अगर किसी को बहकाने की प्रतिक्रिया देखी जाय तो सच बात कहने की आती है। तो यह स्वतंत्र पार्टी प्रतिक्रिया किस क्रिया की है—उस क्रिया की है जो क्रिया आप कर रहे हैं, प्रतिक्रिया है उस समाजवाद की जिसके अन्दर एक तमाशा बना कर एक अलल्टप्प बात कही जाती है। मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं। वह वास्तव में प्रतिक्रियावादी शक्ति उपरोक्त अर्थ में है और रहेगी।

अब श्रीमन्, जरा प्रगतिशीलता को भी देखिये। प्रगतिशील शब्द के मानी क्या हुए। "प्र" के मानी विशेष और "गतिशील" के मानी गति से चलना। अब अगर पैर से चला जाय तो फिर उसमें विशेषता क्या हुई? वह तो साधारण गति से ही चलना हुआ, इसलिये तो प्रगतिशील के मानी यह हुए कि पैरों के बजाय सिर के बल चलना। यह है प्रगतिशीलता। मैं इस प्रगतिशीलता तथा प्रतिक्रियावाद को सत्य हृदय से कबूल करता हूं। लेकिन यह शीर्षासन करके चला जायगा तो जहां आप हैं वहीं रहियेगा। सर चलने के लिये नहीं बनाया गया है, दूसरी चीज के लिये बनाया गया है। सोचने तथा बुद्धि के निवास के लिये बनाया गया है। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि माननीय तीनों सदस्यों ने सिवा प्रगतिशीलता तथा प्रतिक्रियावाद शब्दों

के इस्तेमाल करने के सहकारी कृषि पर कतई प्रकाश डालने की कोशिश नहीं की। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान समर्थन करूं या आचार्य जी की कटौती का समर्थन करूं क्योंकि मैं तो यह देखता हूं कि ये तीनों एक में ही सोशलिस्ट यूनिटी के नाम के गांद से चिपके हुए दिखाई देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—राजनारायण जी ने एक शंका प्रकट की थी कि माननीय कृषि मंत्री बिना राज्यपाल महोदय की आज्ञा के यह अनुदान पेश कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने फाइल देख ली है और हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि माननीय राज्यपाल जी की सिफारिश १६ फरवरी को आ गई थी और मैं उसको पढ़ कर सुना भी देना चाहता हूं :

"भारत का संविधान के अनुच्छेद २०३ (३) के अनुसार मैं, वैंकटराव वराहगिरि, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश यह सिफारिश करता हूं कि १९६०-६१ के अनुदानों की मांगें जिनका संलग्न खंड में विवरण दिया है उत्तर प्रदेश की विधान सभा में प्रस्तुत की जायं।"

श्री राजनारायण—श्रीमन्, "मांगें प्रस्तुत की जायं", इसका जरा स्पष्टीकरण किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—बजट लिटरेचर के खंड ४ में सारी मांगें दी हुई हैं और जो पत्र यहां से गया था उसी के साथ गवर्नर महोदय को बजट लिटरेचर का खंड ४ भेज दिया गया था। उसी का उन्होंने हवाला दिया है और यह कहा है कि मैं सिफारिश करता हूं कि मांगें पेश की जायं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने यह कहा है कि यह १६ फरवरी का पत्र है। बजट पेश करने के लिये जो आपके कार्यालय से श्री देवकीनन्दन मित्थल, सचिव की ओर से हम लोगों के पास कार्यक्रम गया था उसमें यह लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़े दे रहा हूं :

"भारत का संविधान के अनुच्छेद २०५ तथा २०२ के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १९५ तथा १८४ के अनुसरण में राज्यपाल महोदय ने वित्तीय वर्ष १९५९-६० के द्वितीय पूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये १० फरवरी, १९६० का दिन तथा वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक को प्रस्तुत करने के लिये १३ फरवरी, १९६० का दिन (समय साढ़े ३ बजे) निर्धारित किया है।"

अब मेरी आपत्ति इस सम्बन्ध में यह है कि उस दिन माननीय अध्यक्ष यहां पर विराजमान थे। उनसे हमने यह शंका की थी कि १३ फरवरी को शनिवार का दिन था और शनिवार का दिन सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था तो राज्यपाल महोदय ने किस हैसियत से १३ फरवरी, को जो कि कार्य का दिन नहीं है, छुट्टी का दिन है, उस दिन आय-व्यय का ब्योरा, बजट पेश करने की अनुमति प्रदान की। अध्यक्ष महोदय ने कहा इसी सदन में कि मैं राज्यपाल महोदय से इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करूंगा और यह जानकारी हासिल करूंगा। आजतक माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्यपाल जी से क्या पत्र-व्यवहार किया या उनसे क्या जानकारी हासिल की, उसकी जानकारी सदन को नहीं है। इस सम्बन्ध में हम लोगों ने भी काफी खोज बीन की और यह प्रश्न काफी विवादास्पद है कि राज्यपाल महोदय जो अपना पत्र भेजेंगे या बजट का साहित्य पेश करने के लिये अपनी अनुमति देंगे उसकी सूचना अध्यक्ष को देंगे या सरकार को देंगे। काफी विचार के साथ इस प्रश्न का निश्चय होना चाहिये क्योंकि १६८ अनुच्छेद को पढ़ा जाय, इसमें लिखा है....

श्री अधिष्ठाता—आप एलीमेंटरी बातें क्यों कह रहे हैं, मुख्य बातें कहें।

श्री राजनारायण---यही मुख्य बात है, सुन लीजिये ।

"प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मंडल होगा जो राज्यपाल तथा (क) पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई और संयुक्त प्रान्त के राज्य में दोनों सदनों से (ख) अन्य राज्यों में एक सदन से मिल कर बनेगा ।"

यानी जो हमारा विधान मंडल है, जिसके हमारे प्रदेश में दो सदन हैं, विधान सभा और विधान परिषद् । तो विधान सभा, विधान परिषद् और राज्यपाल, ये तीनों मिल कर हमारे यहां का विधान मंडल बनाते हैं । हमारा तर्क यह है कि जब विधान मंडल के सदस्य या विधान मंडल को बनाने के लिये राज्यपाल उसमें सम्मिलित हैं तो राज्यपाल जी सर्वप्रथम अध्यक्ष को सूचित करेंगे; क्योंकि विधान सभा में अध्यक्ष का स्थान सर्वोपरि है । राज्यपाल अपना संबंध रखेगा या राज्यपाल के लिये जो सलाह देने वाली कमेटी बनी हुई है वह उस मंत्रिपरिषद् को प्रथम सूचित करेगा ? मेरा कहना यह है कि जो १३ तारीख निश्चित हुई थी वह राज्यपाल महोदय ने जिस ढंग से उस समय काम किया है, मेरी समझ में वह संविधान के अनुरूप नहीं रहा है । अगर संविधान के अनुरूप रहा होता तो अध्यक्ष महोदय को लिखना चाहिये था और पूछना चाहिये था कि शनिवार के दिन हम बजट प्रस्तुत करन की सिफारिश करें या न करें । अब आपका कहना है कि राज्यपाल का पत्र १६ फरवरी का है और बजट पेश हुआ है १३ फरवरी को और १६ का कार्यक्रम हमें पहले ही दे दिया गया था । हमको बता दिया गया था कि जब बजट पेश हो जायगा तो १६ फरवरी से सामान्य विवाद शुरू होगा । जिस दिन यह बजट पेश हुआ उसी दिन वह कैसे कह दिया गया कि १६ फरवरी को सामान्य विवाद शुरू होगा जब राज्यपाल महोदय का पत्र १६ फरवरी का है कि अनुदानों पर इस तरह से विचार होगा । फिर भी यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है । २०३ जरा देख लिया जाय । इसमें यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जायगी । यह संविधान की भाषा स्पष्ट है कि हर अनुदान के लिये राज्यपाल को अलग अलग सिफारिश करनी होगी ।

श्री अधिष्ठाता---यह स्पष्ट नहीं है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप मेरी बात सुन लें ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---आप शाम को बोलेंगे ?

श्री राजनारायण---हम तो प्रकाश में बोलना चाहते हैं, अंधेरे में तो आप बोलते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---राजनारायण जी, हम आपका मतलब समझ गये हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, देखिये अगर यह भाषा होती कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान पेश नहीं किया जायगा, तब तो मैं समझता कि जो संकेत मिल रहा है उसका, वह अर्थ होता और एक साथ सब अनुदानों के लिय कह सकत थे । लेकिन इसकी भाषा है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जायगी । इसका मतलब स्पष्ट है कि हर अनुदान के लिये राज्यपाल की सिफारिश होनी चाहिये । सिंगिल अनुदान के लिये जोर देने के लिये ही "गी" शब्द इस्तेमाल किया गया है । इसलिये यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि राज्यपाल ने यह कह दिया है या संविधान की यह मंशा है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना पेश नहीं किये जायेंगे । अगर ऐसा होता तब तो मैं मान लेता कि एक साथ राज्यपाल ने कह दिया कि सब अनुदान एक साथ पेश किये जायेंगे । लेकिन जो संविधान के निर्माता रहे हैं, वह इसका महत्व समझते रहे हैं कि "गी" शब्द कहां लगाना चाहिये । इसीलिये उन्होंने रखा है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जायगी । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर बहस बंद करें और कम से कम एडवोकेट जनरल की ओपीनियन ले लें । उनको तार देकर बुलाया जाय और उनसे पूछा जाय कि संविधान की भाषा की क्या मंशा है, उसकी क्या इच्छा है और सही भाष्य क्या है । इसको सुनने के बाद

आप आगे बढ़ें । इस समय हमारी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है और विनम्र प्रार्थना है कि संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिये क्योंकि, उसकी मर्यादा सर्वोपरि है, उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी का विवाद मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना । संविधान का अनुच्छेद, जिसका माननीय राजनारायण जी ने हवाला दिया है, वह स्पष्ट यह है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायगी । जिस समय माननीय कृषि मंत्री सहकारिता के बारे में अपनी मांग पेश कर रहे थे, उस समय माननीय राजनारायण ने यह शंका प्रकट की थी कि माननीय मंत्री जी को माननीय राज्यपाल की अनुमति इसके बारे में नहीं है । मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मैं इसके बारे में जांच करूंगा और फाइल देख लूंगा । मैंने संबंधित फाइल को बड़े गौर से देख लिया है और जो विधान का अनुच्छेद है उससे साफ जाहिर है कि राज्यपाल जी चाहे अलग-अलग लिख कर भेज दें या चाहे इकट्ठे पेश करने की अनुमति दे दें । बजट को पेश करना एक और चीज है औरमांगों को पेश करना दूसरी चीज है । इस वास्ते मैं माननीय राजनारायण जी के तर्क से सहमत नहीं हूं और माननीय राज्यपाल जी ने जो आज्ञा, चिट्ठी भेजी है उससे निर्विवाद सिद्ध है कि माननीय मंत्री जी अपना अनुदान पेश कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण--निहायत अदब के साथ, मैं आपकी आज्ञा से अपनी असहमति प्रकट कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--आप प्रकट करें ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--अधिष्ठाता महोदय, अभी आपने एक आज्ञा दी कि माननीय कृषि मंत्री जी को राज्यपाल महोदय की आज्ञा प्रदान है । इस व्यवस्था के बाद जो माननीय राजनारायण जी ने वाद-विवाद शुरू किया. . . .

श्री अधिष्ठाता--हमने कहां बोलने का मौका दिया । आप कृपया बैठें ।

श्री रामचन्द्र विकल--मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि वह आपकी आज्ञा के बाद बोले ।

श्री अधिष्ठाता--मैंने अनुमति नहीं दी ।

श्री राजनारायण--माननीय विकल जी की विकलता को जरूर देखा जाय ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी के बाद बोलने का मौका दिया । मेरे लिये बड़ा कठिन होता यदि मुझे आचार्य दीपंकर जी के बाद बोलने का मौका मिलता । मान्यवर, माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने सहकारी खेती के सिलसिले में कुछ बातें कहीं जिनका आधार था, उपज बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना और प्रजातंत्र की विवचना करना ।

(इस समय १ बज कर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं ।)

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, उसका उत्तर वह माननीय मंत्री जी से चाहते थे । मैं माननीय श्रीपालसिंह जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने कोई ऐसी बारीक बात नहीं कही जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी ही देते । इसका उत्तर वह कृपा करके मुझसे लेते जायं, जो माननीय मंत्री जी के बहुत पीछे बैठने वाला आदमी हूं ।

पहली बात तो यह है कि उन्होंने अपने को किसान कह कर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि खेती के बारे में वह कुछ जानते हैं और जिन लोगों ने सहकारी खेती का नारा दिया है वह

[श्री महीलाल]

कुछ नहीं जानते । उनकी यह बात निराधार है । वह इसलिये कि यदि आज भी वह अपने खेत में जाकर हल छू लेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह फिर राजपूतों की लाइन में खड़े होने के लायक ही नहीं रहेंगे, इसलिये कि आज भी राजपूत और ब्राह्मण हल नहीं छूते । इसलिये उनका यह कहना कि वह किसान हैं, यह केवल भ्रम में डाल देने वाली बात है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि अगर मैं हल छू लूं तो राजपूतों के बीच खड़ा नहीं हो सकता । मेरा निवेदन यह है कि जब मैं पढ़ता था तो एग्रीकल्चर लिए हुए था । मैंने हल की मुठिया पकड़ी है, अपने हाथ से हल जोता है और ट्रैक्टर चलाया है । मैं उनको यह चैलेंज करता हूं कि जो उनके यहां सबसे अच्छा ट्रैक्टर जोतने वाला हो उससे भी अच्छा जोत कर न दिखा दूं तो उसी दिन इस्तीफा दे कर चला जाऊंगा ।

श्री महीलाल---अधिष्ठात्री महोदया, मेरे इस समय का जरा ध्यान रखियेगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । सहकारी अनुदान पर जो बहस हो रही है और जो जनरल पालिसी यहां डिस्कस की जा रही है, उस प्रश्न में क्या किसी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि किसी बोलने वाले सदस्य पर पर्सनल अटैक करें, या उसके चरित्र पर या उसकी कारगुजारी पर ?

श्री अधिष्ठाता---ऐसा तो कोई अटैक नहीं किया गया ।

श्री महीलाल---दूसरी बात जो कुंवर श्रीपालसिंह जी ने कही....

श्री अधिष्ठाता---आप अपनी बात पर रहिए, दूसरों की बात पर जाने की कोशिश मत कीजिए । उससे हाउस में अशान्ति होती है ।

श्री महीलाल---कहा यह गया कि सहकारी खेती से उपज कैसे बढ़ेगी । मैं माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी को यह स्पष्ट बता दूं कि वह अच्छी तरह जानते हैं कि खेती के लिए खाद, पानी और कुछ पैसे की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र रूप से या व्यक्तिगत रूप से उन्हीं जैसे राजा के रूप में जो किसान हैं वही उस तरह की अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं । लेकिन मुझ जैसे छोटे किसान को जो चार एकड़ या ५ एकड़ जमीन के किसान हैं, वह किस तरीके से खेती को तमाम जरूरतों को पूरा करके अपनी पैदावार को बढ़ाये । यह यकीनी बात है कि छोटे-छोटे किसानों को संगठित करके और उन्हें खेती के लिए, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए जो साधन दिये जा सकते हैं वे सहकारी खेती के द्वारा ही दिये जा सकते हैं । लेकिन यह बात वह सोचे कैसे ? इस बात को सोचने की जिम्मेदारी तो उन लोगों पर है जिन्होंने इस प्रान्त के भूखे नंगे, अधनंगे लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने का कर्त्तव्य अपना समझ कर रखा है । ऐसे लोग जो कि सहकारी खेती का विरोध करते हैं उस सहकारी खेती का विरोध करने के दो ही कराण हो सकते हैं (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय श्रीपाल सिंह जी, आप जरा शान्ति रखिए ।

श्री महीलाल---एक तो सहकारी खेती का प्रस्ताव जो नागपुर अधिवेशन में....

कुंवर श्रीपालसिंह---सेवा सहकारिता का विरोध हम नहीं करते । केवल सहकारी खेती का विरोध करते हैं । सहकारिता जो आप कह रहे हैं उसका विरोध नहीं करते ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय महीलाल जी, आप उत्तर प्रत्युत्तर में न जांय । आप अपनी बात कहें ।

श्री महीलाल—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मालूम ऐसा होता है कि माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी अपनी बात का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। घर से यह इरादा करके आये हैं कि आप कहके आयेंगे दूसरे की सुनेंगे ही नहीं। जिस शान्ति के साथ हमनें उनकी बातों को सुना, आशा यह की जाती है कि वह भी उसी प्रकार उनका जबाब भी सुनने को तैयार रहेंगे।

माननीया, मैं निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, जो अपने जीवन का यह कर्त्तव्य समझते हैं कि समाज की सेवा करके, इस देश के भूखे और नंगों के जीवन को ऊंचा करना तथा भारतियों का स्थान संसार के लोगों में ऊंचा बनाना अपना कर्त्तव्य मानते हैं, वही सहकारी खेती का और नागपुर अधिवेशन के प्रस्तावों का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो व्यक्तिगत रूप से केवल अपना उत्थान चाहते हैं या केवल सम्पत्ति और जाति के नाम पर अपना मान चाहते हैं, उन लोगों को अवश्य ही सहकारी खेती या नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव कष्टदायक होंगे और हो रहे हैं। माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह स्पष्ट है कि हमारे यहां जो कृषि अर्थ व्यवस्था है वह बहुत कुछ हमारे छोटे-छोटे किसानों पर निर्भर करती है और छोटे किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये, उनके कष्टों के निवारणार्थ यह आवश्यक है कि खेती की पैदावार को बढ़ाकर अथवा उनको अच्छे साधन देकर हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें और अपने देश की गरीबी, निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करें। लेकिन ऐसे लोग जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये या अपनी राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिये जब कुछ नहीं पाते तो एक नारा यह लगाते हैं कि सहकारी खेती सरकारी खेती है। यह कितनी उल्टी बात है। जनतंत्र में जनता और सरकार को अलग करके बात कहना, मैं नहीं समझता कहां तक उचित है।

आज की जनता और सरकार के भेद को जनतंत्र में कोई मामूली गांव का रहने वाला किसान भी समझ सकता है कि आज जब कि इस जनतंत्र को हमारे देश में आये केवल १० वर्ष हुए हैं, सरकार और जनता कोई अलग-अलग चीज नहीं है। फिर यह कहना कि सहकारी खेती सरकारी खेती होगी, मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर, वह क्या समझते हैं, जिससे यह बात कही जाती है। उनका यह समझना कि किसान कुछ नहीं जानते हैं, निराधार है। यह हो सकता है कि आज डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की सरकार है, कल किसी दूसरे की सरकार बने वैसे मुझे विश्वास है कि यह सरकार नहीं बदलेगी। भगवान् ऐसा न करे कि दूसरे की सरकार बने। सहकारी खेती कांग्रेस का नागपुर का प्रस्ताव है। उसके अनुसार सरकार सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना चाहती है। यह जनतंत्र के अनुकूल ही है। किसानों के बीच में तो आप इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहां सदन में कहना कि सहकारी खेती सरकारी खेती है, मैं इसे समझ नहीं पाता हूं कि यह कोई बड़ी ऊंची बात है। सरकार बदलती रहती है और बिगड़ती रहती है, लेकिन सहकारी खेती अपनी जगह पर रहेगी। इसलिये सरकारी खेती की हवा दिखाकर उन गरीबों की हानि करना चाहते हैं जो आपके जुए से सहकारी खेती द्वारा ही निकलेंगे। जो गरीब आज आपके पास ऋण लेने जाते हैं और जिनको कर्जा देकर आप शोषण करते हैं और जिनकी पैदा की हुई चीजों को सस्ते दाम पर आप खरीदकर, बैठ कर, उनकी कमाई खाते हैं, उनका शोषण दूर होगा। इस सहकारिता का फल यह भी होगा कि वह समानरूप से आपके बराबर खड़े होंगे और आपको यह चीज सहन नहीं हो रही है। इसलिये भावी समानता को जो लोग बरदाश्त नहीं करते हैं वही लोग नागपुर के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

इसके विरोध का दूसरा पहलू राजनीतिक है। वह यह है कि स्वतंत्र पार्टी के पास और भारतीय जनसंघ के पास गरीबों को आशा देने के लिये कोई नारा बाकी नहीं रहा है। जनसंघ के लोग और स्वतंत्र पार्टी के भाई अब इस देश में गरीबों को क्या कहकर आशा दिलायें जिसके

[श्री महीलाल]

आधार पर उनको वोट मिल सके । इसलिये उन्होंने यह नारा उठाया कि नागपुर रेजोल्यूशन का विरोध किया जाय । यह ठीक है कि किसी हद तक अपने प्रचार में कुछ दिनों तक सीधे सादे और छोटे किसानों को वह भ्रमित रखें, लेकिन अधिक दिन तक नहीं । यह भी हुआ है कि १९५७ के एलेक्शन में आपने कुछ लोगों से वोट प्राप्त कर लिये हैं जिसके आधार पर यहां विराजमान है; लेकिन १९६२ में इस तरह से वे किसान आपके भुलावे में नहीं आने वाले हैं जो भूखे, नंगे, भूमिहीन, खेतिहर, आपके फार्म पर २० रुपया माहवार से ज्यादा नहीं पाते हैं और वे चरवाहे जो आपके ढोर चराकर १२ आना महीने से ज्यादा नहीं पाते हैं; वह ज्यादा दिन आपके नारों के भुलावे में नहीं आने वाले हैं । इसलिए मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यह उनका रास्ता गलत है और सही रास्ता यही है कि वे नागपुर में स्वीकृत प्रस्तावों का अनुमोदन करें और सीधे सादे गरीबों के हित का काम कर देश और प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने वाले जो कार्यक्रम हैं उनमें अपना सहयोग दें।

अब माननीया अधिष्ठात्री महोदया, सहकारिता के बारे में भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं । पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आन्दोलन की तरफ जितनी तवज्जह दी जानी चाहिए थी, उतनी नहीं दी गयी । आज जिस गति से गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं उस गति से यह कार्य पूरा होने वाला नहीं है । (समय समाप्त होने पर) मुझे ५ मिनट का समय और दे दिया जाय क्योंकि काफी समय तो मेरा कुंवर श्रीपालसिंह के भाषण का जवाब देने में ही चला गया ।

श्री अधिष्ठाता—आपको बार-बार मना किया गया, जवाब न देने के लिए । अब आप का समय समाप्त हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आचार्य दीपंकर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । नागपुर का प्रस्ताव यहां पर लाकर के, मेरा खयाल है, उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उस पार्टी का खोखलापन खोल दिया है । मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि नागपुर का प्रस्ताव जिस रूप में है उसी रूप में १० साल पहले आया होता तो अपने देश और प्रदेश की अवस्था कुछ बदली होती । माननीया, आपको याद होगा कि सन् १९५२ में जब पहले पहल इस पार्टी की ओर से, इस सदन में इस तरह का प्रस्ताव आया था कि जमीन का बटवारा होना चाहिए, साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन किसी को नहीं मिलनी चाहिए, तो उस समय, माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त, जो उस समय यहां के मुख्य मन्त्री थे और अब भारत के गृह मन्त्री हैं, ने यह कहा था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जमीन को क्या रबड़ समझते हैं कि जिसे बढ़ाया या घटाया जा सके ? इस तरह से उन्होंने इस प्रस्ताव का मजाक किया था । मैं जानना चाहूंगा कि आज क्या वह जमीन रबड़ हो गयी । अगर सरकार ने हमारी उस बात को १०-१२ साल पहले मान लिया होता तो हमारे प्रदेश की हालत दूसरी होती और जो भीख आज हमें दूसरे देशों के सामने मांगनी पड़ती है, वह वक्त न आता । नागपुर का प्रस्ताव कोई जादू का प्रस्ताव नहीं है, नागपुर के प्रस्ताव से कोई प्रदेश के सारे भूमिहीन किसानों को जमीन मिलने वाली नहीं है । जो बिल नागपुर के प्रस्ताव से प्रभावित होकर आया है उस से कितने एकड़ भूमि मिलने वाली है ? माननीया, मैं यह कहना चाहता हूं कि नागपुर का प्रस्ताव एक ढकोसला है । यह केवल भूखे आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने के हेतु रोटी का टुकड़ा फेंकने वाला प्रस्ताव है, इस से कोई फायदा होने वाला नहीं है । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि नागपुर के प्रस्ताव के कारण इस सदन में सीलिंग का बिल पेश हुआ है । उस से देश की तकलीफ और प्रदेश की समस्या हल होने वाली नहीं है, लेकिन यह अवश्य है कि इस से यह मालूम होता है कि सही कदम उठाने की कारगुजारी जरूर है । शायद ईमानदारी से काम करने के लिए इस सरकार का इरादा बने और १०-१२ साल से जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहती चली जा रही है उस पर

अमल करने से प्रदेश को राहत मिले, यह कुछ तारीफ की बात हो सकती है। लेकिन आज जिस तरह कुंवर श्रीपालसिंह ने "प्रगतिशील" का अर्थ किया, वह मैं भूलता नहीं हूं। नाम नहीं लूंगा किसी माननीय सदस्य का, वह सदन में नहीं हैं, १९५४ में उन्होंने एक चुनाव में भाषण दिया था कि समाजवाद शब्द जो है यह समाजवाद का दुश्मन है। एक और बलिया के सदस्य थे, जो इस जमीन पर नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि "मार्क्सवादी" जो हैं वह "राकसवादी" हैं। तो उधर के बैठने वालों में आज भी १०० में ७५ ऐसे हैं जो सही मानों में कोआपरेटिव आन्दोलन को नहीं चाहते और न वे चाहते हैं कि जमीन का बटवारा हो। आज जो चाहने वाले हैं, आप मानें या न मानें, वह आप से अलग होते चले जा रहे हैं और आप के विरोध में बैठते चले जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस आन्दोलन को नहीं पनपने देना चाहते। मैं, एक नहीं, हजारों उदाहरण पेश कर सकता हूं।

यहां हमारे उपमन्त्री जी बैठे हुए हैं, सहकारिता मन्त्री जी नहीं हैं हमारे दुर्भाग्य से। मैं आजमगढ़ का उदाहरण उनके सामने पेश करूंगा कि लालफीतेशाही एवं नौकरशाही के सामने वह कुछ नहीं हैं। एक छोटा सा भंडार है, बड़ी शिकायत थी, कहा गया कि दो कत्ल भी हो गये हैं। अधिकारियों की हमने शिकायत की, चिट्ठी भेजी, मेरे पास नकल मौजूद है, जांच करने वाले अफसर गये। माननीया, मैं अफसोस करता हूं, बड़ी तकलीफ होती है कहते हुये कि जहां वह जांच करने गये वहां से ३ मील की दूरी पर मेरा घर है, लेकिन जिस आदमी ने शिकायत की उस को खबर भी नहीं दी। मैं उस सोसाइटी का वाइस-प्रेसीडेंट हूं और स्थानीय एम० एल० ए० भी हूं, लेकिन यह गवारा नहीं किया गया कि खबर दी जाय। जब रिपोर्ट आयी कि सोसाइटी खत्म कर दी जाय तो मैंने मन्त्री जी का ध्यान दिलाया। तब उन्होंने मुझको बुलाया और कहा कि शिकायत करने वाला भी आये। लेकिन वह शिकायत करने वाला नहीं आया, दो दिन तक नहीं आया, तो मन्त्री जी ने हुक्म दिया शर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार को, गोरखपुर के डिवीजन के रजिस्ट्रार को, कि रामसुन्दर पांडेय की मौजूदगी में जांच करे; लेकिन क्या आज तक वह गये? मैं उप मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आज जो सहकारी आन्दोलन है वह कैसे पनप सकता है? आपके इरादे हजार अच्छे हों, लेकिन आपके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वह ५० फीसदी ऐसे हैं जो आप के आन्दोलन को नहीं चलने देना चाहते हैं। हजार मतभेदों को भूल कर के, हजार सियासी जमाअतों के लोग भी इकट्ठे होकर अगर गांव के उत्थान के लिए आगे बढ़ें, लेकिन जो इस विभाग के मन्त्री हैं, जो मौजूद नहीं हैं वह ठीक विपरीत कार्य करते हैं और कांग्रेस पार्टी के अन्दर जो विरोधी ग्रुप बना हुआ है, उसका समर्थन करते हैं। कोआपरेटिव अधिकारी फर्रुखाबाद को बदल कर के फिर वहीं रखा गया। बलिया में.....

(लाल बत्ती होने पर)

दो तीन मिनट समय और बढ़ा दीजियेगा। बलिया में तीन-तीन बार कोआपरेटिव बैंक के चुनाव को रोका गया। आजमगढ़ में साढ़े पांच छः साल से दो-तीन इन्स्पेक्टर हैं जिन के ट्रांस्फर के आदेश जाते हैं, लेकिन जहां एक ग्रुप के कार्यकर्त्ता बीच में आ जाते हैं तो ट्रांस्फर रुक जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कप्तानगंज सोसाइटी की, उस की पूंजी २४,२७० रुपये की है। उसका मुआइना सहायक रजिस्ट्रार ने किया ३०-६-५६ को, उसमें २२ हजार रुपये बिलकुल गायब बताया गया है। उस के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने ८-२-५८ को देखा और बताया कि जितनी पूंजी है वह संदिग्ध है। डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन आफ आजमगढ़ के ईंट भट्ठे के १९५७-५८ के हिसाब में लिखा है कि ४४,९५१ रुपये उधार में हैं और कार्यकर्त्ताओं को अग्रिम १०,२८० रुपया दिया गया है। १९५७-५८ की स्पेशल आडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि कोआपरेटिव फेडरेशन में २,५७,७७१ रुपये का गड़बड़ घोटाला है, यह एक जिले की बात है। इस तरह से आप देखेंगे कि सारे प्रान्त में क्या हालत है। सभी जगह इसी तरह का वातावरण पैदा हो रहा है और लोग मिल जुल कर कोआपरेटिव आन्दोलन में काम करने वाले

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

नहीं हैं। यह बात सही है कि कोग्रापरेटिव ग्रान्दोलन के जरिये ही सारे देश में लोगों को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है, गरीबी दूर की जा सकती है। लेकिन श्रीमन्, हमारे जो दोस्त स्वतन्त्र पार्टी में गये हैं उन की बातें सुनकर बड़ी तकलीफ होती है। ग्राखिर वे लोग चाहते क्या हैं? क्या वे चाहते हैं कि देश में बेकारी रहे ग्रौर हमेशा भीख मांग कर खाया जाय ग्रौर करोड़ों की तादाद में लोग इस देश में गरीब पड़े रहें? कल हमारे एक स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य ने कहा था कि हरिजन लोग जो हल चलाते थे, फावड़ा चलाते थे वे ग्रब कुर्सियों की ग्रोर झुकते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी के लोग ग्रपनी इस नीति ग्रौर इरादे को बदलें, हिन्दुस्तान ऐसा नहीं है। ग्रौर ग्रगर वह ग्रपनी इस नीति को नहीं बदलेंगे तो देश उन को मजबूर करेगा, जमाना उन को मजबूर करेगा ग्रौर उन्हें मजबूर होकर इस इरादे को बदलना पड़ेगा। ग्रन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोग्रापरेटिव ग्रान्दोलन की कमियों को दूर करके इसे चलाया जाय ताकि मिल जुल कर सब के प्रयास से इस देश को स्वावलम्बी बनाया जा सके ग्रौर सभी लोग सुविधानुसार साधन सम्पन्न हो सकें।

(श्री नवलकिशोर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---क्या हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा?

श्री ग्रधिष्ठाता---सब को मौका मिलेगा। सदन में सदस्यों को सहनशीलता का व्यवहार करना चाहिए।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---ग्रधिष्ठात्री महोदया, सहकारिता सम्बन्धी जो ग्रनुदान इस सदन में पेश हुग्रा है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने जो भाषण दिया उस से इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि सहकारिता का विकास हमारे प्रदेश में हुग्रा ग्रौर सहकारी सोसाइटियों की संख्या भी काफी बढ़ी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कोग्रापरेटिव के द्वारा जो कर्जा बांटा जाता था जो कि सन् १९५६-५७ में ४ करोड़ रुपया था वह बढ़कर १५ ग्रौर ग्रब ३६ करोड़ तक होने जा रहा है। यह भी खुशी की बात है कि लैन्ड मार्गेज बैंक्स की शाखायें २५ जिलों में खोली जायंगी। माननीय मन्त्री जी के भाषण के बाद माननीय दीपंकर जी ने एक कटौती का प्रस्ताव पेश किया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई दीपंकर जी, हमारी जो ज्वाइन्ट कोग्रापरेटिव फार्मिंग की नीति है ग्रौर कांग्रेस की ग्रोर से जिसकी घोषणा नागपुर में हुई थी, उस से बड़े प्रभावित हैं ग्रौर शायद उनका इरादा हमारी तरफ ग्राने का है, लेकिन उनके भाषण में बाद में 'ग्रगर' ग्रौर 'मगर' बहुत ग्रा गये। उन्होंने ग्रपने भाषण के ग्राखिर में इस सम्बन्ध में भी हम को ही निकम्मा साबित किया।

एक सदस्य---ग्राप तो हैं ही।

श्री नवलकिशोर---क्या पता कि कौन है, ग्राप हैं या हम हैं। बहरहाल उन्होंने ग्रपनी कुछ पर्सनल बातें कहीं। उन्होंने उस की ग्राड़ में कुछ पर्सनल बातें मेरठ की पालिटिक्स के बारे में ग्रपने भाषण के ग्राखिर में कह डालीं। मुझे दुख है कि वह एक बुजुर्ग हैं, एक तपे हुए ग्रादमी हैं, लेकिन उस की चर्चा डिबेट में लाना बहुत ऊंचे स्तर की बात नहीं थी।

ग्रधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रैटिक पार्टी है। हम ने इस बात को माना है कि कोग्रापरेटिव फार्मिंग से हमारे देश ग्रौर प्रदेश की ग्रार्थिक स्थिति ऊंची हो सकती है ग्रौर किसानों की जिन्दगी बन सकती है। लेकिन ग्रगर उस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन के विचार वैसे न हों, उन को भी कांग्रेस में रहने का पूरा हक हासिल है। हमारी कांग्रेस पार्टी टोटलिटेरियन नहीं है। जिन मन्त्रीजी की ग्रोर उन्होंने संकेत किया है उन के लैन्ड रिफार्म्स को देखें ग्रौर पढ़ें तो जिस समय कांग्रेस में कोग्रापरेटिव पालिसी इस प्रकार घोषित भी नहीं थी ग्रौर नहीं ग्रपनायी थी, उन्होंने जमींदारी विनाश कानून में यह धारा रक्खी थी कि

जो चाहें वह सहकारी खेती के लिए समितियां बना सकते हैं। नागपुर के प्रस्ताव में भी इसी बात की घोषणा थी कि कांग्रेस यह समझती है कि किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के लिए और अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए सहकारिता के आधार पर खेती की जाय। मगर साथ-साथ उस में यह भी कहा गया था कि आगे आने वाले ३ साल में सब से अधिक जोर इस बात पर रहेगा कि सर्विस कोआपरेटिव भी हम बनायें। उस के बाद सहकारिता पर किसान स्वयं ही आजायेगा, इस बात में हम किसी को बाध्य नहीं करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा नहीं, कई बार कहा है कि हमारे देश में कोआपरेटिव फार्मिंग की सोसाइटीज वालन्टरी बेसिस पर होंगी। उन के बनाने में किसी किस्म का दबाव नहीं होगा।

इस में कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारे प्रदेश में सहकारी सोसाइटियां बढ़ीं। मगर जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा, देश की आजादी के बाद एक सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता है। मैं बड़े अदब से उन से एक बात कहना चाहता हूं। सिर्फ कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या बढ़ाने से समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि अभी यहां एक इन्टरनेशनल वर्ल्ड फेयर दिल्ली में हुआ था। मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां मालूम हुआ कि अमरीका में केवल २०,००० कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं और बिलियन डालर्स में उनकी पूंजी है, लेकिन वहां पर समाजवाद की स्थापना नहीं हुई। इस लिए जरूरी है कि हमें जनता के दृष्टिकोण को भी बदलना होगा। सब से पहली आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही और आफीशलडम, जो उस के ऊपर हावी है उसे ठीक और कम करना होगा। मुझे उस मेले में यह भी बताया गया कि अमरीका में कोआपरेटिव सोसाइटीज में कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। हमारे यहां सुपरवाइजर ही एक सब से बड़ा अधिकारी बना हुआ है। जिन के हाथ में हमारी सहकारी नीति का इम्प्लीमेंटेशन है उनका समाजवाद में विश्वास है या नहीं, यह भी देखना होगा।

यह खुशी की बात है कि इस सम्बन्ध में एक सेमीनार हुआ जितने और उन्होंने नाम बताये, उन प्रमुख तथा बड़े-बड़े समाजवादियों ने उस में भाषण किये। लेकिन देखना यह है कि जो कोआपरेटिव्ज की प्रगति हो रही है वह समाजवाद की तरफ कहां तक जा रही है। मार्केटिंग सोसाइटीज के लिए मन्त्री जी ने कहा कि मेम्बरों को इस बात की बंदिश है कि कर्जा लेने वाले को अपना गल्ला उन सोसाइटीज के हाथ बेचना होगा। यह बन्दिश मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव है कि सोसाइटियों का भाव बाजार भाव से प्रायः कम होता है। मेरे क्षेत्र के बहुत से मामले मेरे पास आये। या तो आप यह करें कि आपका भाव बाजार से कम न हो वरना इस बन्दिश से किसान को हानि ही होगी। मार्केटिंग सोसाइटीज के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े भी दिये गये कि ७०,००,००० मन गल्ला उन की मार्फत आया और ९।। करोड़ की पूंजी लगी। मगर उस में मुनाफा कितना हुआ? अगर मुनाफा कम भी हो तो मायूसी की बात नहीं है, क्योंकि यह पहला कदम है। मगर मालूम तो होना चाहिए कि १ परसेंट हुआ या, आधा परसेंट या कितना हुआ। प्रशासकीय व्यय कम करना चाहिए।

एक बात सूद की है। यह सही है कि आप ने सूद घटा कर ८।।।) फीसदी कर दिया है मगर मैं समझता हूं कि इसे भी घटाकर ७।।) करना चाहिए।

जहां तक सहकारिता आन्दोलन का सम्बन्ध है, इस में कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि वह होना चाहिए। मगर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। न जाने क्यों इस विभाग के बारे में यह धारणा बन गयी है कि इस में बहुत नैपोटिज्म, फेवरिटिज्म है और ग्रुपिज्म भी है। एक बात की मुझे खुशी है कि मन्त्री जी ने केन डेवेलप्मेंट कौन्सिल्स के सभापतियों की नामजदगी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश नहीं मानी मगर साथ ही साथ अपने च्वायस तथा गुट के लोग रखे। मुझे यह भी खुशी हुई कि वह नौकरशाही पर हावी हुए,

[श्री नवलकिशोर]

लेकिन अपनी ही गोटियां फिट की गयीं। अफसरों में भी इस के बारे में कानाफूसी होती है कि विभाग में योग्यता के स्थान पर पक्षपात तथा गुटबन्दी का बोलबाला है। उदाहरण के लिए मैं नाम तो नहीं लेता हूं, मगर एक कोई महानुभाव बदायूं में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव अफसर थे। उन के समय में १७ भट्ठों में गबन हुआ जिसकी शिकायतें हुईं और सवाल-जवाब भी हुए। मुझे मालूम हुआ है कि उन्हें तरक्की देकर हमारे स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन का सेक्रेटरी बना दिया गया है। मैं ने सुना है कि बदायूं की अन्तरिम जिला परिषद् ने इन मसलों के ऊपर कोई इन्क्वायरी की है। मैं उसका नतीजा जानना चाहूंगा। यही नहीं, एक बात यह भी वहां हुई कि ३, ४ स्टेशनों से आसिफपुर, बदायूं, उझानी व बबराला से अमोनियम सल्फेट मद्रास भेजा गया। माननीय मन्त्री जी बतलावें कि यह क्यों हुआ और उस पर क्या कार्यवाही हुई? मैं यह नहीं कहता कि यह सब बातें जानकर होती हैं। अनजाने में भी हो सकती हैं या आदत के मातहत, क्योंकि जिला सहकारी फेडरेशन के मन्त्री भी गुटबन्दी के आधार पर ही नामजद किये गये हैं। मैं इस तरफ इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं क्यों कि यह पक्षपात सहकारिता के लिए तो खतरनाक है ही साथ ही डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है।

*श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है और उस पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीया, मंत्री जी ने कहा है कि अब हमको देश में और प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति करनी है और सहकारिता के आधार पर उत्पादन बढ़ा कर उसका सही वितरण करना है। सहकारिता बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बग़ैर बहुत से काम हमारे नहीं चल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज जो मंत्री जी की सहकारिता के लिये व्यवस्था है उसके होते हुए वह सफल हो सकती है, तो जवाब यही मिलेगा कि सफल नहीं हो सकती। माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि हमें उत्पादन बढ़ा कर सही वितरण करना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज जो पैदावार है उसका सही वितरण हो रहा है। जवाब यही मिलेगा कि सही वितरण नहीं हो रहा है। सहकारिता के लिये जरूरत इस बात की है कि समाज के अन्दर मेल मिलाप, भाईचारे और परस्पर प्रेम की भावना पैदा हो। तो क्या यह चीज पैदा हो गयी है अथवा जो दिमागी या शारीरिक असमानता है, उसमें हम कोई पारस्परिक सम्पर्क स्थापित कर पाये हैं? जवाब यही मिलेगा कि स्थापित नहीं कर पाये हैं। मिसाल के तौर पर जो आज अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज खड़ी की गयी है उनमें और जनता में कोई सम्पर्क ही नहीं है बल्कि जबरदस्त अलगाव पैदा हो गया है। मैंने दिल्ली में सोशलिस्ट पार्टी का एक नारा सुना था। आज की स्थिति में मैं उस नारे को बिल्कुल सही समझता हूं। वह नारा था :

"देश का शासन किस के हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात,
ऊंची जात की क्या पहचान, काम करे ना, गिटपिट बोले,
अच्छा खाय और नखरा तौले।"

आज यह नारा चरितार्थ हो रहा है। आज जो परिश्रम करके पैदा करने वाला है वह तकलीफ में है और दूसरी तरफ जो मेहनत नहीं करता वह महल में रहता है, गुलछर्रे उड़ाता है। उसके लिये हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन जोड़े जाते हैं। सरकार कहती है कि जनता का राज्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता का राज्य नहीं है। मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों के जो मन में आता है वह करते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि हमने १०,२१९ साधन सहकारी समितियां बना दीं, बड़ी तरक्की की। मैं भी समझता हूं कि जरूर बना चुके होंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन उन्हीं साधन सहकारी समितियों के लिये ३ लाख रुपया खर्च करा कर देश के प्रधान मंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बिचपुरी में उद्घाटन कराया गया। पंडित जी ने कहा कि साधन सहकारी समितियां तो बन गयीं लेकिन मुझे आश्चर्य और भय है कि कोई छिपी हुई शक्ति होगी या नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई सालों में जब से पंचवर्षीय योजना चालू हुई है आज तक कृषि की वृद्धि के लिये ९०० करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है। इतना रूपया किसी भी देश में अन्न की पैदावार के लिये खर्च नहीं किया गया है। लेकिन मुझे फिर भी अफसोस है कि हमारे यहां अन्न की समस्या नहीं सुलझ पायी है। मैं यह मानता हूं कि कुछ काम हुआ है लेकिन क्या हमारा प्रदेश और देश अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो गया है, क्या हमारे देश और प्रदेश में चीजों की गिरानी में कुछ मंदापन हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। फिर किस बात में तरक्की हुई है? तरक्की हुई है तो थोड़े से, मुट्ठी भर लोगों की। कुछ लोगों के महल बन गये, अच्छी तनख्वाहें हो गयीं। उनके लिये यातायात के साधन बढ़ा दिये गये। उनके लिये दिन भर ऐश आराम के साधन जुटाये जाते हैं, लेकिन बाकी लोग अपनी जगह पर कराह रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं। वास्तव में अगर आपको सहकारिता को सफल बनाना है तो आपको अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा, आपको सही तरीके से देश की आमदनी के मुताबिक अपनी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी और जो आज देश का मामूली से मामूली नागरिक है, उसकी प्रति व्यक्ति आमदनी को लेकर व्यवस्था करनी होगी। आज २५९ रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी है जब कि ७-८ हजार आप बड़े-बड़े आफिसरों और मंत्रियों पर खर्च करें और कहें कि हम देश और प्रदेश की उन्नति करना चाहते हैं और जनता को परिश्रम करने के लिये तैयार रहने को कहें, लेकिन यह बात हर्गिज नहीं हो सकती। देश और प्रदेश की जनता क्यों परिश्रम करे? जनता तो सहकारिता में तभी योग दे सकती है जब कि उसे इस बात का एहसास हो जाय कि हम परिश्रम करेंगे, मेहनत मशक्कत करेंगे तो उसमें हमारा हिस्सा भी होगा। आज प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास तो है नहीं कि जो उत्पादन हम करेंगे वह हमारे पास ही रहेगा। वह तो कानून की मार्फत तरह-तरह के उल्टे सीधे टैक्स लगा कर आप उनसे छीन लेना चाहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो अफिसरों और कर्मचारियों की फौज आपने बना रखी है, उसे आपको कम करना चाहिये और कम से कम सहकारिता के अन्दर भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिये। चाहे वह मार्केटिंग सोसाइटी हो या क्रय विक्रय समिति हो, चाहे साधन समिति हो, चाहे आपकी सहकारी समिति हो, उन तमाम के अन्दर आपके कर्मचारियों का बोलबाला है, जनता के लिये उसमें कोई हिफाजत नहीं है।

*श्री रामचन्द्र विकल--आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि इस महत्वपूर्ण अनुदान पर आपने मुझे समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही इस बात के लिये भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने विभाग की विस्तृत रिपोर्ट अपने भाषण द्वारा सदन के सम्मुख पेश की। आचार्य दीपंकर जी ने इस अनुदान का समर्थन ही किया है। हां, एक शिकायत उनकी जरूर है कि प्रगति कम है सहकारिता विभाग में। तो यह उनके लिये ही नहीं बल्कि हर विरोधी दल के लिये स्वाभाविक बात है कि वह प्रगति की आलोचना करे, कुछ भ्रष्टाचार की बात कहे। लेकिन आचार्य दीपंकर जी ने सहकारिता के सिद्धान्त का और इन सब बातों का समर्थन किया है। एक बात में मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि नागपुर प्रस्ताव की वजह से ही हमारे देश में स्वतंत्र पार्टी का जन्म हुआ है। इसके पूर्व भी तो देश में कई दल थे ही, तो यह कहना कि स्वतंत्र पार्टी का जन्म नागपुर प्रस्ताव की वजह से हुआ है, मैं आचार्य जी की इस शंका को दूर करने की कोशिश करूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

जनतंत्र में पार्टियों का जन्म---जब भी किसी की समझ में कोई बात नेतागिरी की आयी, होता ही रहता है और चुनान्चे वह आप अपने पर ही देखें कि जो आपका समाजवादी एकता दल बना हुआ है वह भी नागपुर प्रस्ताव के बाद ही बना, तो क्या उसका भी उससे सम्बन्ध हो सकता है ? इस तरह से आप देखें कि आचार्य जी पहले दूसरे दल में थे और अब उन्होंने अपने दल का नाम एकता दल रखा है और उसकी वजह से हमारे सदन में एक और बोर्ड बढ़ गया है, एक पार्टी और बढ़ गयी है। तो उनकी जो शंका थी कि नागपुर प्रस्ताव की वजह से ही स्वतंत्र पार्टी का जन्म हुआ, सही नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी भी जनतंत्र में यह स्वाभाविक है कि कोई कहीं आये, कहीं जाये, कोई दल बनाये, जैसे आप ही एक दल में विराजमान हैं। तो किसी के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। स्वतंत्र पार्टी के नेता आदि भी जब भी जी में आयेगा तो इधर आयेंगे या उधर जायेंगे, यह स्वाभाविक बात है। तो क्या इसके लिये यही कहा जा सकता है कि नागपुर प्रस्ताव की वजह से ही यह सब हुआ ?

जहां तक सहकारिता के सिद्धांत और सहकारी खेती की बात है, अभी बहुत से लोग उसको समझ नहीं सके हैं। मैं यह जरूर कहूंगा, जैसा कि और कई माननीय सदस्यों ने भी कहा, कि सहकारिता का सिद्धांत हमारे देश के लिये कोई नया नहीं है, यह बहुत पुराना सिद्धांत है। हां, यह जरूर है कि आज हर व्यक्ति का दिमाग काफी अधिक बढ़ते बढ़ते इतना दूर चला गया है कि आज देश की भावना केवल व्यक्तिगत काम करने के लिये अधिक प्रोत्साहित होती है और सामूहिक काम करने के लिये कम होती है। उस भावना को पैदा करने के लिये एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव में बार-बार हमारे प्रधान मंत्री ने तथा देश के नेताओं ने कहा है कि जहां तक सहकारिता खेती या साधन सहकारी समिति की बात है, उसमें हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं और जबरदस्ती से कोई भी काम सही नहीं हुआ करता है। इच्छानुसार किसान ही नहीं बल्कि दूसरे पेशे वालों को भी उसमें शामिल कर, हम सहकारी ढंग पर सारा काम करना चाहते हैं। इसके लिये उनको प्राथमिकता दी गयी और दी जा रही है और सिद्धांत माना गया है कि सहकारिता के ढंग पर अगर अन्य कार्य भी किये जायंगे तो सरकार उन के लिये भी जितनी सुविधायें दे सकेगी वह देने की कोशिश करेगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उस में बहुत विस्तार के साथ इस बात की चर्चा है कि केवल खेती ही सहकारी ढंग पर न हो, बल्कि हम उद्योगों में भी सहकारिता लाना चाहते हैं, इस तरह की तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक स्कीम है।

मैं माननीय दीपंकर जी की शंका को दूर करने की कोशिश करूंगा, उन को सहकारिता के सिद्धांत से तो कोई भेद नहीं है और उस की प्रगति पर जो उन की थोड़ी सी निराशा है उस के सम्बन्ध में वह केवल इतना समझने का प्रयत्न करें कि कोई भी कार्य, यकायक तेजी से होने वाला कार्य बहुत अच्छा नहीं होता। कोई भी काम जितना सोच समझ कर और गम्भीरतापूर्वक किया जायगा वह अच्छा होगा। साधन सहकारी समितियां, जिन का कि हमारे स्वतंत्र दल के लोग समर्थन करते हैं, सहकारी खेती के लिये बनी हैं। लेकिन वह यह नहीं समझते कि इन समितियों के द्वारा किसानों को साधन उपलब्ध कराये जायंगे। उन के द्वारा किसानों का आर्थिक विकास होगा और उन में सहकारिता के साथ काम करने की एक भावना जागृत होगी, वह सहकारी खेती की ओर अधिक बढ़ने की कोशिश करेंगे।

आज शायद कुछ लोग सहकारी खेती का चाहे विरोध करते हों लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य प्रत्यक्ष देखना चाहें तो हमारे जिले में ऐसे किसान हैं जो एक जाति, गोत्र या परिवार के नहीं हैं, लेकिन फिर भी मिलकर इतने अच्छे ढंग से खेती करते हैं कि उन का संगठन सराहनीय है। उन की मीटिंग साल में दो तीन बार होती हैं और उन्होंने ऐसी जमीनों में खेती की है जिनको हम खादर या खराब जमीन कहते हैं और कहते हैं कि उसमें खेती नहीं हो सकती। वहां के किसान इकट्ठा होकर उस काम में लगे हैं और जब से सरकार ने उन्हें साधन दिये हैं

तब से उनकी भावनाओं में और खेती के मामलों में तरक्की हुई है और उसका असर आसपास के किसानों पर भी पड़ा है। अगर अमली रूप से कोई देखना चाहे तो मेरे साथ चलकर देखें कि किस तरह से वह लोग कामयाब हुए हैं और किस तरह से, किन साधनों से वह लोग आगे बढ़े हैं। जो लोग इस सहकारिता के सिद्धांत से इत्तफाक नहीं करते उन से मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी काम को कोई न करना चाहे तो उस में वह अवश्य फेल होगा और जिस को वह करना चाहे तो वह उस को सुविधापूर्वक और अच्छा करेगा। केवल यह खेती का ही सवाल नहीं है, अगर कोई और भी दूसरे काम लोग मिलकर न करना चाहें तो वह गलत होगा और अगर मिलकर करना चाहें, तो इस में दो रायें नहीं हो सकतीं कि वह काम होगा और बहुत सफलता के साथ होगा। सहकारिता से खेती नहीं बल्कि कारखाने वगैरह का काम भी अच्छा होता है, कम खर्च में और कम समय में होता है और उस से ज्यादा लोगों को फायदा होता है, यह एक माना हुआ सिद्धांत है।

अभी माननीय नवलकिशोर जी जैसा कह रहे थे, मेरा तजुर्बा और जानकारी उस के विपरीत है। उन्होंने चर्चा की कि मार्केटिंग सोसाइटीज बाजारं के रेट्स से कम पैसे किसानों को देती हैं। मेरा इस सम्बन्ध में अलग खयाल है। हमारे यहां भी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, हम जानते हैं कि आढ़ती लोग किस तरह से मिलकर बोली बोलते हैं और मार्केटिंग की दूकानों पर भी इसी तरह से बोली-बोली जाती हैं जैसे और दूकानों पर। अगर किसानों को पैसे कम दिये जायेंगे तो क्रय-विक्रय कम हो जायगा। बरेली का उन का अनुभव हो, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा तो अनुभव है कि मार्केटिंग सोसाइटीज में बाजार रेट से कम कीमत दिये जाने की बात नहीं है बल्कि वहां किसानों को और सुविधा दी जाती है। आज धीरे-धीरे सहकारिता के फायदों को लोग समझ रहे हैं और लोगों में एक जागृति आ रही है और सब तरफ से लोगों में मार्केटिंग सोसाइटीज की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है। एक बात मैं जरूर कहूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस सहकारिता विभाग का बहुत बड़ा सम्बन्ध है किसानों से, चाहे क्रय-विक्रय समिति हो, कोआपरेटिव फार्मिंग हो, कर्ज देने वाली सोसाइटी हो, किसानों से इसका बहुत बड़ा वास्ता है। अगर अपने विभाग में नौकरियों में वे किसानों को प्राथमिकता दें तो जो शिकायतें ज्यादा हैं वह कम हो सकती हैं क्योंकि जो किसान बच्चा होगा वह गांव के लोगों में मिलकर बैठेगा और उनकी दिक्कतों को आसानी से समझेगा। जो किसान नहीं हैं या जिन कर्मचारियों में सहकारिता की भावना नहीं है उनसे फायदा नहीं होगा। जिनके विचारों में सहकारिता का सिद्धांत घर किये हुए हो, उन लोगों को लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठात्री महोदया, जो कटौती का प्रस्ताव आचार्य दीपंकर जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं शुरू में ही यह बता दूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जो गांव की सोसाइटी से लेकर आल इंडिया सोसाइटी तक का सदस्य रह चुका हूं। यह बताने की जरूरत इसलिये पड़ी कि विभाग द्वारा क्या होता है, क्या सहकारी बन्धु करते हैं, इसका मुझे पूरा ज्ञान है और यदि माननीय मंत्री जी का ध्यान इन सारी दिक्कतों की ओर आकर्षित करूंगा तो अपने को खुशकिस्मत समझूंगा।

कांग्रेस ने जब समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का निर्णय कर लिया तो उसके बाद उसने सबसे बड़ा और सबसे पहला जो कदम उठाया, वह नागपुर में उठाया। वहां इसका प्रस्ताव स्वीकार किया और सेवा कार्य जो शुरू करना चाहा, वह कोआपरेटिव के जरिये शुरू करना चाहा। उसका समर्थन भी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हुआ। इसलिये नहीं कि वह क्रान्तिकारी प्रस्ताव था या सारे रोगों को दूर करने वाला था, ऐसी बात नहीं थी। मगर एक कदम था जो समाजवाद की स्थापना के सम्बन्ध में उठाया गया था और उस दल की ओर से इसलिये भी उस प्रस्ताव का समर्थन हुआ कि यह देखा गया था कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही कांग्रेस के लोगों में जिनको आदर भी मिल चुका था, जिनका मान भी था और जो प्रभाव

[श्री तेजबहादुर]

भी रखते थे उनकी ओर से विरोध होने लगा था। तो इसलिये भी इसका समर्थन किया गया कि नेहरू जी को बल मिले और वह ठीक ढंग से इसको करा सकें। इसके बाद प्रयत्न हुआ, हम उसकी तारीफ करते हैं। उसका विरोध नहीं है। प्रयत्न हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, उसकी भी कोई शिकायत नहीं है। मगर जिन हाथों में यह काम दिया गया है, मैं देख रहा हूं कि वह हाथ कमजोर हैं। उनमें योग्यता नहीं है काम लेने की। यह देखकर तकलीफ होती है और मैं इन सारी बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह कान खोल कर सुन लें और अगर वह इन सारी चीजों को दूर कर सकें तो अच्छा है।

सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत बड़ा आन्दोलन बनने जा रहा है, इसमें जन सहयोग की जरूरत है। अफसर ईमानदार हों, उनके विरुद्ध हमको कोई शिकायत न हो, तब भी अफसरों के जरिये यह काम कभी होने वाला नहीं है। अगर यह आन्दोलन उन्नति कर सकता होता उनके भरोसे, तो आगे बढ़ गया होता। जब से यह आन्दोलन उनके हाथ में है इसकी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी नहीं है। तो मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय कानून के जरिये, नियम के जरिये और अपने आचरण के जरिये यह कोशिश करें कि आफिसर जितनी जल्दी इससे दूर हो जायं, अच्छा है। अब आप देखें कि सरकार की ओर से कई वायदे हुए कि इसमें सहयोग नान-आफिशियल्स का होगा। इतना ही नहीं, जिले के स्तर पर, सूबे के स्तर की समितियों में नान-आफिशियल्स का सहयोग लिया जायगा, वह अध्यक्ष होंगे, सेक्रेटरी होंगे। मगर इस चीज को मंत्री महोदय ने पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, अगर कहीं पूरा करने की कोशिश भी की, तो समिति वालों की इच्छा पर निर्भर नहीं किया, यहां से वह चीज लादी गई। अगर आप लखनऊ से कोई चीज समितियों के संचालक मंडल पर लादने की कोशिश करेंगे तो आप उस आन्दोलन का अहित करेंगे, फायदा नहीं। मेरा कहना है कि आप लखनऊ से कोई चीज अपने जरिये या अपने अफसरों के जरिये लादने की कोशिश न कीजिये।

एक बात मैं और नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आपकी ओर से एक गुट विशेष को बैठाने का प्रयत्न होता है और जब आप दल विशेष को बैठाने की कोशिश करते हैं तो इस आन्दोलन की आप हत्या करते हैं, यह देख कर मुझे तकलीफ होती है। आपने देवरिया, बलिया में हस्तक्षेप किया है। आपने कोआपरेटिव फैक्ट्री के संचालक मंडल के चुनाव में हस्तक्षेप किया है और जहां कहीं भी आप देखते हैं कि आपके आदमी नहीं बैठ पाते हैं तो आप वहां किसी न किसी बहाने से हस्तक्षेप करते हैं। इससे आप दूर रहें तो अच्छा है और तभी आप सेवा कर सकेंगे। आप जिन अफसरों के भरोसे इस आन्दोलन को जनता में ले जाना चाहते हैं उनमें बहुत ईमानदार भी हैं, मगर यह आप मान लीजिये कि भ्रष्टाचार बहुत है।

सोसाइटीज के सम्बन्ध में आपने बहुत सारी बातें बतायीं, मगर गबन जितने होते हैं उसकी ओर आपका ध्यान नहीं गया। अगर कोई ठीक शिकायत होती है तो आपके अफसर उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता। आपके अफसर आपके आदमियों को चुनाव में जिताने की कोशिश करते हैं, इसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। आपसे कहा जाता है कि ऐसा न हो लेकिन आप ध्यान नहीं देते। मैं मिसाल देता हूं। आजमगढ़ को ले लीजिये। वहां सरकारी सहकारी विभाग के अधिकारियों ने आपके आदमियों को बैठाने की कोशिश की। आपने अपने अफसरों के ट्रांसफर रोके हैं, एक-दो बार नहीं चार-चार बार उनके ट्रांसफर आर्डर्स रद्द किये हैं, आपके रजिस्ट्रार इस माने में कमजोर हैं, आप उसको चलने नहीं देते। इतना ही नहीं, आपके जो अफसर हैं, वे चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हों, चाहे कोआपरेटिव अफसर, इसमें आप अपने डिप्टी रजिस्ट्रार को भी शामिल कर लें, जितनी कानून के विरुद्ध कार्यवाही होती हैं वे की जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आजमगढ़ कोआपरेटिव बैंक की कार्यवाही मंगा कर देख लें कि कैसी कानून की हत्या की गई है और वहां के अधिकारी क्या करते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई शिकायत हो जाती है, आर्बिट्रेशन दाखिल किये जाते हैं तो उनका फैसला नहीं किया जाता है।

फरवरी, १९५८ में जो आर्बिट्रेशन दाखिल हुआ वह आपके आदमी के विरुद्ध था इसलिये उसका आज तक फैसला नहीं हो सका। तीन साल की अवधि होती है एक डायरेक्टर की और तीन साल तक आर्बिट्रेशन का फैसला न हो तो कैसे कोआपरेटिव में आप विश्वास पैदा करा सकेंगे लोगों का ?

इसके अलावा मैं कोआपरेशन के सिलसिले में कुछ और सुझाव दूं। एक संस्था है पी० यू० सी०, जो मार्केटिंग फेडरेशन नहीं है, न बैंक है और कमाने का कोई जरिया नहीं है। उसके जो सदस्य थे उनसे वह पैसा पाती रही। उसने सूद कम करने के लिये क्या किया, यह आप देखिये। उसकी आज हालत यह है कि आपकी स्कीम चालू कराने में उसके ऊपर साढ़े १२ लाख का कर्जा पड़ा हुआ है। वह नहीं दिया जा सकता। लिहाजा इस ओर आप सोचें और ग्रान्ट बढ़ावें। वह नान-आफिशियल बाडी है। वहां ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी व्यवस्था में नहीं लगे हैं, किसी कर्जा देने वाली सोसाइटी में नहीं हैं। ऐसे वे कोआपरेटर हैं जिनकी सलाह पर काम करना चाहिये कानून बदलने में। पहले आप सलाह लिया करते थे, वह तरीका भी छोड़ रखा है। उन्हें ज्ञान है कि क्या दिक्कतें हैं ? लिहाजा जब आप कानून में परिवर्तन करें तो उनकी दिक्कतों को सुनिये। आपका जो कानून है वह बहुत पुराना है, वह आप को आगे चलने लायक नहीं है। आप उसे बदलिये और इतना सरल कानून बनाइये जिससे हर आदमी को दिक्कत न हो और आसानी से वह काम कर सके।

इसके अलावा फेडरेशन आपकी संस्था है। आप मार्केटिंग सोसाइटी में गल्ला रखवाते हैं, उसकी बिक्री का प्रश्न है। आपके विभागों में उस गल्ले को दिया जाता है। अभी जो जेलों में सप्लाई हुई उसके दाम नहीं आये। आपके जो सरकारी विभाग हैं उनमें कतई कोआपरेशन नहीं है। तो आप विभागों की ओर से कोआपरेशन तो कम से कम दिलाइये। शासक दल के जो लोग हैं उनके दिमाग में कुछ न कुछ स्कीम पैदा होती है तो वह फेडरेशन पर या बैंक पर ले जाकर लादते हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है। टाइपराइटर्स तथा टी में फेडरेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा। आप की जिम्मेदारी थी कि उसे पूरा कराते। लाखों का नुकसान है।

श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इस महत्वपूर्ण अनुदान पर अपने विचार प्रकट कर सकूं। मैं अनुदान संख्या २४ और २८, जिन्हें माननीय सहकारिता मंत्री ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी अपने पूर्व वक्ताओं के विचारों को सुना और मैं यह महसूस करता हूं कि उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों में स्पष्टतया दो विचारधारायें सहकारिता के विषय में हैं। एक तो कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत, अगर सहकारिता आगे बढ़ रही है तो उसमें, उनको विश्वास नहीं है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो सहकारिता का समर्थन तो करते हैं लेकिन उनकी कुछ दिक्कतें हैं जो कि उन्हों ने अपने भाषणों में रखी, लेकिन मुझे बड़ा इस बात का दुख है। एक जनरल फारमूला जो बजट पर सामान्य वादविवाद के समय तथा अनुदानों के समय में रखा गया कि भ्रष्टाचर है, फेवरेटिज्म है नेपोटिज्म है, तो जनरलाइज्ड वे में यह बात कहने से मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम देखें तो इस विभाग ने जो एक बड़ा भारी काम उठाया है प्लांड एकोनामी के अन्दर उसकी पालिसी का जहां तक सवाल है उसके लिये तो प्लानिंग कमीशन है, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल है, उसका आधार यह संस्थायें देती हैं। लेकिन उसके अन्दर भी डिटेल्स वर्कआउट करने पड़ते हैं। बारीक बातों को यहां के अधिकारियों को ढूंढना पड़ता है कि वह एक बड़ा गुरुतर कार्य हो जाता है और उस कार्य को करने में जितनी मेहनत पड़ती है उस को हमारे जिन माननीय सज्जन ने जनरलाइज्ड वे में कह दिया कि भ्रष्टाचार है और काम नहीं होता है, अगर देखें या ठंडे दिल से उसको सोचा होता तो मैं समझता हूं कि उनको यह बात साफ

[श्री महेशसिंह]

हो जाती कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसमें छोटी मोटी गलती भी हो सकती है लेकिन इधर पिछले साल, डेढ़ साल से जितनी जांच पड़ताल इस विभाग में और इस विभाग के अन्तर्गत जो समितियां हैं उनमें हो रही है उतनी शायद और किसी विभाग में नहीं होती है और हमारे जो उपसहकारिता मंत्री हैं जिन को लोग यही कहते कि ये तो जांच पड़ताल के उपमंत्री हैं, उन्होंने इतने जिलों में दौरा करके जिस तरह से इस कार्य को किया, वह समितियों के बड़े भाग्य की बात है और जो इस तरह की जनरलाइज्ड बात करते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है और वे स्पेसेफिक बातें लिखकर उनको दे देंगे तो उनकी शंकाओं का आसानी से समाधान हो सकता है।

मैंने जो भाषण सुने, विशेष कर आचार्य दीपंकर जी का, तो मैं उम्मीद यह करता था कि वह कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशन्स हमारे सामने रखेंगे जिनसे यहां पर प्रगति हो सकेगी। लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने नागपुर रेजोल्यूशन और कांग्रेस क्या कर रही है इस पर तो विशेष कहा लेकिन कोई भी स्पेसिफिक बात सुझाव के रूप में नहीं रखी कि जो हम रूरल रिकांस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें मददगार हो सकती। जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारा जो काम इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है उसमें करोड़ों किसानों की उन्नति का सवाल है। उससे हम यह आशा भी नहीं कर सकते कि उस कार्य को अकेले सरकार कर सकेगी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, इस अनुदान में जो धनराशि दी गई है, सहकारिता के आधार पर ऋण वह बहुत छोटी है। इससे यह भी पता लगता है कि जो बहुत सी बातें लोग मिला देते हैं सहकारी समितियों के कामों को, और सरकार के कामों को ऐसी बात नहीं है। इन दोनों के काम अलग अलग हैं, जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सरकार की सारी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि डि-आफिशियलाइजेशन किया जाय या सहकारी समितियों को अपने आप काम करने दिया जाय, तो दोनों को मिला देने से बड़ी गड़बड़ी पड़ती है। इसलिये दोनों कामों को एक में मिला कर सोचने से जो गड़बड़ी पैदा होती है उसपर भी ध्यान रखना चाहिये और माननीय सदस्य जब गड़बड़ी की बात करते हैं तो उसमें यह भी सोच लें कि समितियों की जिम्मेदारी कहां पर है और सरकार की जिम्मेदारी कहां पर है।

एक बात मैं विशेष कर रूरल क्रेडिट के सिलसिले में, जो सहकारिता के आधार पर ऋण दिया जाता है उसके बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उसी में काम करता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इधर पिछले तीन साल में कितना कार्यक्रम हमारा बढ़ गया है और जो सुविधायें हम किसानों को देने जा रहे हैं उसमें कितनी बड़ी जोखिम को भी ले रहे हैं, यह उन्होंने अपने आंकड़ों के द्वारा आपके सामने रखा। इसमें कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। विशेष कर वह दिक्कत, यह जो सेंट्रल बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स हैं उनके सामने हैं। अब भी हमारे किसानों में से एक बहुत बड़ी संख्या नान क्रेडिट वर्दी की है। अभी तक उनको ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उनको भी ऋण दिये जाने की सुविधा देने का प्रस्ताव है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर हम नान क्रेडिट वर्दी को ऋण देते हैं तो सेंट्रल बैंक और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स के फेल होने का डर है। इसलिये हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और सरकार को सोचना चाहिये। स्टेट पार्टनरशिप से दिक्कत दूर होने वाली नहीं है और इससे काम नहीं चल सकता है। उनको ऋण तो दिया जा सकता है लेकिन उस रुपये के डूब जाने का डर है क्योंकि अगर उनकी फसल खराब हो गई तो रुपया वसूल नहीं हो सकता है। इससे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। खेती में तीन फसलों में से एक फसल अमूमन खराब हो जाया करती है। इसलिये जब बैड डेट बढ़ जाय तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिये और वह रुपया रिलीफ-गारंटी के रूप में या इन्शोरेन्स से कवर करके दिया जाय वरना बीच की कड़ी ही गायब हो सकती है और सेन्ट्रल बैंकों की इससे हानि हो सकती है और उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक उनकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। इसके अलावा किसान को रुपया देने वाला और कोई नहीं रह जाता है। रिजर्व बैंक तो कार्शियल बेसिस पर ही रुपया देता है नान क्रेडिट वर्दी बैंकों को नहीं देता। इसलिये इस चीज को मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता था।

दूसरी चीज जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह केवल सरकार का ही काम नहीं है कि सारा इंतजाम वही करे। मेरा कहना यह है कि डिपाजिट जब कम आता है तो हम कैसे बैंक को मजबूत बनायें? माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि उन्होंने अमेरिका में देखा है कि वहां की सोसाइटियों के पास मिलियन डालर्स की पूंजी है। डेनमार्क और जर्मनी की सोसाइटीज अपनी पूंजी से ही सारा काम चलाती हैं। इसलिये हमारे प्रदेश की सरकार भी यह कर सकती है जैसे लोकल बाडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, तथा एडेड स्कूल्स हैं, उनसे कहा जाय कि वह अपने डिपाजिट्स बैंक में जमा करें।

तीसरी बात मैं अदर सोसाइटीज के बारे में कहना चाहता हूं। दो साल हुये हमारे यहां एक आल इंडिया कोआपरेटिव मार्केटिंग सेमीनार हुआ था तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को ट्रांसपोर्ट का भी प्रबन्ध करना चाहिये क्योंकि जब गल्ले की कमी पड़ जाती है तो यह फैक्टर सामने आता है कि जल्दी से जल्दी गल्ला पहुंचाया जाय। गल्ला नहीं पहुंच पाता है या जो ले जाने वाले हैं वह दिक्कत पैदा करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक काम्प्रीहेंसिव स्कीम ऐसी बनायी जाय जिससे गल्ला पैदा होने पर वह कंज्यूमर तक कोआपरेटिव की मार्फत पहुंच सके। पिछले कंवेंशन में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस कोआपरेटिव्ज बनें तो कंज्यूमर्स कोआपरेटिव्ज भी साथ-साथ बनें।

श्री अधिष्ठाता--समय समाप्त।

***श्री शिवप्रसाद नागर**--अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम विरोधी दल की तरफ से कुछ ऐसी आलोचनाएं करने के लिये खड़े होते हैं जिनके आधार पर हम यह विश्वास करते हैं कि सरकार इससे कुछ सबक लेगी, तो बजाय सबक लेने के उनके गले में कड़ुवा घूंट उतरता जाता है। अगर कोई समझदार होता तो उसे कड़ुए घूंट के बजाय अमृत समझता। अफसोस की बात है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बड़े समझदारों ने माननीय मंत्री जी को समझाया, मगर समझ में खाक नहीं आया।

अधिष्ठात्री महोदया, सहकारी खेती के बारे में.... (व्यवधान)। जो आप उधर से इंटरप्ट कर रहे हैं लखनऊ में लोग उसकी बड़ी कद्र करते हैं लेकिन सदन में कोई कद्र करने वाला नहीं है। सहकारी खेती के बारे में दोनों तरफ से बातें कही गयीं। मेरी समझ में नहीं आता या तो उधर के लोग समझा नहीं पाते हैं, या वह समझ नहीं पाते हैं। सहकारी खेती का कौन विरोध करता है, किसी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ विरोध है आपके उन तरीकों का जिनपर आप सहकारी खेती करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं, मेरे लखीमपुर में एक संडा बेलौरा कोआपरेटिव फार्म था और उसको चलाने वाले भूत पूर्व मंत्री, गुप्ता जी के सगे भाई बाबू रामचन्द्र गुप्ता उसके सर्वेसर्वा थे। उसमें श्री वेदानन्द वर्मा का फार्म था, श्री लक्ष्मीनारायण आगा और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड का फार्म था, रिटायर्ड पुलिस सुपरिन्टेंडेन्ट तारा चन्द का फार्म था। उस कोआपरेटिव फार्म में कोई ऐसा नहीं था जो साधारण किसान हो, सब ग्रेजुएट थे। वह कुछ दिन चला, तीन चार वर्ष के करीब, और उसके बाद हाल यह हुआ कि ट्रैक्टर नीलाम कर दिया गया और सोसाइटी में २० हजार रुपये का घाटा हुआ। आज भी गवर्नमेंट का रुपया बकाया है। न मालूम कहां गई खेती और कहां गये खेतीहर। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया।

एक बात आपके द्वारा यह कहूं कि जहां पर कोआपरेटिव मार्केटिंग की बात कही जाती है वहां पर बार बार क्रय-विक्रय समितियों की बात सुनते सुनते मैं आजिज आ गया। एक किताब माननीय सहकारिता मंत्री जी की तरफ से बंटी है। इसमें एक जगह पर लिखा हुआ है--"राज्य के लखीमपुर जिले में केवल एक क्रय-विक्रय समिति जूट का व्यवसाय कर रही है।" इसमें एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

तारीख और दी गई है—"दिसम्बर, १९५८ में इस समिति को २०,००० मन जूट खरीदने का कोटा दिया गया और समिति ने ४,७८५ मन की तुरन्त खरीद कर कलकत्ता कारपोरेशन को भेजी और अधिक खरीद न की जा सकी क्योंकि कारपोरेशन द्वारा अनियमित निर्देशन, खरीद में रुपया फंसना, कलकत्ता में अन्तिम निरीक्षण और वर्गीकरण की तौल में कमी आदि की अनेक कठिनाइयां सामने आयीं, जिनसे कार्य में रुकावट हुई।"

इस पर ऐसा गहरा आवरण डाला गया कि इसको कोई समझ नहीं सकता। लेकिन चूंकि मैं लखीमपुर में रहता हूं और इस क्रय-विक्रय समिति के दफ्तर और मेरे घर के बीच केवल चार फर्लांग का फासला है, इसलिये मैं जानता हूं। जितना इसमें जूट खरीदा गया उसमें कम से कम १२ हजार रुपये को आपरेटिव आफिसर ने भ्रष्टाचार से कमाया होगा। बार-बार हमने डी० डी० आर० से शिकायत की, जिला परिषद् में जिला मैजिस्ट्रेट के सामने हजारों बार पन्ने खोल कर मैंने रखे, मगर कभी ध्यान नहीं दिया गया। न तो कलकत्ते में जूट घटा, न लखीमपुर में जूट घटा, बल्कि जूट घट गया सिर्फ उनके कागजात में। इस तरह से बहुत बड़ी क्षति उस जूट के खरीद फरोख्त में उठानी पड़ी। आखिर इसका क्या कारण है, यह क्रय-विक्रय सोसाइटियां क्यों अस्त व्यस्त हो जाती हैं? क्यों इनसे काश्तकार परेशान हो जाता है? उसका कारण यह है कि उसमें कुछ ऐसे अधिकारी आ जाते हैं कि जिनके बारे में सोसाइटियों के सदस्यों को शक पैदा हो जाता है। उनकी ईमानदारी और उनके आचरण पर शक पैदा हो जाता है लेकिन जब कोई शिकायत की जाती है तो उसे प्रेस्टिज का सवाल बना कर के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को न सजा दी जाती है न हटाया जाता है और न कभी उनके मन के मुताबिक वह सोसाइटियां चल पाती हैं।

एक बात की तरफ आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बात कही गई कि इस रिपोर्ट में क्योंकि प्रदेश में संगठित १०४ साधन समितियों को गन्ना विकास संघ तथा किसी न किसी क्रय विक्रय समिति से सम्बद्ध होना था, इस ध्येय से राज्य के ३४ गन्ना विकास संघ चुने गए जिन्हें गन्ने की पूर्ति के अतिरिक्त कृषि उपज के क्रय-विक्रय का कार्य भी करना है। अभी २७-२८ को लखनऊ में एक सेमीनार हुआ। उस सेमीनार में अपने यहां के सदस्यों से मैंने पूछा कि गन्ना सोसाइटियों के सदस्य इसमें नहीं आये? और हमने अपने ए० आर० से भी पूछा और यहां के जो कोआपरेटिव के अधिकारी थ उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि गन्ना सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बन्दानवाज, आपकी सहकारिता में खुद कोआपरेशन नहीं है। गन्ना सहकारी समितियां सौतेली मां की बेटी हैं और बाकी सगी मां की। यह समझ में मेरी बात आई नहीं कि गन्ना सहकारी क्रय विक्रय समितियां जो हैं यहां पर तो उनके बारे में यह आया है लेकिन जब कभी सेमीनार होता है तो उसमें उनको बुलाया तक नहीं जाता। अभी पिछले साल भी एक सेमीनार हुआ था, इसी जगह हुआ था, इसमें भी गन्ना क्रय-विक्रय समिति के किसी भी डेलीगेट या सदस्य को नहीं बुलाया गया था।

श्रीमन् जब समितियों से समितियों में कोआपरेशन नहीं है, जब सहकारिता में सहकारिता से सहकारिता नहीं है तो सहकारी खेती में खेतिहरों से कैसे सहकारिता के आधार पर वह सहकारिता करा पायेंगे? यह एक बात बहुत बड़ी शंकाप्रद है। किसी को विरोध नहीं है सहकारी खेती से लेकिन जो सहकारिता के ढंग और तरीके हैं उनमें किसी प्रकार विश्वास नहीं होता है कि यह सहकारी खेती किसी प्रकार सफल हो सकेगी। जितनी गन्ना सोसाइटियों की क्रय-विक्रय समितियां हैं, हम सब उसके हिस्सेदार हैं, उसके मेम्बर हैं, शुगरकेन सप्लायर हैं, बैलेंस-शीट उसकी गुजर चुकी है लेकिन कभी भी हिस्से का बटवारा हमारा होता दिखाई नहीं देता है कि किसानों को कभी एक पैसा भी मिला हो। माल टाल सब तुम्हारा है लेकिन हाथ मत लगाना। सोसाइटी हमारी, रुपया पैसा हमारा, गन्ना हमारा, मगर छूना मत, हाथ मत लगाना। यह है इस सहकारी क्रय विक्रय समिति का सिद्धांत। अगर यह इसी सिद्धान्त पर आधारित है तो भगवान् भला करे इनका।

एक बात आपको और बताऊं, हमारे यहां अभी तक पता नहीं लग पाया कि किस कोआपरेटिव सोसाइटी से यह चीज चली, लखीमपुर की अल्यूमिनियम सल्फेट बाहर जाती है, अभी नवल किशोर जी ने कहा था—सैकड़ों हजारों बोरी स्मगिलग हो गया मद्रास को और मद्रास में जब स्मगिलग होने लगी, मैंने बिल्टियों के बनने की खबर सुनी तो जिलाधीश से कहा कि उसका पता लगाया जाय कि यह कहां से जा रही है। वे अल्यूमिनियम सल्फेट के वैगन बम्बई में पकड़े गए और बम्बई में पकड़े जाने के बाद इस वक्त तक हमें यह नहीं बताया गया कि आखिर वह अल्यूमिनियम सल्फेट किस सोसाइटी की किस सीड स्टोर से किस बीज भंडार से स्मगिलंग होती चली गई। मैं लखीमपुर खास का रहने वाला हूं, सदर पर रहता हूं, मुझे बताया नहीं गया कि क्या कार्यवाही हो रही है। इससे हमको अवगत नहीं कराया गया।

यही सहकारिता है ? अगर सरकार की यही सहकारिता है तो आपका भगवान भला करे। इस सहकारिता से देश की जनता और किसानों का भला होने वाला नहीं है। अभी हमारे इलाके में धान की खेती पानी न बरसने की वजह से सूख गई। जो बीज उनको दिया गया उसमें एक भी बीज वापस नहीं आया। हमने रेवेन्यू मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि वहां पर मालगुजारी की रिकवरी मुल्तवी कर दी जाय, तो वह मुल्तवी करदी गई। मगर जब हमने कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से कहा कि सहकारी गोदामों से जो तुमने बीज दिया था उसकी वसूली तुम भी उसी आधार पर मुल्तवी कर दो तो उन्होंने कहा कि हुक्म नहीं है। ए० आर० साहब ने लखनऊ चिट्ठी लिखी कि यह धान सूख गया है इसको मुल्तवी कर दिया जाय, लेकिन आज तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। वहां पर उसकी रिकवरी जारी है। यह आपकी सहकारिता है। क्या आप किसान से इतना कोआपरेशन भी नहीं कर सकते कि उतने लगान के आधार पर आप भी अपने बीज की रिकवरी मुल्तवी कर दें ?

अभी परसों की बात है, तीन तारीख को। हरगांव में एक पाकिस्तान के अधिकारी आये थे। न मालूम वह कौन थे मगर वह यह देखने के लिये आये थे कि यहां पर गन्ना कोआपरेटिव सोसाइटी कैसे चल रही है ? उनके साथ गन्ना अधिकारी भी थे और कुछ कोआपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी भी थे। जब वे मिल के अन्दर दाखिल हुये तो एक गाड़ीवान से उस पाकिस्तान अधिकारी ने पूछ लिया। कोशिश तो यह की गई थी कि वह वहां घुसने न पावें। कोआपरेटिव के दफ्तर में बड़ी सजावट की गई थी। मिल के गेस्ट हाउस को भी सजाया गया था। वह चाहते थे कि इसको वहां इधर उधर घुमा फिराकर और खिलापिलाकर वापस कर दें, मगर वह तो पाकिस्तान का अधिकारी था, उन्होंने भी कुछ मुसीबत उठाई है और मुसीबत उठाकर अपनी आजादी की रक्षा करने में अपना कुछ गंवाया है। तो वह वहां न जाकर सीधे कांटे की तरफ चला गया और वहां जाकर उसने पूछा क्यों भाई गाड़ीवान तुमको क्या फायदा है जो तुम सोसाइटी के जरिये अपना गन्ना बेचते हो। उस गाड़ीवान को यह पता नहीं था कि यह कौन है। उस गाड़ीवान ने सरलता से कह दिया कि न मालूम कहां से यह चुड़ैल सोसाइटी हमारे पल्ले पड़ी है, रोज यह पीटे जाते हैं लेकिन फिर भी ये यहां से दफ्तर छोड़ कर भागते नहीं हैं। उनके साथ कोआपरेटिव के कुछ अधिकारी भी थे, उसने कहा कि बस अब आगे मत कहना। वह किसान समझ गया और फिर चुप हो गया। मगर वह पाकिस्तान का अधिकारी था, वह दफ्तर में नहीं आया और न गेस्ट हाउस में गया, वह चुपचाप मोटर में आकर बैठ गया। उन्होंने लाख कोशिश की कि उसको ठहरायें लेकिन उसने मोटर घुमाया और लखनऊ के लिये रवाना हो गया। इससे क्या भावना व्यक्त होती है ? किसानों के दिल में क्या भावना है इसको गहराई में घुसकर देखिये। नागपुर का प्रस्ताव क्या करेगा ? नागपुर का प्रस्ताव क्या बनाता और बिगाड़ता है ? करने वाले करें तो कुछ हो।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया। यह जो सहकारी अनुदान इस समय प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज जनतंत्र को मजबूत करने के लिये जो तरीके अपनाये जाने चाहिये वह सहकारिता के द्वारा अपनाये जा रहे हैं। कांग्रेस ने जब से सहकारी कृषि के लिये प्रस्ताव किया है उसके बाद से हमारे प्रदेश में सहकारी स्कीम को समृद्ध बनाने के लिये और उसके फूलने-फलने के लिये काफी प्रयास हुआ है। पहले जो सोसाइटीज थीं उन सोसाइटियों को फिर से पुनर्गठित किया गया है और मजबूत बनाया गया है और इधर बहुत-सी नई सोसाइटीज भी बनाई गई हैं। अभी तक सहकारिता का जो कानून है वह अधूरा है और जब तक नया विधेयक इस सदन में नहीं आ जाता है तब तक सहकारिता के लिये जिस तरह से काम होना चाहिये उसके लिये मैं समझता हूं, कठिनाई अधिकारियों के सामने है और सरकार के सामने भी है क्योंकि मैं गांवों में देख रहा हूं कि जनता सहकारी समितियों की तरफ उत्सुक है। चाहे वह उद्योग सहकारी समिति हो, चाहे वह कृषि सहकारी समिति हो और चाहे वह और कोई सहकारी समिति हो। लेकिन वह पूरी तरह से सफल इसलिये नहीं हो पा रही है कि जो पहले का कानून है वह इतना विस्तृत नहीं है और उसके अन्दर उतनी सुविधायें नहीं हैं जो कि आज के युग में सहकारिता को सफल बनाने के लिये होनी चाहिए।

हमारे यहां कानपुर में एक गांव नगसिया है जहां पर खेतिहर मजदूरों ने और कुछ ऐसे व्यक्तियों ने जिनके पास बहुत थोड़ी खेती है, मिल कर एक सहकारी समिति पिछले दिनों संगठित की। वह सहकारी समिति संगठित हो जाने के बाद सहकारिता कानून के अनुसार कोई सुविधा उनको अब तक नहीं मिल पा रही है जिससे कि वह समिति अब तक रजिस्टर्ड हो जाती। उसका कारण यह है कि भूमि का एलाटमेंट गांव समाज करता है, उसी को उसका अधिकार दिया गया है। वे लोग अपनी मनमानी करते हैं और किसी न किसी तरह से भूमि का एलाटमेंट नहीं करना चाहते। ऐसी सूरत में सहकारिता कानून में परिवर्तन होना चाहिये और जिलाधीशों को जमीन का एलाटमेंट करने के अधिकार होने चाहिये ताकि गांव समाज किसी प्रकार की अड़चन न डाल सकें। जिलाधीश को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसकी ठीक तरह से जांच करके भूमि का एलाटमेंट कर सकें। चूंकि अभी तक जिलाधीशों को यह अधिकार नहीं है इसलिये गांव समाज के पदाधिकारी अगर जमीन नहीं देना चाहते हैं तो फिर सहकारी समिति बनाने वाले पीछे रह जाते हैं और अपने मंतव्यों को पूरा नहीं कर पाते। इस लिये नियमों में आवश्यक संशोधन होने चाहिये और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सहकारी कृषि के लिये गांव में भूमि नहीं मिल पायेगी और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। इस कानून से आज जिन लोगों के पास जमीन है वही लोग जमीन हथियाते चले जा रहे हैं, जिनके पास साधन हैं वे ही फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर किसान हैं और जो जमीन मिलने पर कुछ उपज को बढ़ा सकते हैं, उनको इससे फायदा नहीं हो रहा है।

अभी विरोधी पक्ष से यह कहा गया कि जो कदम सहकारिता के नाम पर उठाये जा रहे हैं उससे सहकारिता सफल होने वाली नहीं है, मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं। जो इसका विरोध कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो अब तक दूसरों की कमाई पर ही निर्भर रहे हैं, खुद काम नहीं किया है। आज जब सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं कि कोई भी ऐसा न रहे जो दूसरे के बलबूते पर शोषण कर सके और दूसरों की कमाई खा सके, उसके लिये जब ऐसे नियम आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अफसोस हो रहा है और बेचैनी हो रही है। इसलिये वे अपने उन पुराने तरीकों को कायम रखने के लिये नये तरीकों का विरोध कर रहे हैं, जिनसे समाज आगे बढ़ेगा, जिनसे कुछ सुधार होगा। आज यह लोग उन तरीकों को उल्टा बता रहे हैं, आज वे उससे तिलमिला रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है आज जिस तरह से सरकार चल रही है अगर उसी तरह से चलती रही, तो मैं समझता हूं बहुत जल्द वह वक्त आयेगा जब कि हर व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ेगा और आवश्यक भी है। यदि हम चाहते हैं कि मुल्क के अन्दर चाहे खेती की पैदावार हो, कल-कारखानों की पैदावार हो, पैदावार बढ़े, देश सम्पन्न बने, तो यह आवश्यक है

कि इस दिशा में हर व्यक्ति काम करे--कुछ शरीर से, कुछ दिमाग से--तो पैदावार बढ़ सकती है । अभी तक जो पुराना तरीका रहा है, उससे यह सम्भव नहीं है । गांव में जो अधिकतर आबादी है वह खेती करती है, लेकिन उनके पास साधन नहीं हैं और बहुत थोड़े आदमी ऐसे हैं जो साधन सम्पन्न हैं--१०० में २०-२५ होंगे, चाहे बड़ी खेती वाले हों या बड़ा व्यापार वाले, लेकिन आज तक के तरीके से उन व्यक्तियों ने ज्यादा काम करके नहीं दिखाया है कि पूरे समाज के लिए उन्होंने पूरा पैदा कर दिया हो । जब वह तरीका फेल हो चुका है तो यह आवश्यक महसूस होता है कि जो छोटे-छोटे खेतिहर या मजदूर हैं उनको वह साधन जुटाये जायं और उसके लिये आवश्यक है कि सहकारी समितियों की स्थापना हो, अच्छे साधन हों । क्योंकि यह मानी हुई बात है कि सबको साधन अलग-अलग नहीं दिये जा सकते हैं । जैसे कुएं बनाना है और उसमें मशीन डालना है, कई हजार का खर्चा है तो छोटा किसान उसको बरदाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी सहकारी समिति बने और १०-२० हजार का कुआं बना दिया जाय तो आस-पास के खेतिहरों को लाभ हो सकता है । इसी प्रकार से अच्छे बीज, खाद और अन्न के जो साधन हैं वह सहकारी समिति द्वारा धन इकट्ठा करने पर बड़ी पूंजी इकट्ठा हो जाती है और आसानी से उनको दिया जा सकता है । उद्योग-धंधों में भी जो छोटे व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसा नहीं है अगर वह थोड़ा-थोड़ा धन जुटाएं और सरकार भी कुछ सहायता कर देती है तो इस प्रकार उनकी सहकारी समिति द्वारा साधन सम्पन्न बनाया जाय और सामान के क्रय-विक्रय का इन्तजाम सरकार करे तो वह अपनी जीविका आसानी से कमा सकते हैं ।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आज जो यह अनुदान सदन में प्रस्तुत है, मैं उसके कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । हालांकि माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने अपने भाषण में सबसे पहले यह आक्षेप किया कि अच्छा होता कि यह कटौती का प्रस्ताव किन्हीं दूसरे व्यक्तियों द्वारा आता बजाय इसके कि आचार्य दीपंकर की तरफ से मूव हुआ । मैं नहीं समझता कि उनको इस बारे में क्यों ठेस पहुंची ? यह प्रस्ताव जो रखा गया वह उन व्यक्तियों द्वारा रखा गया, जो अपनी समाजवादी एक नींव रखना चाहते हैं । यह हो सकता है कि उनकी भावना में यह समाजवाद से अलग हो । हम जो मूलभूत समाजवाद का विरोध करते हैं उसके नाते इस समय जो कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा तो यह मैं नहीं कह सकता कि उनको क्यों एतराज है ?

एक प्रश्न आता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग या सहकारिता जिस तरह से आज चल रही है, हो सकता है कि आज सरकार संख्यासुर में आकर के आगे का इतिहास उसे मुहम्मद तुगलकी नीति में बदल दे । जिस प्रकार शक्तिशाली रावण ने उस समय कोई नीति अपनायी और उसके आधार पर बराबर प्रगति की, और उस शक्ति के युग में रावण राज्य को भी अच्छा राज्य कहने वाले लोग मौजूद थे । तो उस तरह से संख्यासुर क बलपर ये उस प्रणाली को मानने वाले, क्योंकि वह मार्क्स की देन है और रूस जिस पर हावी होता चला जा रहा है और चीन भी जिसका उदाहरण है जिसने कि साम्राज्यवादी मनोवृत्ति इसी आधार पर लेकर अपनानी चाही, उन विचारधाराओं के कुछ लोग इसका समर्थन करें, लेकिन वास्तव में भारतीय विचारधारा रखने वाले लोग और स्वतंत्र भावना रखने वाले लोग कभी भी इस कोआपरेटिव फार्मिंग को स्वीकार नहीं कर सकते । इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है । माननीय अग्रवाल जी ने सबसे पहले अपने भाषण में कहा कि हमारे यहां सहकारिता थी, हमारे यहां सहकारिता परिवार की सूरत में थी, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां जो सहकारिता का रूप था वह समाज की सहकारिता थी, हम लोग समाजरूपी सहकारिता के बन्धन में बंधते थे लेकिन राज्यरूपी सहकारिता में नहीं, लेकिन यहां पर तो राज्य की दृष्टि से हमारे ऊपर सहकारिता लादी जा रही है । आज समाज उसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं लेकिन राज्य उस पर लादने के लिये तैयार है । नेहरू जी अपने नागपुर के अधिवेशन में भाषण देते हैं और कहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग करा के रहेंगे । मैं उन्हीं के भाषण का उद्धरण देते हुये जो उन्होंने लोकसभा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मलिखान सिंह]

२८ मार्च, १९५९ को दिया था, कहना चाहता हूं कि उनको खुद विश्वास नहीं है कि हम जो कोआपरेटिव फार्मिंग करने जा रहे हैं वह अच्छी है या बुरी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके भाषण से कुछ शब्द पढ़ दूं। उन्होंने कहा है: "I do not know how can I say about the future" यानी उनको भी फ्यूचर के बारे में पता नहीं है।

उन्होंने फिर आगे कहा है: "This concept of ownership is a peculiar concept which has changed throughout the age. The House knows, Acharya Vinoba Bhave thinks that there should not be any ownership of land at all." नेहरू जी ने कहा कि विनोबा भावे जी खेती के मामले में इस बात को मानते हैं कि जमीन किसी की होनी नहीं चाहिये, उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व किसी का नहीं होना चाहिये। तो इस तरह से नेहरू जी आज इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करते कि यह जो प्रणाली हम ला रहे हैं वह वास्तव में ठीक है। तो मैं यह कहूंगा कि इस देश की नैया चलाने वाले जो प्रेसीडेन्ट हैं, जिनके ऊपर इस कांग्रेस की बागडोर है उन तक को विश्वास नहीं है। मैं यहां के मंत्रिमंडल के बारे में नहीं कहूंगा कि क्या हालत है। जब यहां के मिनिस्टर पंखे की ठंडी हवा में बैठ कर सहकारिता से फाइलों में दस्तखत नहीं कर सकते तो वह यह कैसे उम्मीद करते हैं कि यहां के लोग, जो ज्यादा से ज्यादा देहातों में रहते हैं, जो कड़कते हुये जाड़ों में और तपती हुई लू में वह पति और पत्नी मिलकर एक साथ खेत में काम कर लेंगे। जब वह यहां पर फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते तो दूसरों से वह ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि आज अपने देश में इस बात की आवश्यकता है कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़े, जमीन से ज्यादा उत्पादन हो। यहां की स्थिति दूसरे देशों जैसी नहीं है। रूस ने अपने यहां क्या किया? रूस ने इतने संघर्ष के बाद २.८ किया और अपने भारत में २.६, तो केवल दशमलव २ का अन्तर है। तो आप देखें कि इस देश में हम सोचते हैं कि हमारे पास ५ या १० बीघा जमीन है, इसकी पैदावार हमको मिलेगी, इसी से हमारे बच्चे पलेंगे, हम दिन रात मेहनत करके प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम दोपहरी में भी काम करेंगे और रात के बारह बजे भी काम करेंगे लेकिन जब भावना यह होगी कि इसके बहुत से मालिक हैं तो उस समय स्वाभाविक है कि जमीन पर मेहनत कम होगी और जब मेहनत कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। इस सरकार की नीति यह है कि वह फूड प्रोडक्शन की सारी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर डाल कर अपनी जिम्मेदारी खत्म करना चाहती है। खाद्य स्थिति अगर ठीक करनी है तो किसानों को अच्छी तरह से सर्विस कोआपरेटिव्ज के द्वारा सुविधायें देनी होंगी, फूड समस्या तभी आप हल कर सकते हैं लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग से इस देश की फूड समस्या और गम्भीर होती चली जायगी और उत्पादन कम होगा, हम भुखमरी के शिकार होंगे और उसके बाद सरकार का नारा होगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि तुम व्यक्तिगत मेहनत करके तो फूड समस्या हल नहीं कर पाये और सामूहिक रूप से भी नहीं कर पाये। इसलिये जमीन हमारी। और तुम सब बराबर मेहनत करो और हम तुमको दाम देंगे और सारी भूमि सरकार ले लेगी। सरकार की ऐसी भावना है, एक लम्बे युग की भावना है जो कि मैं सदन के सदस्यों को आज बतला देना चाहता हूं।

आज मंत्री जी ने घोषणा की कि हमने सहकारिता की इतनी सर्विस कोआपरेटिव सोसायटीज बना दीं और उनके आंकड़े दे दिये कि ५० या ५५ हजार रुपये उनके हिस्से में आये। लेकिन आज तक उन सर्विस कोआपरेटिव्ज को सरकार ने क्या दिया? आज जो वहां एकाउन्टेंट काम कर रहे हैं उनको ५-५ महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उनका हिस्सा तो कर्जे में दिखा दिया लेकिन देने के नाम? मुझे दुख है कि आज रजिस्ट्रार के यहां से पत्र जाता है जिला बैंक के लिये कि अपने यहां से दे दो, फिर देख लेंगे। जो सरकार के यहां से पत्र गया है, वह मैंने देखा है। अब जिला बैंक के पास रुपया कहां से आया?

अब मार्केटिंग सोसाइटीज को लीजिये। किसानों से गल्ला जबरदस्ती वसूल किया जाता है। जब किसान के पास गल्ला नहीं होता तो दो प्रतिशत का सूद लेकर मार्केट से खरीद कर डिपाजिट कराते हैं और किसानों को तेज देकर आमदनी बढ़ाई जाती है। इस प्रकार से

किसानों पर दुगना बोझ पड़ता है। ये मार्केटिंग सोसाइटीज नौकरशाही के बल पर चल रही हैं। विभाग में ६०-६० सुपरवाइजर रखे जाते हैं और जब वे फोन के हुक्म पर रखे जाते हैं तो क्या वह सरकार के सीधे नियंत्रण में न होगा ? वह मंत्री जी की बात को मानेगा या जनता की सेवा करेगा। इस तरह से नौकरों की भर्ती की जाती है। किसी को मालूम भी नहीं होता है और एप्वाइन्टमेंट हो जाता है। केन के महकमे में खांडसारी इंसपेक्टरों की भर्ती हुई लेकिन आज तक उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया। पता नहीं उनका क्या हुआ ? हो सकता है कि मंत्री जी स्वयं उस पर विचार कर रहे हों। इस तरह से इस विभाग में भिन्न-भिन्न प्रकार से मंत्री जी हस्तक्षेप करते हैं, लोगों को नौकर रखते हैं। बोर्ड में निजी मेम्बरान को एप्वाइन्ट करके उनसे कहते हैं कि ये ये लोग आते हैं, उनको लेना है। इस प्रकार से एक लिंक बनाकर जनता को दबाया जा रहा है।

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेंद्र वर्मा)---माननीया अधिष्ठात्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुदान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उस पर माननीय सदन के बहुत से माननीय सदस्यों के विचार सुनने का मुझे अवसर मिला। भाई दीपंकर जी ने जो कटमोशन प्रस्तुत किया है उस पर मैंने उनकी बात को सुना। मुझे यह खुशी के साथ कहना पड़ता है कि सौभाग्य से गत तीन वर्षों में इस प्रान्त में जो प्रगति सहकारिता में हुई है वह हमारे दूसरे विभागों में नहीं हुई। इस विभाग में जो प्रगति हुई वह आंखों से दिखती है। ८९.३ सोसाइटीज की फारमेशन में ९३ प्रतिशत के करीब की भर्ती हुई, जो योजना काल के पूर्व में इतनी बड़ी वृद्धि नयी सोसाइटीज के निर्माण में सदस्यों की भर्ती नहीं हुई। माननीय मंत्री जी ने प्रारम्भ में ही कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और प्रांविशियल कोआपरेटिव बैंक के द्वारा ५६-५७ में साढ़े ६ करोड़ रुपये का कर्जा बांटा गया और हर साल कर्जे की संख्या बढ़ी, ११ करोड़, फिर १५ करोड़ और इस वर्ष २२ करोड़ के करीब उन्होंने कर्जा दिया और अगले वर्ष जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि सरकार ने प्रदेश में कोआपरेटिव बैंक्स की मार्फत सदस्य लोगों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से ३६ करोड़ रुपया बांटने की स्कीम बनायी है। इसमें एक बात बतला देना मैं और मुनासिब समझता हूं कि नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव के आधार पर अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद् के सुझाव के आधार पर इन साधन सहकारी समितियों का निर्माण किया गया। इन साधन सहकारी समितियों में लैंडलेस लेबरर्स को भी सदस्य बनने का मौका दिया गया है जिससे भूमिहीन लोगों को भी इन साधन सहकारी समितियों की मार्फत कर्जा दिया जा सके। साधन सहकारी समितियों की बड़ी चर्चा है और मुझे अफसोस होता है कि आदमी की सराहना तो अलग रही, कहा यह जाता है कि १५ दिन और ७ दिन के अन्दर ही प्रदेश में जादू के डंडे की तरह साधन सहकारी समितियों का निर्माण हो गया। कोई काम न होता हो तो उसकी शिकायत करना जायज है लेकिन अगर दिल डाल कर उस काम को तेजी के साथ, उत्साह के साथ किया जाय तो उसे जादू का डंडा बतलाया जाता है। ८ लाख से ज्यादा तो हमारी साधन सहकारी समितियों के सदस्य हैं और १०,२१९ के करीब साधन सहकारी समितियां हैं। उन सभी साधन सहकारी समितियों ने अपने-अपने क्षेत्र में अपने सदस्यों की सेवा करने का भार भी उठाया है। पिछली दफा जब बजट के ऊपर चर्चा हुई थी तो कहा गया था कि क्या आवश्यकता थी साधन सहकारी समितियों के निर्माण करने की, अगर कर्जा ही केवल बांटना था। मैं बड़े अदब के साथ यह कहना मुनासिब समझता हूं कि साधन सहकारी समितियों का कार्य केवल कर्जा बांटना ही नहीं है बल्कि उनके जिम्मे बहुत बड़े-बड़े कार्य हैं। कृषि की उन्नति के लिये उन्नतशील बीज, उन्नतशील औजार, कीटनाशक दवाइयां आदि भी उनको अपने यहां ही तैयार करना है तथा कंज्यूमर्स गुड्स में भी वे कार्य कर सकती हैं।

(इस समय ३ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पुनः पीठासीन हुए।)

जैसा कि मैंने जनरल बजट डिस्कशन के मौके पर कहा कि ये साधन सहकारी समितियां दो प्रकार के कर्जे देंगी। एक प्रकार का कर्जा तो किसानों को उनकी फसलों पर दिया जायगा

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

जो उनकी फसलों के द्वारा ही उनसे वसूल किया जायगा। इन साधन सहकारी समितियों को अपने सदस्यों के फसलों की बिक्री का भी समुचित इंतजाम करना होगा। मध्यकालीन ऋण की बाबत पिछली दफा इस सदन में लोगों ने शिकायत की और प्रश्न भी पूछे थे। इस साल ४ करोड़ रुपया प्रदेश में मध्यकालीन ऋण के रूप में किसानों को, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जहां तक संभव हो सकेगा, बांटने का निश्चय किया गया है।

इन दोनों ऋणों के अतिरिक्त जैसा कि आप माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में घोषणा भी सुन चुके हैं, लैन्ड मार्गेज बैंक की स्थापना भी हो चुकी है। वह लैन्ड मार्गेज बैंक २,७५,००,००० रुपया दीर्घकालीन ऋण के रूप में इस प्रदेश के किसानों को देगा। इसकी २५ शाखायें भी विभिन्न जिलों में खोली जायेंगी। तो मुझे यह कहना है कि कोआपरेटिव विभाग के द्वारा इन सारी चीजों में कार्य करने की योजना है। मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी की भी चर्चा इस सदन में की गयी कि क्या प्रगति हुई? मुझे नहीं पता कि कौन-सी प्रगति उन्हें पसन्द है। तीन साल में तो १४८ कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनी थीं और अगले साल ३० कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज खोलने का और प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रकार प्रदेश में १७८ कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज की स्थापना हो जायगी जिनके जरिये सरकार का यह इरादा है कि मिडिलमैन के शोषण से उत्पादकों को बचाया जा सके। इस प्रकार सदन यह देखेगा कि जिस दिन सफलतापूर्वक कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज का संचालन होगा, उसी दिन कंज्यूमर्स की मार्फत राज्य व्यापार भी सफलता पूर्वक संचालित हो सकेगा। एक माननीय सदस्य ने मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के विषय में पूछा था कि उनका काम कितना आगे बढ़ा है, उनमें कितना मुनाफा हुआ है। मैं सभी माननीय सदस्यों की सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि इस समय तक आप के इस प्रदेश में १४८ मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा ९ लाख ५२ हजार का मुनाफा सदस्यों को हुआ है और यह मुनाफा जो कि सब से पहले साल केवल ८० हजार रुपया था और दूसरे साल ३ लाख ३२ हजार था वह अब तीसरे साल में ९ लाख ५२ हजार के करीब है और वह सदस्यों में तकसीम भी हुआ है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि गन्ना सहकारी समितियों में वह मुनाफा तकसीम नहीं हुआ है। मैंने इस बात को जानने की कोशिश की है कि कितनी केन कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिनमें मुनाफा सदस्यों को नहीं तकसीम हुआ है। बहुत सी सोसाइटियों में तो वह बांटा गया है और आगे भी इसकी कोशिश की जायगी कि जिन सोसाइटियों में वह नहीं बांटा गया है उनमें भी वह शीघ्रातिशीघ्र बांट दिया जाय।

आज हमारे सूबे में १६ प्रोसेसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं और मेरा विश्वास है कि इस अगले साल में और आगे के सालों में इन प्रोसेसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या शीघ्रता से बढ़ेगी। हमारे यहां आज १० शुगर प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं और हमारा इरादा है कि अधिक क्रिस्टल शुगर के उत्पादन के लिये हम अभी इनकी तादाद और बढ़ायें, ऐसा हमारा ध्येय है।

वेयर हाउसेज के बारे में भी यहां कुछ लोगों ने जिक्र किया। इनकी तादाद एक साल पहले १२ थी, इस मौजूदा साल में वह १७ और खुले और २० की और योजना अगले साल के लिये है। इस तरह से कुल ४९ वेयर हाउसेज हमारे प्रदेश की प्रमुख मंडियों में होंगे। मैं यह भी बता देना चाहता हूं जितना अन्न इस प्रदेश को छोड़ कर सारे देश के वेयर हाउसेज में रखा गया है वह सब मिलाकर इतना नहीं है कि जितना हमारे यहां रखा गया है। यह इरादा जरूर है कि यह वेयर हाउसेज किसानों की पैदावार की दृष्टि से, उनके हितों की रक्षा की दृष्टि से संगठित किये जा रहे हैं और जो कुछ सुविधायें हो सकती हैं उन्हें देकर सरकार की कोशिश है कि किसानों का माल सहूलियत से वहां रखा जा सके।

जहां तक बीज और फर्टिलाइजर्स का प्रश्न है सन् १९४८ से पहले इस प्रदेश में केवल जो प्रगति हुई है वह दस, साढ़े दस लाख मन बीज का वितरण होता था लेकिन इन दस सालों में जो प्रगति हुई है इसी से प्रकट है कि आज २४ लाख मन से भी अधिक बीज कोआपरेटिव बीज गोदामों से बांटा जाता है। जिस प्रकार अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छे और उन्नतिशील बीज की आवश्यकता है वैसे ही खाद या फर्टिलाइजर्स की भी किसानों को अत्यन्त आवश्यकता है। हमारी गन्ना सहकारी समितियां, हमारे बीज स्टोर और कोआपरेटिव फेडरेशन सभी इस खोज में हैं कि अधिक से अधिक खाद और बीज समय से किसानों को मिले। बदायूं के विषय में शिकायत हुई कि वहां से खाद मद्रास या हैदराबाद भेजा गया। हमारी जानकारी में भी वह चीज आई। मैंने माननीय सदस्य से प्रार्थना भी की थी कि वह मुझे लिख कर दें ताकि सी०आई०डी० द्वारा इन्क्वायरी कराई जा सके। मुझे खेद है कि लिखित रूप में वह नहीं मिली। लेकिन फिर भी जो शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं उन सब की सी० आई० डी० द्वारा इन्क्वायरी की कोशिश हुई है।

अब रही कोआपरेटिव फार्मिंग की बात। हमारे दीपंकर भैया ने इस बात का जिक्र किया कि अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है। उनके शब्दों में पाखंडपूर्ण नागपुर अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं उन की जानकारी के लिये और माननीय सदस्यों के समक्ष यह बताना मुनासिब समझता हूं कि सन् १९५७-५८ में २६२ कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज आपके इस प्रदेश में थीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०० कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिससे हर वर्ष २० निर्मित की जा सकें। लेकिन आपको सुनकर खुशी होगी कि पहले ही तीन साल में १२१ कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज का संगठन आपके इस प्रदेश में हो चुका था और ३१ जनवरी, सन् १९६० तक ३६० कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज इस प्रदेश में चालू हैं। जितने आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें २३९ कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें लाभ हुआ है और कुछ ऐसी हैं ३९ के करीब जिनमें हानि हुई। सन् १९५८-५९ के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें से बता रहा हूं।

जहां तक कई भाइयों ने कहा कि क्या फायदा है कोआपरेटिव फार्मिंग का, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्यवश हमारे इस देश में और विशेषकर प्रदेश में ७४.६ परसेंट लोग खेती में लगे हैं। उनमें से भी अधिकांश अलाभकर जोतों के किसान हैं जिनके पास साधनों की कमी है। हिन्दुस्तान में प्रति एकड़ पैदावार भी कम है क्योंकि छोटे-छोटे खेतों के ऊपर लोग खेती करते हैं। किसानों के पास साधन नहीं हैं, उनके खेतों में पुराने तरीके हैं। नये तरीके छोटे-छोटे और बिखरे हुए खेतों पर इस्तेमाल नहीं होते। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि नई टेक्निक्स किस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग में हो सकेंगी, कैसे रोजगार दे सकेंगी। मैं बताना चाहता हूं कि अलाभकर जोतों के कारण हिन्दुस्तान के किसान की आज रीढ़ की हड्डी टूटी है। जब बहुसंख्यक किसान अलाभकर जोत वाले हैं तो मिलकर काम करने के सिवाय--जिस काम को अकेले नहीं कर पा रहे हैं--और क्या तरीका हो सकता है पैदावार बढ़ाने का? मुख्तलिफ रायें हो सकती हैं। हर इंसान इस डेमोक्रेसी में अपनी स्वतंत्र राय रख सकता है और जाहिर कर सकता है। लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में मैं स्पष्ट रूप से सरकार की नीति बता देना चाहता हूं। किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध भी उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती नहीं की जायेगी। कोआपरेशन लोगों की स्वेच्छा के ऊपर, उनके आत्मविश्वास के ऊपर और प्रेम के ऊपर आधारित है, न कि कम्पल्शन पर। इसी कारण सरकार ने प्रसार और प्रचार की कोशिश की है।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

यह कहा गया कि कौन-सा प्रयास किया गया है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था, २८-२९ अप्रैल को आपके इसी केन्द्र पर एक बड़ा भारी सेमीनार कोआपरेटर्स का किया गया, थ्रेडबेयर उस पर लोगों ने विचार किया। डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्रीय लेविल पर सेमीनार किये और आज भी गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। जिलों में भी आयोजन किया जा रहा है, ट्रेनिंग की बड़ी भारी व्यवस्था की जा रही है। सन् १९५६-५७ में प्रदेश में कुल ७ ट्रेनिंग सेंटर थे। सन् ५७-५८ में १४ ट्रेनिंग सेंटर हुए और गत वर्ष हर जिले के अन्दर एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित हो चुका है। अगले इस साल में २५ और केन्द्र ट्रेनिंग के सरकार खोलने का इरादा रखती है। डेढ़ महीने के करीब सेक्रेटरी और मैनेजर्स की ट्रेनिंग हो रही है आपके रामपुर के इंस्टीट्यूट पर। जो कमेटी के मेम्बर्स हैं उनको करीब एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई और जो आम सदस्य थे उनको तीन दिन की ट्रेनिंग दी गई। इस प्रकार प्रदेश में २५,८१३ आदमी ऐसे थे जो कमेटी के सदस्य न थे उनको भी ट्रेनिंग दी गई और ३,२०० कमेटी के सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी गई और १,२५८ सदस्य ऐसे हैं जो सेक्रेटरीज थे जिनको कोआपरेटिव फार्मिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी गई।

आज हम लोग कोआपरेटिव मूवमेंट में दोष निकालते हैं। मुझे १९५८ में अमरीका जाने का सौभाग्य मिला और मैंने वहां कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स को देखा। वहां भी शुरू में जब सहकारिता का आन्दोलन चला तो एक सेट बैक हुआ और कुछ असफलता हुई, जिसका कारण था लोगों में जानकारी और शिक्षा की कमी तथा ट्रेनिंग की कमी। वहां की सरकार ने लोगों को जानकारी करायी, ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी जिसके परिणाम स्वरूप वहां आज कोआपरेटिव्ज बहुत ही सफलता के साथ चल रही हैं। हर क्षेत्र में चाहे कन्ज्यूमर हो, लाइव स्टाक की कोआपरेटिव हो, ब्रीडर्स की हो, यहां भी सेमीनार और कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया तथा किया जायगा जिसके फलस्वरूप मुझे विश्वास है कि हम लोगों को जल्दी ही ट्रेनिंग दे सकेंगे। सरकार के एक व्यक्ति के नाते मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के ४८ जिलों में जितने भी विभिन्न सहकारिता से संबंधित हमारे सहकारी कार्यकर्ता हैं, कोआपरेटिव यूनिट्स हैं, मैं सब जगह जाकर पूछता हूं कि आप लोगों की क्या दुविधा है और उसका निराकरण भी करने का प्रयास करता हूं। आज संसार में दो तरीके हैं, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। एक सदस्य ने कहा कि रूस में २.८ मैट्रिक क्विन्टल गेहूं एक एकड़ में होता है और डेनमार्क के भी कुछ आंकड़े दिये। लेकिन रूस के अन्दर स्टेट कैपिटलिज्म है और इस सरकार ने कभी उस तरीके को नहीं अपनाया और न अच्छा समझा और न आगे ही उसको अपनाने जा रही है। बल्कि जो डेनमार्क का तरीका है, नीदरलैण्ड में डेनमार्क और हालैंड में सबसे अधिक कोआपरेटिव्ज को प्राथमिकता दी गई है और उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। पूंजीवाद हमारे यहां चल नहीं सकता क्योंकि हमारा देश गरीब है, साम्यवाद चलाना नहीं चाहते क्योंकि उसमें हिंसा होती है, व्यक्ति का विकास नहीं होता है। इसलिये इन दोनों के बीच का एक ही तरीका है। आप यह भी समझ लें कि दो प्रकार के सेक्टर प्रदेश और देश में चल रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक सेक्टर में इसका खतरा हो सकता, जो हैवी इंडस्ट्रीज के लिये सरकार ने अपनाया है, कि उसमें स्टेट कैपिटलिज्म आ सकती है लेकिन आपके प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल एक्सप्लायटेशन होता है। स्टेट कैपिटलिज्म या प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन दोनों के बीच का यह रास्ता है जिसे कोआपरेटिव सेक्टर कहते हैं जिसमें हमारे किसानों की और जनता की स्वतंत्रता भी रहती है और उनकी मिल्कियत भी बनी रहती है। लोग बाज वक्त कहते हैं कोआपरेटिव फार्मिंग क्या है? लोग अपने छोटे-छोटे टुकड़ों को मिला सकते हैं और एक कोआपरेटिव मैनेजमेंट के लिये पुल कर सकते हैं। आपकी जो भूमि है, मिल्कियत है वह सुरक्षित रह सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं जिसमें आप छोटे-छोटे साधनों को मिला कर अपनी मिल्कियत भी बनाये रखें और जिसमें आपका इनिशियेटिव भी बना रहे। मैं सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि इस देश के उत्पादन को बढ़ाने में उन गरीब

और अलाभकर जोतवाले साधनहीन किसानों के लिये कौन-सा तरीका हो सकता है ? नुक्ताचीनी की जा सकती है । जिस समय जनता चुन कर इस सदन में माननीय सदस्यों को भेजती है बड़ी आशायें व्यक्त करते हैं चाहे वे हम हों, चाहे अपोजीशन में बैठने वाले माननीय सदस्य हों, लेकिन यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अच्छाई का श्रेय तो हम लेना चाहते हैं लेकिन बुराई दूसरों पर थोपना चाहते हैं । लेकिन उस बुराई को अगर दूर करने की कोशिश की जाय जो आंख से दिखती है, कान से सुनी जा सकती है तो इस प्रदेश तथा प्रदेश की जनता का भला हो सकता है । आपने जो शिकायतों का जिक्र किया तो ७२० के करीब इस प्रदेश में ऐसे केसेज हैं जो करप्शन के केसेज हैं और सरकार के सामने आये । ४२४ केसेज ऐसे हैं जिनमें विभागीय कार्यवाही हो रही है और २९६ केसेज ऐसे हैं जिनकी अदालत के जरिये से या पुलिस के जरिये से तफतीश हो रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—कितने रुपये का गबन है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—२७ लाख रुपये का गबन है लेकिन अरबों रुपयों का काम कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये होता है । मैं यह नहीं कहता कि यह कोई अच्छी बात है । बुराई का मुकाबला करना हमारा आपका सबका फर्ज है । हम सब मिलकर उस बुराई का मुकाबला करेंगे । कौन आदमी कहेगा कि बुराई रहे ? मैं यकीन दिलाना चाहता हूं गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई कम्पलेंट हो उस कम्पलेंट को यदि आप मुझ तक पहुंचायेंगे, तो हम उसकी जांच करायेंगे । अगर यह शिकायत रहती है कि सरकारी अधिकारी सही जांच नहीं करता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे चन्द केसेज में जहां सही किस्म की जांच नहीं हुई वहां मैं आपके साथ चलूंगा और मौके पर खुद जांच करूंगा । जितना आपके दिल में जज्बा है उस बुराई के खिलाफ मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का जज्बा बुराई से लड़ने का उससे कम नहीं है । ८४८ के करीब हमारी सहकारिता में ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पनिशमेंट दिया गया है, २७ ऐसे हैं जिनको पिछले साल बरखास्त किया गया है, ४१ ऐसे हैं जिनकी तरक्की को रोका गया है । तो इस तरीके से सरकार के दिल में खराब आदमी के प्रति जो मिसएप्रोप्रियेशन या बुराई करता हो कोई गुंजाइश नहीं है । यह भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिये बतला दूं कि अकेले सरकारी कर्मचारी ही नहीं हैं, चाहे कोआपरेटिव इंस्पेक्टर हो या सुपरवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, ये ही दोषी पाये जाते हों बल्कि कोआपरेटिव सोसाइटीज और संचालक मंडल के प्रबन्धक भी इसमें दोषी पाये जाते हैं । चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी हो सबकी तरफ से मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे वह किसी पोलिटिकल पार्टी का आदमी हो बहैसियत उपमंत्री के मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार किसी भी तरह से पनपने वाला नहीं है । आप शिकायत करें और कांस्ट्रक्टिव शिकायत करें तो हमारी पोलिटिकल फील्ड इससे ऊपर है । अगर हम सब कांस्ट्रक्टिवली सोचेंगे तब हम कहीं अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे । इसके अलावा मैं आपको यह और बता देना चाहता हूं कि यहां पर किन्हीं भाइयों ने जिक्र किया कि एक सीलिंग का कानून आया, दरहकीकत एक सीलिंग का कानून आया । ४ लाख ७६ हजार एकड़ के करीब जमीन उसमें बचेगी और वह विशेषकर भूमिहीन लोगों को उनकी आर्थिक हालत सुधारने में तकसीम की जायगी । एक बात और बता देना चाहता हूं । सरकार के विभागों की तरफ से इर्रीगेशन और सार्वजनिक निर्माण विभागों की तरफ से यह आदेश जारी हो चुका है कि लेबर कोआपरेटिव्ज को २ हजार रुपये तक के काम एस्टीमेट पर दिये जायं । इस तरह से सरकार की नजर हर तरफ घूम रही है और कोशिश हो रही है और मुझे उम्मीद है कि जो प्रगति इस दिशा में हुई है अगर आपका सहयोग मिलेगा तो अगले साल में इससे कई गुना प्रगति आप अपनी आंखों से देखेंगे, जबान से आप चाहे न कहें । इतना कह कर मैं उम्मीद करता हूं कि आचार्य दीपंकर जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का भाषण तो सुनने का अवसर प्राप्त ही हो गया। बड़े मंत्री जी का भी भाषण सुना। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर वह हमसे चाहते क्या हैं? इतनी कठिनाई है हमारे सामने।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सदन में व्यवस्था।

श्री राजनारायण---सदन में व्यवस्था वह चाहते हैं हमसे तो खुद अव्यवस्था बरतें, जो स्वतः अव्यवस्थित हैं। तिस पर भी हम कोशिश करेंगे। माननीय मोहनलाल जी गौतम उठ कर चले गये, यह अच्छी व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता---वह वीरेन्द्र वर्मा जी को छोड़ गये हैं।

श्री राजनारायण---अब बेचारे वर्मा जी की कितने दिन तक चलेगी, कहां तक चलेगी इस पर हम को बहुत शक है। इस समय अब मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीरेन्द्र वर्मा जी को मैं जरा कुछ मुहब्बत करता हूं निजी तौर पर।

श्री अधिष्ठाता---यह मुहब्बत पुरानी है या नयी?

श्री राजनारायण---पुरानी है। सत्य के लिये आंच क्या, पुरानी मुहब्बत है। जब वह एक उपमंत्री के रूप में नहीं थे तो कभी-कभी मैंने यहां पर उनको अपने पक्ष में, सरकारी पक्ष में बैठकर बोलते पाया था और मुझे ऐसा लगता था कि चाहे ये कहीं भी रहेंगे इनकी यह अग्नि जलती रहेगी।

श्री अधिष्ठाता---आज भी तो वह आपके पक्ष में बोल रहे थे।

श्री राजनारायण---स्वराज्य और स्वतन्त्रता। मैं पहले आपके द्वारा उनको बताना चाहता हूं कि स्वतत्रंता की परिभाषा क्या है :

"Freedom is the recognition of necessities and from the realm of necessities to the realm of freedom."

मनुष्य जब कार्य और कारण को समझते हुये अपनी आवश्यकता की स्वतंत्रता पूर्वक पूर्ति करने लगे तब समझा जाना चाहिये कि वह स्वराज्य हासिल कर चुका है। जब मनुष्य व्यवस्था के क्षेत्र से निकल कर स्वच्छन्द वातावरण में विचरण करने लगे बिना किसी बाधा के, तब समझना चाहिये कि हां, उसे सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त है। मैं जरा आपकी इजाजत से थोड़ा-सा इतिहास में भी जाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---समय कम है।

श्री राजनारायण---थोड़ा-सा और दे दीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता---दूंगा जरूर लेकिन फिर भी इतना समय नहीं है।

श्री राजनारायण---भाषण अच्छा हो तो टोकिये न बीच में। सवाल यह है कि अगर वर्तमान इतिहास का अवलोकन किया जायगा तो कम से कम चार स्वतंत्रता की लड़ाइयां हमारे सामने हैं। पहली स्वतंत्रता की लड़ाई हुई "Every man is equal before law." कानून के सम्मुख हर आदमी बराबर है। इतने ही तक जब स्वतंत्रता समझी गयी तो आगे चलकर कठिनाइयां बढ़ने लगीं और लोगों के सम्मुख यह समस्या आयी कि नहीं, जबतक राजनीति की स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक केवल कानूनी स्वतंत्रता अधूरी है। तब दूसरी लड़ाई हुई कि राजनीति के सामने भी सब समान हैं। राजनीतिक समानता की लड़ाई और कानूनी समानता की लड़ाई के बाद फिर हुई आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई। मैं जानना चहता हूं कि आज कोआपरेशन के मंत्री बतायें कि हमारे देश में कानूनी तथा राजनीतिक समानता है। २१ वर्ष का मर्द और औरत को समान अधिकार मिले हुये हैं वोट देने के और अपनी सरकार बनाने के।

लेकिन क्या यह समानता कार्यान्वित हो पायेगी जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं होगी। आज इसके बिना हमारे सहकारिता मंत्री जी कहते हैं कि हम सहकारी आन्दोलन को चरम विकास की सीमा पर ले जा रहे हैं। यह असम्भव है और जितनी भी बातें उधर से कही गई हैं वह सब कपोल कल्पित और ढोंग पूर्ण हैं। आज मैं उनसे कहता हूं कि वह अपने नेता को देखें जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उनका १० तारीख का बयान है, जब कि वह दस हजार सर्विस कोआपरेटिव्ज का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने उस समय कहा था कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि यह केवल तमाशा है या इनके पीछे कुछ शक्ति भी है। मैं उन्हीं की भाषा पढ़ देना चाहता हूं :

"There is only show or is there any strength behind them ?"

यह उनकी चीज थी। जब वह अपने नेता को नहीं समझा पाये कि दस हजार जो साधन समितियां उन्होंने बनाई हैं जिसके उद्घाटन के लिये पंडित जवाहर लाल नेहरू को बुलाया गया था ताकि इसका प्रचार अखबारों में हो और प्रदेश की जनता को मालूम हो जाय कि हमारे यहां वह सर्विस कोआपरेटिव्ज बन गई हैं।

मैं कहता हूं कि इस तरह से आप आंकड़े का जाल फैलाकर जनता को भ्रम में न डालिये। इस तरह से लोगों को बुद्धि विभ्रम में न डाला जाय। यह जो आन्दोलन चल रहा है इससे जनता में कितनी जाग्रति हुई है, कितनी चेतना हुई है, क्या इस प्रदेश की जनता आज स्वतः प्रेरित होकर इस ओर अग्रसर हो रही है ? एक जगह नहीं बल्कि अनेक जगह मैं यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि स्वतः जनता इस ओर नहीं बढ़ रही है बल्कि वह इससे विमुख हो रही है। अच्छे लेक्चर देने की योग्यता माननीय गौतम जी में है और वर्मा जी में भी हो गई है लेकिन मैं वस्तुस्थिति को जानना चाहता हूं।

श्रीमन्, नागपुर अधिवेशन की बात कभी-कभी आप भी कह देते हैं लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं बैलों की जोड़ी वाली घोषणा पर। यह कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र है। इसमें लिखा हुआ है कि कृषि के सम्बन्ध में पूर्ण उपलब्ध जनशक्ति को सामने रखते हुये उचित सहयोगी आधार पर खेती करने के जोरदार तरीके पर प्रोत्साहन दिया जाय। कांग्रेस ने सहयोगी खेती का नारा अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में भी लगाया था लेकिन कितनी दूर सहयोगी खेती चली। यह सब खत्म हो गई क्योंकि यह नारा बालू की भीत पर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बड़े नेता हैं वह हर साल एक नया नारा देते हैं। पहले उन्होंने नारा दिया कि कल्याणकारी राज्य बनायेंगे। लोगों ने शोर किया कि कल्याणकारी राज्य तो इंगलैंड में है। सभी बच्चों को वहां फल मिलता है, दूध मिलता है, बूढ़ों तथा बेकारों को पेंशन मिलती है। यह सब कल्याणकारी राज्य के लक्षण हैं। तुम्हारे यहां क्या है ? तुम क्यों इस शब्द को अपमानित करते हो ? काफी विरोध हुआ तो फिर नारा लगाया कि कोआपरेटिव कामनवेल्थ बनायेंगे। इसका जब अर्थ न कर सके तो फिर समाजवादी प्रकार का ढांचा (सोशलिस्टिक पैटर्न) बनाने का नारा लगाया गया। लेकिन इसकी भी भीत ढह गई। फिर उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी बनायेंगे, इस देश में इसकी हवा फैल गई कि कांग्रेस भी समाजवादी हो गई। कुछ लोगों की ललचायी आंखें कांग्रेस की ओर दौड़ने लगीं। लेकिन हमने कहा कि यह जनता को भ्रम में ले जाने वाली चीज है। इसमें ईमानदारी, तत्परता और सत्य लगन नहीं है। यह तो भ्रम में रखने वाला एक नारा है। जब यह सब भ्रामक मंत्र स्पष्ट हो गये तो इधर फिर आ गयी कोआपरेटिव फार्मिंग। मैं वीरेन्द्र वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग कैसे सफल होगी ? कोआपरेटिव फार्मिंग कहां होती है ? इसराइल, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे को देख लीजिये। वहां की वस्तुस्थिति भिन्न-भिन्न थीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आंकड़ों की पुस्तिका छपी है उसमें १९५६-५७ के आंकड़े हैं। करीब ३२ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती हो रही है और कुल ५७ अरब रुपया खेती और

[श्री राजनारायण]

पशु-पालन से पैदा हुआ। इसमें २३ अरब रुपया बीज और लगान का है। मान लीजिए कि कोआपरेटिव फार्मिंग हो गयी तो कितना मुनाफा प्रति एकड़ सरकार देने के लिये तैयार है। सरकार के पास कोई आंकड़ा है? मैंने मेरठ से लेकर बलिया तक के किसानों से जानकारी की। मैंने पूछा कि कितना मुनाफा तुम्हें मिले कि तुम अपनी जमीन सहकारी खेती में दे दोगे। कोई कहता है कि डेढ़ सौ मिले, कोई कहता है कि सौ मिले। मैं चाहता हूं कि ५० रुपया अगर आप मुनाफा दें तो ३२ करोड़ एकड़ पर पचास रुपये के हिसाब से १६ अरब रुपया हुआ। ५७ में से २३ गया तो बचा ३४। उसमें से १६ निकाल दीजिये तो १८ अरब रुपया बच गया। १० करोड़ आदमी खेती पर लगे हुए हैं। एक मजदूर को कितना रुपया कोआपरेटिव फार्मिंग के जरिये देना चाहते हैं। हम मुरादाबाद गये। हसनपुर तहसील में कोआपरेटिव फार्मिंग का परीक्षण चल रहा है। वहां पर साढ़े ६२ रुपये के हिसाब से मजदूर को मजदूरी मिल रही है। अगर साधारण मजदूर को पचास रुपये भी मजदूरी दें तो जिस कोआपरेटिव फ़ार्मिंग में सुपारवाइजर होंगे, ट्रैक्टर चालक होगा, इंस्पेक्टर होगा उसका औसत ७५ रख लें। तो ७५ के हिसाब से २ करोड़ को ही काम दे पायेंगे। बाकी ८ करोड़ के लिये कौन काम है? उनके लिये क्या योजना बनायी गयी है? केवल झूठे, अनर्गल और अव्यावहारिक नारे लगा कर जनता में विभ्रम पैदा करना आज सरकार का विशेष गुण हो गया है।

कोआपरेटिव फार्मिंग तब चलेगी जब कि जमीन का समुचित रूप से बटवारा होगा, जब कि जमीन की उंची सीमा बांधी जायगी और जब जमीन की ऊंची और नीची सीमा में ज्यादा अन्तर नहीं होगा। कहा गया है कि सरकार ने जमीन की ऊंची सीमा की व्यवस्था कर दी है। कब वह बिल आयेगा, कब वह कानून की शक्ल धारण करेगा, मुझे नहीं मालूम। आज सरकार की ओर से जमीन की हदबन्दी का क्या आधारभूत सिद्धांत पेश किया गया है? कितनी जमीन बचेगी? मुश्किल से डेढ़-दो लाख एकड़ जमीन बचेगी। अगर सरकार कोआपरेटिव फार्मिग चलाने के लिये दत्तचित्त है तो २० एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं रहनी चाहिये। छोटे-छोटे गृह कुटीर उद्योग धंधे का जाल बिछाना चाहिये, मगर मैं पूछता हूं कि गृह उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिये क्या किया गया? कांग्रेस मैनीफेस्टो में लिखा गया है कि गैर-सरकारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का इरादा कांग्रेस का नहीं है। जब यह इरादा नहीं है तो छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को कैसे खोल पायेंगे? समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण का नारा लगा कर इन शब्दों के साथ क्या बलात्कार करना नहीं है? अगर सहकारी खेती को चलाना है तो सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जो सुझाव दिया गया उसको यह सरकार माने और जब तक वह सुझाव कार्यान्वित नहीं होगा तब तक सहकारी खेती नहीं चलेगी। और सहकारी खेती क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जाति-पांति का बन्धन भी उसके रास्ते में एक अड़चन पैदा करता है। हमारे जिले में एक सहकारी खेती चल रही है। मैं आरजू मिन्नत करता हूं कि किसानों के पास जमीन छोड़ो। जब वह पहले बीते जोतते थे तो एक एकड़ में १२ मन पैदा होता था। आज जब सहकारी खेती हो रही है तब वहां तीन चार मन फी एकड़ पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवता और बाबूसाहब कहलेन कि हम काम नाहीं करब। हरिजन काम करेगा, पिछड़ी जाति का आदमी काम करेगा और मजा करेंगे हम। तो सहकारी खेती के चलने में और उसको सफलता देने में जाति व्यवस्था भी एक बाधा दे रही है, क्योंकि हरिजन और छोटी जातियों को ऊंची जाति वाले बाध्य करते हैं काम करने के लिये और उनकी कमाई का नाजायज फायदा बैठे-बैठे लेते हैं। कहां हैं सहकारिता के बड़े-बड़े अफसर जो हमारे हरिजनों की मदद करें? कह-कह के परेशान हो जाता हूं, कोई कुछ नहीं करता है। सहकारी आन्दोलन चलाने के लिये पहले जात-पात का डाँड़मेड़ तोड़ो।

एक बात जरा जनसंघ के बारे में कह देना चाहता हूं। उधर से आवाज आ रही है तब। यह भारतीय जनसंघ का चुनाव घोषणा-पत्र है। मैं तो बड़ी ही हैरत में हूं, बहुत ही परेशान

हो गया हूं कि आज ये देश को ले कहां जाना चाहते हैं। कथनी कुछ, लिखनी कुछ, करनी कुछ। जनसंघ के घोषणा-पत्र में यह कहा गया है––वह कहते हैं कि सहकारिता का आन्दोलन समाजवाद की बात है। तो हमने कहा कि यह अपनी किताबों को पढ़ते हैं या नहीं? इनकी किताबों में खुद लिखा हुआ है कि यह कहां-कहां सहकारिता के आन्दोलन को विकसित करेंगे––ग्रामों में सहकारी बैंकों की स्थापना करना तथा ग्राम जनों और उनकी फसलों तथा पशुओं के बीमे की प्रथा आरम्भ करना, ग्रामों में डेरियां स्थापित करना, जिनके द्वारा शुद्ध दूध, घी तथा मक्खन प्राप्त हो सके तथा जो ग्राम की आवश्यकता को पूरा करने के साथ नगरों को भेजा जा सके––तो यह व्यवस्था वह करेंगे और––देश व्यापी आन्दोलन तथा उत्साह वर्द्धन द्वारा किसानों में अधिक अन्न उपजाने के लिये परिश्रम करने की भावना तथा चेतना उत्पन्न करना। इसके आगे और पढ़ा जाय––वितरण का न्यूनतम तथा अधिकतम आधार सिंचाई के प्रबन्ध से युक्त अच्छी भूमि का क्रमशः ५ एकड़ तथा ३० एकड़ अथवा उसकी पैदावार के बराबर होगा। तो जन-संघ ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह लिखा है कि अच्छी सिंचाई के साधनों से युक्त भूमि का अधिकतम ३० एकड़ वह छोड़ेंगे और ३० एकड़ के बाद कितनी जमीन बचेगी इसका कोई आंकड़ा उन्होंने निकाला है? फिर न्यूनतम के माने क्या हैं? न्यूनतम माने कम से कम। तो कम से कम ५ एकड़ वह छोड़ेंगे। ५ एकड़ से कम जमीन वह नहीं छोड़ेंगे। अपने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपको, मैं बताऊं, ७३ फीसदी किसान २ एकड़ से कम वाले हैं। पांच एकड़ से कम जमीन ८३ फीसदी किसानों के पास है। तो क्या पांच एकड़ से कम वालों की जमीन ले लेंगे क्योंकि वह तो ५ एकड़ से कम का सिद्धान्त मानते ही नहीं। तो वह कहां जायेंगे? इस-लिये जनसंघ का चुनाव घोषणापत्र निश्चित रूप से गला काटने वाला है, क्योंकि ३० एकड़ के बाद इतनी जमीन नहीं बचेगी कि सबको वह पांच एकड़ कर दें; तो फिर छोटे किसानों को जनसंघ ले लेगा।

अब रह गई कम्युनिस्ट पार्टी। "बड़ी-बड़ी घोड़ी घास न पावें, लंगड़ी घोड़ी टांग उठावे।"

श्री अधिष्ठाता––आपका समय बहुत कम रह गया है।

श्री राजनारायण––आप जरा खयाल कीजिये। अभी जब आप लाल बत्ती जलाइयेगा, उसके बाद ५ मिनट और दे दीजियेगा।

कम्युनिस्ट पार्टी यह कहती है अपने चुनाव घोषणा-पत्र में:

> "कम्युनिस्ट पार्टी यह मानती है कि हमारे विकास के मौजूदा दौर में देशभक्त पूंजीपति हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। पार्टी की इच्छा है कि देशी उद्योग को विदेशी होड़ से बचाया जाय। पूंजीपतियों के तमाम उचित अधिकारों की रक्षा हो और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना को लागू करने में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय।"

यह कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि देशी पूंजीपतियों को बढ़ाओ। पूंजीपतियों के उचित अधिकारों की रक्षा करो और राष्ट्र के विकास में पूंजीपतियों का सहयोग लो। फिर राष्ट्रीय करण की बात कहां गयी? जब सारा पूंजी-पति समाज देश भक्त हो गया तो मजदूर क्या हुआ? मगर जब मजदूरों के बीच में जाती है तो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि तुम्हारे खून के गारे से यह गगनचुम्बी अट्टालिकाएं बनी है लेकिन अपने इस चुनाव घोषणा-पत्र में कहते हैं कि पूंजीपतियों के अधिकारों की समुचित सुरक्षा होनी चाहिये। उनकी सहायता की बात करते हैं। इधर कुछ और उधर कुछ।

कांग्रेस के बारे में क्या कहूं? कौन-कौन गुण बरनौं झबरी तोर। कांग्रेस के गुणों का हम क्या वर्णन करें ....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह कोआपरेटिव के ऊपर बातें हो रही हैं या पार्टी के ऊपर ?

श्री अधिष्ठाता---कोआपरेटिव के ऊपर हो रही हैं ।

श्री राजनारायण---जब कोआपरेशन का विभाग ऐसे मंत्रियों के हाथ में चला जायगा कि जो हमारी बात को भी समझ न पावें कि इसको मार कहां जा रही है तो फिर आगे ये क्या करेंगे ? "बूड़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल" ।

मैं आज यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव का आन्दोलन बहुत बढ़िया आन्दोलन है । निश्चयरूप से तानाशाही को अगर खत्म करना है और प्रजातन्त्र की नीव को मजबूत बनाना है तो कोआपरेटिव के आधार पर हमको मुल्क को बनाना होगा और मैं बड़े गर्व के साथ यह कह रहा हूं कि सहकारिता आंदोलन को हम प्राणपण से विकसित करने की चेष्टा करेंगे मगर आज जो सहकारिता आन्दोलन को सफलता नहीं मिल रही है उसका कारण यही है कि यह विभाग अभी तक निकम्मे अफसरों और निकम्मे मंत्रियों के हाथ में पड़ा हुआ है और आज वह सिसक रहा है । मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टी० बी० के तीन चरण हुआ करते हैं वही इसकी दशा है । पहले चरण में टी० बी० साध्य होता है । दूसरे चरण में दु:साध्य होता है और तीसरे चरण में असाध्य हो जाता है । मैं यह कहता हूं कि आज इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सहकारिता के आन्दोलन में टी० बी० रोग पैदा कर दिया और वह विभाग टी० बी० के तीसरे चरण में पहुंच गया है जो असाध्य है । मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वह कोआपरेटिव आन्दोलन को बचाना चाहते हैं तो इसमें आमूल परिवर्तन करें। अफसरशाही को समाप्त करें, ऊपर के निर्देशन को समाप्त करें, नियम इस ढंग से बनायें कि जिससे कोआपरेशन नीचे से विकसित होता चले । कोआपरेशन के उपमंत्री पश्चिम के रहने वाले हैं । मेरठ में जितने कोआपरेटिव के नाम भट्टे चल रहे थे उन सब भट्टों को व्यक्तियों को दे दिया गया । अगर कोआपरेटिव का आन्दोलन बढ़िया चीज थी तो क्यों दे दिया ? मैं वाराणसी का रहने वाला हूं और आप भी श्रीमन्, वाराणसी के रहने वाले हैं । मेरे पास बनारस की यह लिस्ट है । इसमें एक नेता के ऊपर २,५०० रु० बाकी है । एक दूसरे के ऊपर ६०० रुपया बाकी है । यह पूरी लिस्ट है जिसका टोटल दो लाख के लगभग आता है....

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)---इसके नाम पढ़ दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता ---मैं नाम पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजनारायण---मैं नाम पढ़े देता हूं । एक शंकर हाइड्रो एलेक्ट्रिक के हैं । दूसरे रामलाल ठेकेदार हैं। तीसरे बसन्तलाल हैं, राम करण सिंह हैं, शंकर मिस्त्री हैं और कमलापति जी त्रिपाठी हैं इनके ऊपर ४,८०० रुपया बाकी है । रामलखन एम० एल० ए० आदि पर बकाया है ।

(व्यवधान)

मैं अब अपनी बात कह दूं कि निश्चित रूप से जब कोआपरेटिव आन्दोलन के नाम पर प्राणियों की हत्या करने पर यह सरकार तुली हुई है तब इस सरकार के हाथ से यह विभाग हटे तभी जाकर समुचित तरक्की होगी ।

(व्यवधान के बीच श्री गोविन्द सहाय का नाम पुकारा गया ।)

श्री राजनारायण---मैं आपसे यह कह दूं कि कोई सम्मानित सदस्य अगर यह चाहें कि अपनी लफंगेबाजी से हमको दबा देंगे तो हम दबेंगे नहीं और हमारी साधुता उन पर विजय पायेगी ।....

श्री अधिष्ठाता---अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठिये, मैं श्री गोविन्द सहाय जी को बुला चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैं आज सवेरे से देख रहा हूं—आप नेताओं के चक्कर में फंस गये हैं। जो लाभकर जोत वाले हैं, जो गरीब मजदूर किसान हैं, जो नेताओं के पीछे बैठे हुये हैं, उनकी तरफ अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। जो अलाभकर जोत वाले हैं उन्हें ही आपने बोलने का मौका दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हम लोगों को भी बोलने का मौका दें। नेताओं के चक्कर में न पड़ें।

श्री अधिष्ठाता—आप उठे ही नहीं थे। आप बैठिये। आपको भी मौका मिलेगा।

***श्री गोविंद सहाय** (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि मुझे इस तनाव व शंकोशिकवा के वातावरण में बोलने का मौका मिला। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय के ऊपर जितने ठंडे तरीके से गौर हो सके उस पर अपने विचार व्यक्त करूं।

अपोजीशन की ओर से दो मूलभूत प्रश्न कहे गये हैं और मेरी यह ख्वाहिश है कि मैं उन बातों का सही सही जवाब दूं। इधर से जो बातें कही गयी हैं उनका जवाब अभी उधर से नहीं मिला है, इसलिये मेरी यह ख्वाहिश थी कि उनका जवाब दिया जाय। श्री पालसिंह जी ने और जन संघ की तरफ से जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन पर हमें ठंडे दिल से गौर करना होगा। आज हमारे देश के अन्दर एक यह विचार पनप रहा है, वह विचार पढ़े लिखे लोगों में पनप रहा है कि कोआपरेशन जो है वह इस देश के अन्दर सफल नहीं होगा और अगर इसका देश में फैलाव किया गया तो देश में ब्यूराक्रेसी का जाल फैल जायेगा। जब इस प्रकार के विचार आम लोगों के सामने रखे जायेंगे। आम तो कोआपरेशन के बारे में एक भ्रम, एक गलतफहमी पैदा हो जायेगी। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि हम आम लोगों के दिल से ऐसी गलतफहमी को दूर करें। मेरा ऐसा खयाल है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है उसको अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये इस चीज का फैलाव करना होगा। जो विचार माननीय श्री पालसिंह जी ने रखे और जनसंघ की तरफ से रखे गये वह पुलिस स्टेट के लिये तो ठीक हैं जो न शिक्षा की तरफ देखती है, न राष्ट्र की तरफ देखती है न और उन्नति के कामों की तरफ देखती है और जिसकी जिम्मेदारी केवल ला एन्ड आर्डर को कायम करने की होती है। आज आजादी के बाद हमारे देश में एक जबरदस्त क्रान्ति हुई है। आज अगर लोग यह चाहते हैं कि गल्ले को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसके ठीक दामों की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार की जिम्मेदारी जब कबूल की जाती है, तो कोई सरकार इस बढ़ती हुई जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकती जब तक कि प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक इस चीज का फैलाव न हो। इसके लिये यह आवश्यक है कि सर्विस कोआपरेटिव्ज बनें, कोआपरेटिव फार्मिंग हो, स्टेट ट्रेडिंग हो और इन सब का जाल चारों तरफ फैले। इसका फैलाव होगा उसे आप चाहे खुशी से स्वीकार करें या नाखुशी से।

अब सवाल आता है इम्पलीमेंटेशन का। एक दूसरी तरफ से दलील यह दी जाती है कि चूंकि कोआपरेटिव में अभी भ्रष्टाचार है, नौकरशाही बदली जा रही है, हम उसको सम्भाल नहीं पाते हैं, इसलिए एक प्रतिक्रिया होती है कि कोआपरेटिव बुरी है। एक यह है कि कोआपरेटिव सफल नहीं होगी, दूसरी यह है कि इसे सुधारना चाहिए। मैं स्वयं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेशन आज फैला है। काफी कैपिटल भी आया है, रिजर्व बैंक ने भी काफी रुपया दिया है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

उस वजह से, लोगों की जरूरत की वजह से गांव का जो पुराना क्रेडिट सिस्टम था उसके टूटने की वजह से लोग कोआपरेटिव की तरफ बढ़े हैं, लेकिन क्या इस बढ़ाव के पीछे कोई आत्मा है ? मुझे शक है। मुझे गुरेज नहीं है कि एक बात में हम बहुत कामयाब हुए हैं कि कोआपरेटिव का आर्गेनाइजेशन फैला है, लेकिन रूह फैली है, लोगों ने उसके दर्शन को मंजूर किया है, इसमें शक है और इसलिए यह सोचना होगा कि जबतक इस मुल्क के आम लोग कोआपरेटिव के दर्शन को कबूल नहीं करते, यानी हम अपने व्यक्तिगत मुनाफे को सब की तरक्की के लिए कुर्बान कर दें, यह विचार नहीं फैलता तब तक कोआपरेटिव एक डिपार्टमेंट बन कर रह जायगा, जीवन के एक आन्दोलन का रूप धारण नहीं करेगा।

अब हमें जानना है कि क्या हम कोआपरेटिव को महज एक मुहकमा चाहते हैं या एक जीवन के रहन-सहन का तरीका चाहते हैं ? मुझे जो वीरेन्द्र वर्मा साहब ने विचार व्यक्त किये, सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। इसलिए हुआ कि कोआपरेटिव के बारे में आज तरह-तरह के ख्याल जो जिसके जी में आता है व्यक्त करता है और एक दृष्टिकोण कोआपरेटिव का यह भी है कि शुरू में जब कोआपरेटिव का विकास हुआ तो यह कहा जाता था कि सोशलिज्म को रोकने का एक ही तरीका है, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अन्दर कोआपरेटिव को बनाया जाय, खयाल यह था कि इसको दूसरी तरफ डालना है। आज, जैसा मैंने सुना एक नयी परिभाषा कोआपरेटिव की जो सुनायी गयी उसने मुझे चौकन्ना बनाया। उनका कहना है कि हम पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों के बीच में से रास्ता निकाल रहे हैं और एक सोसाइटी सेक्टर नया बना रहे हैं। इसके लिये वह मुबारकबाद के पात्र हैं। किसी विचारक को नहीं सूझी, ऐसी परिभाषा उन्होंने की। ऐसी परिभाषा पर उन्हें मुबारकबाद दिया जा सकता है, मगर यह कांग्रेस, गवर्नमेंट या प्लानिंग कमीशन का ऐसा नजरिया हरगिज नहीं है—उनका निजी नजरिया हो सकता है। जब आप यह कहते हैं कि पूंजीवाद और साम्यवाद से भी बचना चाहते हैं, तो पता चलता है कि दोनों को आप ईविल समझते हैं ,आप बढ़ना नहीं चाहते साम्यवाद की तरफ, नयी किस्म की चीज निकालना चाहते हैं और जो निकालना चाहते हैं वह अभी तक लोगों ने पकड़ी नहीं है, बड़ी बद-गुमानियां हैं उस तरफ और उसके लिये खुशगवार आबोहवा भी नहीं है। तो मेरा खयाल है कि उससे कनफ्यूजन फैलेगा। हमें कबूल करना होगा कि हमारी जनता ने कोआपरेटिव को कबूल नहीं किया, उसके दर्शन को समझा नहीं, लेकिन आर्गेनाइजेशन फैला है और जब फैला है तो उसे कैसे ज्यादा एफिशियेंट बनायें ?

जिस तरीके से हम कोआपरेशन में चल रहे हैं, मुझे भी नाउम्मेदियां हैं। एक तो कोआपरेटिव विभाग में ज्यादा अदला-बदली नहीं होनी चाहिए। हमारा मौजूदा तरीका यह है कि हम यह मान कर के चलते हैं कि दो क्लास के लोग जो काम चाहें चला सकते हैं। एक तो सर्विसेज और दूसरे पोलीटिकल लोग। सर्विसेज का भी एक ऐसा क्लास है कि उन्हें चाहे आप डाइरेक्टर आफ इंफार्मेशन बना दीजिये, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन बना दीजिये या रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसायटीज बना दीजिये। तो हमने सब सूबे में दो क्लास ऐसे बना लिये हैं जिन्हें कोई तर्बियत, विश्वास, सूझ की जरूरत नहीं है, वे अपनी फितरत से जो चाहें काम चला सकते हैं। अभी उनको रजिस्ट्रार कर दीजिये और अभी भेजकर उनको पंचायतराज का डाइरेक्टर बना दीजिये। मैं यह समझता हूं कि हमारी थिंकिंग में इस तरफ कुछ परिवर्तन होना चाहिये। यह जो हमने समझ रखा है कि जो चाहे वह इस कोआपरेटिव का काम चला सकता है, यह बुनियादी तरीके से गलत है। हमने सुना कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में एक साल में तीन रजिस्ट्रार बदल दिये गये और चौथे का क्या हश्र होगा इसका खुदा हाफिज। यह बदला बदली मिसगिविंग्ज पैदा करती है।

दूसरी चीज यह है कि इस डिपार्टमेंट के लिये जो लोग भी चुने जायं उनको कोआपरेटिव की एप्रोच में कुछ विश्वास भी होना चाहिये और उनका बर्ताव भी उसी तरह का होना चाहिये। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि कोआपरेटिव का जो मौजूदा ढांचा है उसमें आपको कुछ तब्दीली

करनी पड़ेगी। आज हम जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं असलियत में वैसी कोई चीज नहीं है। इस डिपार्टमेंट में नीचे का एक सुपरवाइजर होता है तो वह Supervisor means Registrar for all practical purposes. व्यावहारिक रूप में वह सुपरवाइजर रजिस्ट्रार का सारा काम करता है। आप चाहे कोआपरेटिव्ज बना लें लेकिन दो तीन चीजें आपको पाइलट प्रोजेक्ट्स से करनी पड़ेंगी। सवाल इस बात का नहीं है कि आप किसी चीज को कितना अच्छा बताते हैं बल्कि सवाल इस बात का है कि लोग उस चीज को कितना अच्छा समझते हैं, बस चीज इसी पर ज्यादा मुनहसिर करती है। आज कोआपरेटिव के बारे में जो धारणा है वह अच्छी नहीं है। मैं स्वयं अपने घर की मिसाल देना चाहता हूं। मेरे लड़के ने एक दिन मुझसे कहा कि अपनी जमीन जो है उसका कोआपरेटिव बना लेना चाहिये। मैंने उससे पूछा कि क्यों बना लेना चाहिये? तो उसने कहा कि सरकार से रुपया मिल जायगा। तो आज मेरे लड़के की धारणा कोआपरेटिव के बारे में ऐसी है कि यह एक सिलसिला है सरकार से रुपया हासिल करने का। मैं कहूंगा कि एक बड़े पैमाने पर लोगों की यह धारणा बन गई है कि It is a clever device to extract money from the Government. बहरहाल यह जो प्रैक्टिकल बात है उसे पेश करना चाहिये। आज साधारण आदमी कोआपरेटिव के माने यह नहीं समझता है कि उसे अपनी इंडिविजुवलिटी को मर्ज करना है, साधारण आदमी यही समझता है कि इससे उसको ज्यादा फायदा होगा। तो लोगों की जहनियत से हमें थोड़ा हटना है। इसके लिये चाहे जो भी कोआपरेटिव मेकेनिज्म है आपकी उसको ज्यादा पर्फेक्ट करना पड़ेगा मौजूदा जो आपकी मेकेनिज्म है उसमें कोई रूम नहीं है, उसके लिये आप कोशिश करें।

मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आज ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी कहने का एक फैशन हो गया है। मेरी शिकायत यह है कि आज ब्यूरोक्रेसी की खूबियां नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी एक अहमियत थी, इसमें एक फौलाद थी लेकिन आज बदनसीबी है कि उसकी फौलाद मिटती जा रही है और Bureaucracy and technocracy produce hypocrisy.

अब आखिर में मैं सर्विसेज की एक मिसाल देकर खत्म करना चाहता हूं। दो मिनट मुझे और लगेंगे। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग एक नयी आबोहवा पैदा कर सकते हैं, इस बारे में मुझे गलतफहमी नहीं है, इसमें किसी एक मिनिस्टर का सवाल नहीं है और न एक डिपार्टमेंट का सवाल है। अगर हम चाहते हैं कि कोआपरेटिव हमारे सोचने का जुज बने, तो कोआपरेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, एजूकेशन, इन सारे के सारों में जोर लगाना होगा। एक मिसाल दे कर मैं खत्म करता हूं। एक सोशलिस्ट मुल्क ने जिसने कोआपरेटिव और प्लानिंग को शुरू किया उसने पहले अपने बच्चों की तालीम को बदला। उसका लीडर एक मांटेसरी स्कूल में जाता है और बच्चों के पीछे खड़ा हो जाता है। बच्चे बड़ी खुशीसे छोटी-छोटी ईंटों को उठा कर एक मकान बनाकर कहते हैं कि यह मकान मेरा है, कितना सुन्दर है। लीडर वापिस आता है और सारे एजूकेशनल एक्सपर्ट्स को बुला कर कहता है कि पहला काम यह करना है कि मांटेसरी स्कूलों से सब छोटी ईंटें उठवाकर वहां बड़ी ईंटें रखवा दी जावें। इसका दर्शन यह है कि जब एक बच्चा छोटी ईंट को उठाता है तो कहता है कि यह मेरा मकान है और जब चार बच्चे मिल कर एक ईंट को उठावेंगे तो कहेंगे कि यह हमारा मकान है। तो शिक्षा और कोआपरेशन का सीधा सीधा सम्बन्ध है। एक मिनिस्टर दुनिया को नहीं बदल सकता, समूचे एडमिनिस्ट्रेशन की कार्य-प्रणाली बदलने से ही अच्छी आबोहवा पैदा हो सकती है। अगर लोगों का खयाल यह बढ़ा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अच्छा ख्याल भी अगर अच्छा वातावरण नहीं पाता है तो अच्छा खयाल भी मुरझा जाता है और लोग उसमें विश्वास करने के बजाय उससे नफ़रत करने लगते हैं। इन सब के लिये हमको सरकार के हाथ मजबूत करने चाहियें ताकि कमजोरियों का मुस्तैदी के साथ मुकाबला किया जा सके। इसके लिये ३, ४ जिलों में पायलेट

[श्री गोविन्द सहाय]

प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। आज जिलों में लोगों को डर नहीं है। मैंने २, ३ रजिस्ट्रारों से पूछा कि आप क्यों नहीं ऐक्शन लेते हैं जब लोगों के पास रुपया पड़ा है। वे कहते हैं कि हमारे अन्दर ऐक्शन लेने की जान ही नहीं रही और डर लगता है कि यह आदमी इसका न हो या उसका न हो। हमें उचित आबोहवा पैदा करनी चाहिये, तभी हम कोआपरेटिव से खेती, पी० डब्ल्यू० डी०, ट्रांसपोर्ट इत्यादि में उन्नति कर सकते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० का करोड़ों रुपया ठेकेदारों के पास चला जाता है, जिससे दुनिया भर की करप्ट प्रैक्टिसेज आती हैं। मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव का फैलाव जब तक हर क्षेत्र में नहीं होगा तब तक कोआपरेशन नतीजे नहीं दिखावेगा। आज कोआपरेशन सिर्फ गन्ने में तो है, मगर वहां कोई कम्पीटीशन नहीं है। आज जरूरी है कि कोआपरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर का मुक़ाबला हो और अगर कोआपरेटिव सोसाइटी अपने को ज्यादा उपयोगी साबित करे, तो तभी लोग उसे पसन्द करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ऐसी हालत पैदा करने की कोशिश की जायगी।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, केवल २, ४ बातें कहूंगा। सहकारिता तो अच्छी चीज होती है। उसको हम चाहते हैं। एक सहकारिता सन् ३० में, दूसरी सन् ३२ में, फिर सन् ४० में और उसके बाद सन् ४२ में हुई। वह एक सहकारिता थी। उसमें हम सब लोग बराबर थे। अलाभकर जोत वाले ज्यादा थे और लाभकर जोत वाले कम थे। लेकिन अब अलाभकर जोत वाले कम हैं और लाभकर जोत वाले ज्यादा हैं। उसमें हम गरीब, मजदूर, मुसलमान भाई, ईसाई सब ने मिल कर के एक ऐसी ताक़त का मुक़ाबला किया और अंग्रेज को निकाल दिया। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाता हूं, मगर विरोधियों के लिये कहा जाता है कि उनके लिये विश्वास नहीं है। मेरे एक साथी ने कहा कि सरकार के हाथ पुख्ते बनाइये जासे हम सहकारिता में कामयाब हों। लेकिन कमजोर हाथ तो यह कर्तब कर रहे हैं और जो पुख्ता हाथ हो गये तो ऐसो हो जायगो कि गंजे को नाखून मिलेगा और खोपड़ी का नाश हो जायगा। हम सहकारिता मानिबे कूं तैयार हैं। लेकिन वह सहकारिता तो हो। जब हम कांग्रेस में थे, जब आप और हम मिल कर यह कहा करते थे कि हम सब एक ह लेकिन अब वे अलाभकर जोत वाले अलग रह गये हैं।

आज सहकारिता के बारे में मैं दो सुझाव दूंगा। एक तो अलाभकर जोत वालों के लिये हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। तकावी दी तो लाभकर जोत वालों को दी। बीज दिया, कुएं का इन्तजाम किया, सिंचाई का इन्तजाम किया, तो लाभ-कर जोत वालों के लिये। अभी अलाभ-कर जोत वालों के लिये सरकार की नजर नहीं हुई। गांवों में लोगों के पास ज्यादा जमीन होती है, लोग अपने पैसे के बल पर जमीन खरीद लेते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार उनको खरीद ले और खरीद कर अलाभकर जोत वालों को दे दे और उसका रुपया धीरे धीरे १०—१५ सालों में किसानों से वसूल कर लिया जाय। ऐसा न हो कि फार्म बना कर अलाभकर जोत वालों को उसमें शामिल कर के सब को समाप्त कर दिया जाय। ऐसा न हो कि जैसे अब अलाभकर जोत वालों ने आजादी प्राप्त की और लाभ कर जोत वाले उस पर कब्जा कर बैठे। इस तरह से अलाभकर जोत वालों को चक्कर में न डाल दिया जाय।

"वो बाग गया जापे वारि नहीं, वह कोट गया जाने तोप न खाई।
वह राज गयौ जामें राजा नहीं, वह राजा गयौ बदनीयत छाई।
वह गांव गयौ जामे संत न हों, वह संत गयौ वैश्या सिरनाई।
बैताल कहे वह मंत्री गयौ, जाकी जनता में अपकीरत छाई।"

मेह न बरसे तिन जल वारि खेत को खाय,
राजा है चोरी करे न्याय कौन घर जाय ?

नदी तीरे चये वृक्षा, परगृहेसु कामिनी, मंत्रिहीनश्च राजा नाश संन्यत्रसंशयः ।

संगत यती कुमंत्र सो राजा, मान से ज्ञान पानसों लाजा,

पानी बिन मोती न छीवे कोई हाथ मांहि,
पानी बिन सुन्दर सिरोही कौन काम की।
पानी बिन अहि को खरीदे खवावें कौन,
पानी बिन नेत्रन की उपमा कौन काम की।
पानी बिन सरिता सरोवर विहनी लगें,
पानी बिन नारी नहिं पुरषहु के काम की।
अरे मंत्री ज्ञानी इस पानी को विचार करो,
पानी के गये ते जिन्दगानी कौन काम की।

*आचार्य दीपंकर--मान्यवर, इस अनुदान और कटौती के ऊपर माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य विचार सामने रखे हैं मैं उनके बारे में उनको धन्यवाद देते हुये, जो नये सवाल आये हैं, उनके बारे में मैं आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

मैं यह समझता हूं कि सहकारिता मंत्री जी के उत्साही नौजवान डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जो बातें रखी हैं उनमें बार-बार इस बात को उन्होंने दुहराया कि भ्रष्टाचार के विरोध में, उसके निवारण में वे भी कम उत्साही नहीं हैं। इस बात के लिए मैं उनका तहेदिल से अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि अब तक जो कुछ हुआ, उसको छोड़ दिया जाय और आगे को भी इस पर अमल हो सके तो यह सहकारिता का आन्दोलन हमारे बाकी विभागों के लिये भी आदर्श बन सकेगा।

उन्होंने यह बात कही कि जो भी आलोचना की जाय, उस आलोचना का उद्देश्य राजनीतिक नहीं होना चाहिये बल्कि इस दृष्टि से होनी चाहिये कि समाज को उससे लाभ हो और उसमें हर प्रकार का सहयोग हो, जैसा कि उन्होंने मांग की, मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक साथी इस बात का अनुभव करता है कि समाज में कुरीति और भ्रष्टाचार के निवारण के लिये ही वह अपनी आलोचना प्रस्तुत करते हैं, इसलिये नहीं कि उससे कोई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना है। एक बात जैसा कि श्री राजनारायण जी ने कही, मैं यह समझता हूं कि सहकारी खेती की आलोचना करने के साथ ही यदि उसकी मूलभूत नीति का निर्धारण नहीं होता तो सचमुच ही सहकारी कृषि सहकारी आन्दोलन का एक आधार बन जाती है। इस सम्बन्ध में माननीय मलिखान सिंह और कुंवर श्रीपाल सिंह ने आर्गूमेंट्स दिये कि सहकारी खेती में अगर लार्ज स्केल होल्डिंग्स हों तो उसमें प्रति एकड़ पैदावार गिर जाती है। उन्होंने यह बतलाया कि यहां पर प्रति एकड़ जो पैदावार होती है, डेनमार्क में प्रति एकड़ उससे अधिक पैदावार होती है। यह मुगालता सहयोगी कृषि के विरोध में, चाहे वे कांग्रेस के अन्दर हों, चाहे कांग्रेस के बाहर के हों, जिनका लक्ष्य ही सहयोगी खेती का विरोध करना है, जैसा कि स्वतंत्र पार्टी का निर्माण इस देश में हुआ है, उन्होंने एक बहुत ही मिथ्या भ्रम फैलाने की कोशिश की है और तीन चार उपज के गलत आंकड़े छपवा रखे हैं जो बिलकुल झूठ हैं। झूठ इस माने में कि वे मुगालता पैदा करने के लिये हैं और खुद उनके मन व दिमाग में मुगालता है और यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

धारणा बैठी हुई है जिससे वे कहते हैं कि जहां लार्ज स्केल होल्डिंग्स हैं वहां प्रति एकड़ पैदावार गिर जाती है । जैसा कि मैंने आज प्रातःकाल भी निवेदन किया था, यह कहा जाता है कि सहकारी खेती का उद्देश्य है कि जो छोटी छोटी जोतें हैं उनको बड़े पैमाने की जोत को जाय । यह बिलकुल गलत और निराधार बात है । इस किताब के अन्दर भी जो सहकारिता विभाग की तरफ से प्रस्तुत की गयी है इसमें जो उद्देश्य प्रकट किया गया है वह भी भ्रामक है । उससे भी भ्रम होता है कि सहकारी खेती का उद्देश्य यह है कि उसके जरिये बड़े पैमाने पर फार्म्स को संगठित किया जाय । मैं समझता हूं कि वह उद्देश्य और धारणा गलत है । सहकारी खेती का मकसद बड़े पैमाने पर फार्म्स संगठित करने का है, इसमें लोगों को मुगालता है । सहकारी खेती का मकसद तो यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक तरीके की मशीनों का ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल किया जाय । रूस या अमेरिका में अगर प्रति एकड़ पैदावार कम है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर बड़े पैमाने पर जोतें हैं। रूस या अमेरिका में ज्यादा गहरी खेती या इंटेंसिव खेती जिससे ज्यादा पैदावार हो लोगों को अभिप्रेत नहीं है । वहां के लोगों को एक्सटेंसिव कल्टिवेशन में ज्यादा फायदा है क्योंकि एरिया बहुत है । जितनी एरिया कम होती है वहां पैदावार ज्यादा होती है क्योंकि वहां इंटेंसिव खेती होती है । जैसा कि ब्रिटेन, डेनमार्क आदि में इंटेंसिव खेती होती है । मेरी समझ से पैदावार का ज्यादा होना बड़ी जोत या छोटी जोत पर नहीं निर्भर है बल्कि वह सर्दी, गर्मी और मौसम तथा जमीन के ऊपर मुनहसर है । लेकिन इस तरह की जो धारणा फैलायी गयी है कि लार्ज स्केल होल्डिंग्स या छोटी होल्डिंग्स की वजह से पैदावार पर असर होता है, दोनों को एक साथ जोड़ कर सहकारी खेती के विरोध में जो वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है वह गलत है ।

एक बात जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा मैं इस बात को नहीं कहता कि जो सहकारी खेती के विरोधी हैं वे कांग्रेस में नहीं रह सकेंगे । ऐसी बात कहने का मेरा मकसद नहीं था लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता था और अब भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिस विश्वास का नहीं है, जो व्यक्ति जिस संस्था के विश्वासों के प्रति आरूढ़ नहीं है उसके द्वारा, यदि वे संस्थायें चलाई जाती हैं तो, किसी भी दशा में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । यदि आज माननीय सहकारिता मंत्री या इस प्रदेश का मंत्रिमंडल सहकारिता में विश्वास नहीं करता और केवल इसलिये कि केन्द्रीय सरकार से शिकायतें आई हैं उनका किसी प्रकार पालन करना है, इसलिये पालन करते हैं तो इस काम में एक झिझक और एक ठहराव पैदा होगा और उसका नतीजा यह होता है कि वह नीति पनप नहीं पाती और खत्म हो जाती है। इसी वजह से मैं अर्ज करूंगा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने ठीक ही कहा कि दूसरे विभाग विभागीय तरीके से एक दफा चल सकते हैं क्योंकि उन का एक रूटीन बंधा हुआ है, उन की फाइलें जैसे लालफीताशाही के अनुसार पहले चलती थीं वह चल सकती हैं लेकिन अगर कोई नई परिपाटी चलानी होती है, कोई नई आवश्यकता होती है या कोई नये नियम होते हैं या मानव समाज का अध्ययन करके कोई नया रास्ता निकालना होता है वहां उस पुराने ढर्रे या रूटीन से काम नहीं चल सकता । माननीय सदस्यों की वह बातें बिलकुल सही हैं कि यह विभाग भी लालफीताशाही, लापरवाही और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा शिकार है जैसे कि और दूसरे विभाग हैं । लेकिन फर्क यह है कि और विभाग तो इन बुराइयों को साथ लेकर चल सकते हैं लेकिन यह विभाग उन खराबियों का शिकार होकर नहीं चल सकता क्योंकि इसके द्वारा कदम-कदम पर वह नये काम करने पड़ते हैं कि जिनके लिये अभी समाज या व्यक्ति अभ्यासी नहीं हुये हैं ।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जिस तरह से उधर से कहा गया, वह हमारा आशय नहीं था और न वैसा हमारा मकसद ही था । हम ने कहा कि सब जगह भ्रष्टाचार है और जो आशा इस विभाग से आंकी गई थी वह पूरी नहीं हुई । जैसा कि राजनारायण जी

ने कहा कि नागपुर के प्रस्ताव के बाद और उसकी घोषणा के बाद जैसा हम समझते थे वह नहीं हुआ, वैसे तो वह नीति पहले से ही कांग्रेस संगठन द्वारा स्वीकृत थी और जो कार्यकलाप वहां सामने आया, पहले से ही कांग्रेस सरकार उस पर चल रही थी लेकिन नागपुर प्रस्ताव के बाद जो धारणा हमारी फिर बनी थी और हमारी ही नहीं और लोगों की भी बनी थी वह अब तक जिस तरह से कि लश्टम-पश्टम यह हुकूमत चल रही है उस नवनिर्माण के काम में सिवा निराशा और परेशानी के और कुछ दिखाई नहीं देता । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि नागपुर प्रस्ताव की जो स्प्रिट थी वह पूरी नहीं हुई है और वह भी रूटीन, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का शिकार हुई है, उसका जो उद्देश्य था वह भी खंडित ही हुआ है । जैसा कि वर्मा जी ने कहा, मैं नागपुर प्रस्ताव को कभी पाखंडपूर्ण नहीं मानता, हमारी तो उससे आशा बंधी थी लेकिन जो काम उसके अनुसार हुआ है वह जितना पाखंडपूर्ण रहा उससे मालूम होता है कि वाकई में नागपुर प्रस्ताव के द्वारा यहां की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश की गई थी और अब वह हमारा पहले वाला भ्रम सत्य सिद्ध हो रहा है क्योंकि आज तक कोई कांस्ट्रेक्टिव और ठोस काम हमारे सामने नहीं आया है ।

एक दूसरी बात मुझे और कहनी है । वह यह कि बार-बार कहा जाता है कि दूसरे देशों में जहां सहकारिता है और जहां तानाशाही तरीके से काम चलता है वहां प्रगति की रफ्तार तेज हो जाती है। लेकिन चूंकि हमारा डेमोक्रेटिक ढांचा है इसकी वजह से हमारी रफ्तार प्रगति की तेज हो नहीं पाती। मैं सिद्धान्त रूप से इस धारणा के खिलाफ हूं और अगर कोई सचमुच यह मानता है कि प्रजातांत्रिक ढांचे में प्रगति की रफ्तार कम होती है और जहां लोगों को बोलने की आजादी न हो, जहां अपनी सुविधाओं के अनुसार काम न कर सकते हों, वहां तेज हो जाती है तो वह सिद्धान्ततः प्रजातंत्र का दुश्मन है और इंडाइरेक्टली तानाशाही का पैरोकार है । प्रजातंत्र में प्रगति की रफ्तार किसी भी तरीके से तानाशाही के बनिस्बत कम नहीं होती बशर्ते कि प्रजातंत्र के तरीके अख्तयार किये जायं और लोगों को बोलने का, लिखने का और जो निर्वाचित होते हैं उनको निर्वाचित होने का मौका दिया जाय । लेकिन इन सहकारी समितियों के चुनाव में सरकार के नुमायन्दे हस्तक्षेप करते हैं; निर्वाचित हो जाते हैं तो हटाने की कोशिश की जाती है । एक माननीय सदस्य बलिया की मिसाल दे रहे थे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको जनता नहीं चुनना चाहती थी उसको चुनवाया गया और इसी वजह से जनता ने उसको रिजेक्ट किया । भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, उनको दाब दिया जाता है । वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का निवारण करेंगे । हमें बड़ी प्रसन्नता होगी । इस भ्रष्टाचार की जो आलोचना की गई है वह जायज है और यह मुहकमा अपने कारनामों की वजह से, अपनी गलत नीतियों की वजह से, अपनी नीतिहीनता की वजह से बदनाम हुआ है । इसकी बदनामी न सिर्फ कांग्रेस की बदनामी है बल्कि इससे समाजवाद बदनाम होता है, सहकारिता की नीति बदनाम होती है और प्रगतिशीलता का कार्यक्रम बदनाम होता है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मोहनलाल गौतम––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सोच रहा था कि दीपंकर जी को बधाई दूं उनके अपने साथियों पर, उनके अपने समर्थकों पर कि उनके कटमोशन के समर्थन करने वाले वे लोग हैं जो उनकी नीति के बिलकुल विरुद्ध हैं । दीपंकर जी ने अपना दामन छड़ाने की कोशिश की और अपने आप को उससे अलग करने का ऐलान किया । लेकिन मुझे खेद है कि जो जाल समाजवाद के विरोधियों ने इस देश में बिछाने का प्रयत्न नागपुर अधिवेशन के बाद किया है उस जाल में हमारे बहुत से समाजवादी कहलाने

[श्री मोहनलाल गौतम]

वाले लोग फंस गये है । मैं समझ सकता था यदि जो पूंजीपति हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वह इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये संगठन बनाते, चाहे कंजरवेटिव पार्टी बनाते, चाहे स्वतंत्र पार्टी बनाते । यह स्वतंत्र पार्टी या कंजरवेटिव पार्टी कोआपरेटिव फार्मिग के विरुद्ध नहीं बनी है । साफ जाल जिस बात का है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है । वह यह है कि आज इस देश में कांग्रेस सरकार की नीति है कि वह समाजवाद की ओर बढ़े जा रही है, आज व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, कल को चीनी के कारखानों का होगा और परसों सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण होगा, इसलिये ऐ पूंजीपतियों तुम इकट्ठे हो जाओ और इसका विरोध करो । एक बहुत बड़े टाटाज के खान्दान के जो डायरेक्टर हैं, संबंध रखने वाले है, उनका एक लेख यहां के पायोनियर में भी छपा है । यह नीति है जो आधारभूत है चलने की । नागपुर अधिवेशन ने दो फैसले किये । एक सर्विस कोआपरेटिव अभी तीन साल के लिये और बाद में ज्वाइंट फार्मिग कोआपरेशन और उसके साथ-साथ व्यापार का राष्ट्रीयकरण । अब सवाल यह पैदा हुआ कि जो पूंजीवाद अपने आपकी रक्षा करना चाहता था वह क्या व्यापारियों का संगठन करके देश के सामने आ सकता था ? नहीं आ सकता था । उन ब्लैक मार्केटियर्स का क्या संगठन होता ? इसलिये उनके संगठन करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई । फिर क्या किया जाय ? किया यह जाय, इस प्रजातंत्र के जमाने में अगर कोई अपनी रक्षा करना चाहता है तो वह जब तक अपने साथ जनता को न करे तब तक अपनी रक्षा नहीं कर सकता । इसलिये जानबूझ कर यह स्लोगन दिया गया है कि कोआपरेटिव फार्मिग बड़ी बुरी चीज है, गलत चीज है, ताकि गांव के लोग जो अधिक संख्या में वोटर हैं उनमें भ्रम पैदा हो जाय और अगर उनमें भ्रम पैदा हो गया तो हमारे वोटर्स तैयार हो जायंगे और जो समाजवाद की ओर से ले जाने वाली शक्तियां हैं वह कमजोर होंगी और हितों की रक्षा हो सकेगी उनकी, जिनके हाथ में पूंजी है ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आज का प्रश्न छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं उन तमाम समाजवादियों से कहना चाहता हूं कि अगर भ्रम पैदा करने में सहायता देंगे तो वे समाजवाद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, समाजवाद का नाम चाहे जो कुछ रख लें । इसलिये इस समय का अच्छी तरह से अवलोकन करना चाहिये, समय और शक्तियां किधर जा रही हैं उसका अध्ययन करना चाहिये और जो अनमेल जोड़ है, जो आज इस कटमोशन में दिखाई दे रहा है उससे जो प्रयत्न किया है दीपंकर जी ने, अगर वे समाजवाद के पक्षपाती हैं, उसका पोषण करने वाले हैं तो उससे अपने आपको निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकालेंगे तो वह उसी के शिकार होंगे, प्रतिक्रियावादी होंगे अनकांशसली ।

अफसरान की बात छोड़ दीजिये । वे हमारे अफ़सर हैं और हमारे फैसलों पर चलने वाले हैं । जो वह करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है । मैं तो पोलिटिकल पार्टीज से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कर क्या रहे हैं ? कहते हैं कोआपरेटिव फार्मिग नहीं हुई । मैं पहले कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिग की इस किताब में भी, जो बंटी है, और वैसे भी दो, तीन शक्लें हैं। एक है कोआपरेटिव बेटर फार्मिग सोसायटी, उसमें और सर्विस कोआपरेटिव में कोई फर्क नहीं है । एक चीज है । क्या यह कोआपरेटिव फार्मिग की शुरूआत नहीं है ? अगर नहीं है, तो मैं कहता हूं कि जिस समाजवादी ने इन सर्विस कोआपरेटिज्ज के मुकाबले में अपनी आवाज उठायी वह समाजवाद के खिलाफ काम कर रहा है, चाहे वह अपनी बुद्धि से समझे या न समझे । इसलिये वह शिकार बन रहा है उन तमाम प्रतिक्रियावादी शक्तियों का जो इस देश में समाजवाद लाने में अड़चन डालती हैं . . . . .

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—किस समाजवादी ने विरोध किया, जरा नाम बता दें ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय विश्वेश्वरानन्द जी, यह उचित नहीं मालूम होता कि आप मंत्री जी को बीच में रोकें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--मंत्री जी गलत बात कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--गलत बात कह रहे हैं तो आप उसको कंट्रैडिक्ट कर सकते हैं। मैं देखा रहा हूं, आप बराबर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--मैं व्यवस्था चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि समाजवादियों ने इसका विरोध किया, सर्विस कोआपरेटिव्ज और कोआपरेटिव फार्मिंग का। किसी भी समाजवादी ने विरोध नहीं किया बल्कि वह स्वयं इस भय से आक्रान्त हैं .....

श्री अधिष्ठाता--उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।

कुंवर श्रीपालसिंह--सर्विस कोआपरेटिव का किसी ने विरोध नहीं किया है। कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया गया है।

श्री मोहनलाल गौतम--अगर, अधिष्ठाता महोदय, गुस्ताखी न हो, और सदन सुनने के लिये तैयार न हो, क्योंकि किसी भी बात में कोई तथ्य नहीं था जो उधर से कही गई, इसलिये अगर सदन नहीं सुनना चाहता तो मैं चुपके से बैठ जाऊंगा।

मेरी मांग तो आज पास ही हो जायगी अगर सुनना चाहें तो सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--विश्वेश्वरानन्द जी, यह उचित नहीं है कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आप बीच में उन्हें डिस्टर्ब करें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--हम कोई रुकावट नहीं डालना चाहते। लेकिन जो लांछन लगाया जा रहा है वह ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। लांछन नहीं लगा रहे हैं।

श्री राजनारायण--माननीय गौतम जी को लोग नहीं सुनना चाहते तो उन्हें बैठा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--नहीं सुनना चाहते तो फिर यही होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--जो प्रस्ताव नागपुर में पास हुआ था उसका अर्थ यह है कि भविष्य में जो शक्ल बनेगी उसका आधार कोआपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग होगा और उससे पहले सर्विस कोआपरेटिव्ज बन जायंगी।

श्री राजनारायण--कोआपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग के क्या मानी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--तीन साल में, देश भर के गांव गांव में, सर्विस कोआपरेटिव बन जायं। तीन साल तक सहकारी समितियां बनाई जायं, यह कांग्रेस का प्रस्ताव है और उसके बाद जो अन्तिम रूप होगा वह सम्मिलित खेती का, सहकारी खेती का होगा।

श्री राजनारायण---सम्मिलित खेती या सहकारी खेती का फर्क बतलाइये । शब्दों के वाग्जाल में न ले जाइये ।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आज का कार्यक्रम है वह साधन समितियों का है । साधन समितियां जितना बनेगी वह मैं कह चुका और जिस तरह से साधन जुटाने का काम हो रहा है वह मैं कह चुका ।

श्रीपाल जी ने एक दो एक महत्व के प्रश्न उठाये थे । साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलाजी के लिये बड़े खेत की जरूरत है या छोटे खेतों में भी हो सकता है । मैं बतलाऊंगा कि इन दोनों का प्रयोग छोटे खेतों में हो सकता है लेकिन बहुत सी चीजों के लिये बड़े खेतों की जरूरत होगी । पहले सर्विस कोआपरेटिव साधन जुटायेगी । वहां सहकारी भावना आयेगी । जैसा कि गोविन्द सहाय जी ने कहा जब तक कुल फिलासफी नहीं समझायेंगे तब तक आगे कैसे काम चलेगा ? उसको समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी लोगों को समझाने में समय लगेगा । लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका सहकारिता को समझाने का है वह लेक्चरों से नहीं है, पुस्तिकाओं से नहीं है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---श्रीमन्, एक बार श्री गौतम जी आगरा गये । वहां पर आपने सर्विस कोआपरेटिव के बारे में यह कहा कि अभी उनका दिमाग साफ नहीं है कि उसके क्या लक्ष्य व उद्देश्य हैं । अब भी वही उत्तर मिल रहा है, उसको स्पष्ट कर दें ।

श्री अधिष्ठाता---यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठ जाइये ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---आपने सबेरे भी यही कहा और इस समय भी यही कह रहे हैं । आपको अधिकार है ।

श्री राजनारायण---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अधिष्ठाता महोदय, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष जिस बात को स्वतः न समझ पाते हों उस बात को कहने से सदस्यों को रोक सकते हैं या नहीं ? जिस भाषा को वह स्वयं न समझ पाते हों उस भाषा को बोलने से रोक सकते हैं या नहीं ? मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप इस सदन के माननीय सदस्यों को और मुझ जैसे गरीब को यह समझा दें कि सर्विस कोआपरेटिव्ज क्या हैं और कोआपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग क्या है ? क्या कोई सदस्य, जिस बात को वह स्वतः न समझता हो उस पर, अनावश्यक ढंग से सदन का समय नष्ट कर सकता है ।

श्री अधिष्ठाता---यह कोई बात नहीं है । आपने कहा कि माननीय मंत्री जी सम्मिलित खेती और सहकारी खेती के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें । (स्वामी विश्वेश्वरानन्द के बीच में खड़े हो कर बोलने पर ।) मैं जब बोल रहा होऊं तो आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---हम समझना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)---मेरा निवेदन है कि आप १० मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दीजिये क्योंकि जब आपस में आर्डर चलने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता---मैं आपके कहने से सदन को स्थगित नहीं कर सकता ।

श्री रामसिंह चौहान---तो आप व्यवस्था कीजिये ।

श्री अधिष्ठाता---व्यवस्था कायम करने की तो मैं कोशिश कर रहा हूं ।

श्री राजनारायण---जरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा---(श्री मोहनलाल गौतम के खड़े रहने पर) आपने उनसे बैठने को नहीं कहा।

श्री अधिष्ठाता---मैंने उनको बैठने को नहीं कहा।

श्री राजनारायण---तो दो दो आदमियों को आपने फलोर दे दिया। खैर, मेरा प्रश्न यह है, श्रीमन्, व्यवस्था का ही कि क्या इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्य लोग एक ही बात को ले कर "बैठ जाओ, बैठ जाओ" चारों ओर से बोलने लगें तो क्या व्यवस्था रहेगी?

श्री अधिष्ठाता---नहीं रहेगी।

श्री राजनारायण---तो आप यहां पर सशक्त हैं, प्रभुतासम्पन्न हैं, आप हमको बैठा सकते हैं और अगर उधर से लोग चिल्लाने लगें तो मान लीजिये उधर ५० हैं तो १० इधर भी हैं। तो सौ सुनार की, एक लोहार की।

श्री मोहनलाल गौतम---बहुत से माननीय सदस्यों ने मुझको यह सुझाव दिया है कि चूंकि यह विषय काफी गूढ़ है, इसके सम्बन्ध में काफी शंकायें हैं और लोग इसको समझना चाहते हैं इसलिये मैंने इस बात को मान लिया है कि जिन दोस्तों ने यह कहा है कम से कम उनका और जो दूसरे उसमें सम्मिलित होना चाहें उनका भी एक सेमिनार हो और इरादा यह है कि शनिश्चर और इतवार के दिन जबकि हाउस न बैठे दो दिन का सेमिनार हो ताकि सारी बातें एक दूसरे को समझ में आ जायं और इसमें जो कमजोरियां और कठिनाइयां हैं वह भी अच्छी तरह से देख ली जायंगी। हो सकता है कि कमेटी बना कर हम यह सोचें कि मार्केटिंग में क्या-क्या दिक्कतें हैं, ऋण देने में क्या क्या दिक्कतें हैं, ऋण की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, ये सारी कठिनाइयां देख ली जायं। इसलिये दो दिन अप्रैल के महीने में एक सेमिनार करने का हमारा इरादा है उन मित्रों के सुझाव पर खासतौर से जो इधर हमारे साथ बैठे हुये हैं। वह सब के लिये खुला होगा, श्री राजनारायणजी भी उसमें आ सकेंगे और सब लोग भी आ सकेंगे। और इसमें बहुत सी गलतफहमियां जो आज लोगों में हैं वह दूर हो जायंगी। इसलिये मैं केवल एक आध लफ्ज ही कहना चाहता हूं और वह यह है कि गवर्नमेन्ट को बुरा भला कहने का अधिकार विरोधियों को है। उनको कहना चाहिये और उनकी यह कोशिश होनी चाहिये कि यह गवर्नमेंन्ट हटे और दूसरी आये। यह कायदे का अधिकार उनका छिन नहीं सकता है। इसके माने हैं विरोधी दल। लेकिन एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह विरोध में ऐसा काम न करें जो उनको स्वयं की नीतियों में ही दिक्कत डाले और कहीं कल उनको शासन संभालना पड़े तो यह देखें कि हम समाजवादी थे और कहां पहुंच गये। यह न करना पड़े। इसलिये मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि जो समाज का नया निर्माण हो रहा है, जिस ओर देश जा रहा है, अगर दीपंकर जी कहते कि जितनी तेज चलना चाहिये था उतनी तेज नहीं चल रहे हो तब तो उसको मैं स्वीकार कर लेता क्योंकि तेजी को कोई हद नहीं है। अगर मैं इतनी तेज नहीं चल रहा हूं और लोग सुझाव देंगे तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। लेकिन ऐसा काम न करें कि जिससे यह भ्रम फैल जाय कि यह साधन समितियां हैं यह बुरी हैं और ठीक तरह से संगठित नहीं हो सकती हैं। इससे नुकसान ही नुकसान होगा। अगर यह भ्रम फैला तो इतनी प्रार्थना करता हूं कि उसमें स्वतंत्र पार्टी का बोलवाला होगा और समाजवादी कहलाने वालों का नुकसान होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसकी खराबियों को, दिक्कतों को देखिये।

गबन वगैरह के बारे में वीरेन्द्र वर्मा जी ने काफी कह दिया है। मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं। प्रोसीजर का काम हम पूरा कर रहे हैं। अंत में, मैं यह प्रार्थना करना चाहता

[श्री मोहनलाल गौतम]

हूं कि आप लोग इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने में सहायक होइये और इसको मजबूत बनाने में सहायक हों ताकि समाज का निर्माण करने में सहायक हो सकें और समाजवाद लाने में सहायक हो सकें ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४---उपनिवेशन---लेखा संख्या ४०---कृषि के अन्तर्गत ५१,३१,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री मलिखान सिंह---श्रीमन्, मैं डिवीजन चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---इसमें कोई कटौती का प्रस्ताव तक नहीं है फिर भी विभाजन की मांग उचित नहीं मालूम होती है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं दीपंकर जी के कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

सरकार की सहकारिता नीति का अननुमोदन करना, विभागीय भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन नीति का अननुमोदन तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप देखें कि हमारे हकों का कितना हनन हो रहा है । माननीय मंत्री जी मुश्किल से बारह-पंदरह मिनट बोले । एक सदस्य बार बार खड़े हो रहे थे वह नहीं बोलने पाये ।

श्री मोहनलाल गौतम---आपने कहा कि न बोलो ।

श्री राजनारायण---हमने नहीं कहा । हम चाहते हैं कि आइन्दा इस तरह से सदन का समय लेकर मंत्री जी उसका दुरुपयोग न करें और हम लोगों को बोलने का समुचित समय मिले, हमारा समय काट कर मंत्री को न दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---आपकी तरफ से ही इस तरह की बातें हुईं ।

श्री राजनारायण---हम इसके प्रोटेस्ट में कि भविष्य में ठीक ढंग से समय का बंटन हो सदन से इसलिए वाक आउट करते हैं ।

(इस समय सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन छोड़ कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

सरकार की सहकारिता नीति का अननुमोदन करना, विभागीय भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन नीति का अननुमोदन तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में ---६,

विपक्ष में---१५७ ।)

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--मान्यवर, यह नोट कर लिया जाय कि प्रस्तावक ने भी हाथ नहीं उठाया था ।

श्री अधिष्ठाता--मैं स्वतः कहना चाहता था कि माननीय श्रीपाल सिंह जी को विभाजन कराने से पहले माननीय दीपंकर जी से सलाह कर लेनी चाहिये थी ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--सहकारिता के आधार पर ऋण--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता (co-operation) के अन्तर्गत २,०५,१४,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५३ मिनट पर सोमवार, ७ मार्च, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
५ मार्च, १९६० ।

विधान परिषद